[2020] 1 एस. सी. आर. 812

अनुराधा भसीन

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1031)

10 जनवरी, 2020

[एन. वी. रमना, आर. सुभाष रेड्डी और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 144 - अस्थायी

दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा) नियम, 2017-यू/एस द्वारा पारित आदेशों के उत्पादन से छूट। 144 क्र. पी. सी. और सरकार द्वारा निलंबन नियमों के तहत-विभिन्न प्राधिकरणों ने जम्मू और कश्मीर राज्य में आवाजाही और संचार को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए, हालांकि, आदेश अदालत के समक्ष नहीं रखे गए-आयोजितः दो अलग-अलग प्रकार के तर्क हैं जो उत्पादन को अनिवार्य करते हैं

अधिकारियों द्वारा पारित आदेश-पहला, कला। 19 संविधान में सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में अधिदेशित किया गया है-एक लोकतंत्र, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ लेता है, अनिवार्य रूप से

आदेशों को प्रस्तुत करना क्योंकि यह एक व्यक्ति का जानने का अधिकार है-राज्य को संविधान के भाग-III को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा और इन अधिकारों को निहित तरीके से या आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से नहीं लेना होगा-दूसरा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लोकतंत्र में सूचना का स्वतंत्र प्रवाह होता है-संविधान के तहत न केवल एक मानक अपेक्षा है, बल्कि एक मानक अपेक्षा भी है

प्राकृतिक कानून के तहत आवश्यकता है कि कोई भी कानून गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए जब राज्य द्वारा पारित किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकार में कटौती होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि सभी प्रासंगिक आदेश न्यायालय के समक्ष रखे जाएं, जब तक कि विशेषाधिकार का कोई विशिष्ट आधार न हो या सार्वजनिक हित को संतुलित करने के लिए विरोध न हो, जो -

हलफनामे पर राज्य द्वारा विशेष रूप से दावा किया गया-तत्काल मामले में, जबकि राज्य ने शुरू में विशेषाधिकार का दावा किया था, उसने बाद में दावे को हटा दिया और अदालत के समक्ष सभी आदेशों को पेश करने में कठिनाई का हवाला देते हुए कुछ नमूना आदेश प्रस्तुत किए-यह अदालत के समक्ष आदेशों को पेश करने से इनकार करने का एक वैध आधार नहीं है।

812 अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

भारत का संविधान-Art.19 (1) (g)-व्यापार की स्वतंत्रता और

इंटरनेट के माध्यम से वाणिज्य-संरक्षण यू/आर्ट।

19 (1) (छ)-आयोजितः इंटरनेट व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और

वाणिज्य भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण और तेजी से विकास

सूचना और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने काफी प्रगति की है।

व्यापारिक अवसर और भारत को एक वैश्विक आई. टी. केंद्र के रूप में परिवर्तित किया-वहाँ

इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का ऐसा अधिकार भी उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। और पसंद की उपलब्धता-इसलिए, व्यापार की स्वतंत्रता और

इंटरनेट के माध्यम से व्यापार भी संवैधानिक है।

संरक्षित यू/कला। 19 (1) (छ), यू/आर्ट द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन।

19 (6) .

सिद्धांत/सिद्धांत आनुपातिकता का सिद्धांत -

भारत का संविधान-कला कला की आवश्यकता। . 19 19 ((1 1)) ((छ))-आयोजितः पहले चरण में ही, इस तरह के उपाय का संभावित लक्ष्य

प्रतिबंध लगाने का निर्धारण किया जाना चाहिए-यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

ऐसा लक्ष्य वैध होना चाहिए, हालांकि, तय करने से पहले उपरोक्त उपाय, अधिकारियों को किसी के अस्तित्व का आकलन करना चाहिए

उपरोक्त लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तंत्र - इस तरह के उपाय की उपयुक्तता इसके प्रभाव पर निर्भर करती है -

मौलिक अधिकार और इस तरह के उपाय की आवश्यकता -

ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा उपाय का सहारा लिया जा सकता है। तथ्य और परिस्थितियाँ-अंत में, क्योंकि आदेश गंभीर है

प्रभावित पक्षों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव,

उसी को पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और होना चाहिए

न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी।

सिद्धांत/सिद्धांत आनुपातिकता का सिद्धांत

प्राप्ति पर प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव

मौलिक अधिकार-आयोजितः मौलिक अधिकारों की प्राप्ति पर प्रतिबंधों के तत्काल प्रभाव पर विचार करने के लिए,

निर्णय निर्माता को दांव पर लगे विभिन्न कारकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जैसे कि सापेक्ष महत्व का आरोपण वह है जो आनुपातिकता का गठन करता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक निर्णय जो मौलिकता को कम करता है

उचित औचित्य के बिना अधिकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा आनुपातिक-आनुपातिकता की अवधारणा के लिए एक

की क्षेत्रीय सीमा के अनुसार प्रतिबंध लगाया जाना प्रतिबंध, आपातकाल का चरण, तात्कालिकता की प्रकृति, अवधि [2020] 1 एस. सी. आर.

इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय और इस तरह के प्रतिबंध की प्रकृति किसी प्रतिबंध के त्रिकोण को लागू करने से पहले उपयुक्तता, आवश्यकता और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

भारत का संविधान-सरकार द्वारा अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया-मान्यताः अंतरालों में से एक को उजागर किया जाना चाहिए

दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा) नियम, 2017 के शीर्षक में 'अस्थायी' शब्द के उपयोग से संबंधित-उपरोक्त के बावजूद, अधिकतम अवधि का कोई संकेत नहीं है जिसके लिए निलंबन आदेश लागू हो सकता है-की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए

आनुपातिकता, उपरोक्त सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है-मौजूदा निलंबन नियम न तो आवधिक समीक्षा के लिए प्रदान करते हैं और न ही किसी आदेश के लिए समय सीमा।

निलंबन नियमों के तहत जारी किया गया-जब तक यह अंतराल पूरा नहीं हो जाता, तब तक समीक्षा समिति ने यू/आर का गठन किया। 2 (5) निलंबन नियमों के तहत पिछली समीक्षा के सात कार्य दिवसों के भीतर आवधिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। 2 (6) .

शब्द और वाक्यांश-'आपातकाल'-'आपातकाल' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं-रोजमर्रा की आपातकाल, आपातकाल के प्रकार से अलग जिसमें घटनाएँ जो

इसमें शामिल है, या शामिल हो सकता है, जनता के सदस्यों को चोट या नुकसान का गंभीर और कभी-कभी व्यापक जोखिम या संपत्ति का विनाश या गंभीर नुकसान-सार्वजनिक आपातकाल 'गंभीर प्रकृति का होना आवश्यक है, और इसे मामले के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.144-विभिन्न

अधिकारियों ने यू/एस आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए। 144 जम्मू और कश्मीर राज्य में 4.8.2019 पर-याचिकाकर्ताओं की वैधता

तर्क दिया कि 4.8.2019 दिखाने पर एक परिस्थिति होनी चाहिए

कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी जो संभवतः किसी भी व्यक्ति के लिए बाधा, झुंझलाहट या चोट पैदा करेगी या संभवतः सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करेगी और सरकार इस तरह के आदेशों को प्रत्याशा में या आशंका के आधार पर पारित नहीं कर सकती थी-आयोजितः शक्ति यू/एस। 144 क्र. पी. सी. उपचारात्मक होने के साथ-साथ निवारक भी है, इसका उपयोग न केवल वर्तमान खतरे में किया जा सकता है, बल्कि खतरे की आशंका होने पर भी किया जा सकता है।

विचार एक 'आपातकाल' की प्रकृति में होना चाहिए और अनुराधा भसीन v के लिए।

भारत और ओआरएस का संघ।

कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा और झुंझलाहट या चोट को रोकने का उद्देश्य-यू/के तहत आदेश पारित करते समय s.144 Cr.P.C., यह इस तरह के आदेशों को पारित करने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों को इंगित करना अनिवार्य है आम तौर पर, इसे लागू किया जाना चाहिए और किसी विशेष क्षेत्र या कुछ विशेष मुद्दों तक सीमित किया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अधिकांश

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का भौगोलिक क्षेत्र

यू/एस द्वारा पारित आदेशों के तहत रखा गया था। 144 क्र. पी. सी. और इन आदेशों के पारित होने को इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है-जवाब में, यह प्रत्यर्थी का मामला है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है-हालाँकि, 27.9.2019 पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिससे वर्तमान अभ्यास वस्तुतः अकादमिक हो गया था, हालाँकि, राज्य द्वारा कानून के गैर-अनुपालन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-इसलिए, अधिकारियों ने इसका पालन करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और कानून के नियमों को बरकरार रखा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-यू/एस द्वारा पारित आदेश। 144 – न्यायिक समीक्षा-आयोजित होने का क्षेत्रः शक्ति का अस्तित्व

न्यायिक समीक्षा निर्विवाद है-यह मजिस्ट्रेट और राज्य को सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए संभावित खतरे के बारे में एक सूचित निर्णय लेना है-राज्य सार्वजनिक शांति और शांति या कानून और व्यवस्था के लिए खतरे का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है।

हालांकि, कानून उन्हें इस शक्ति का उपयोग करने के लिए भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता है-यह न्यायिक जांच और इस बात का सत्यापन करने में सक्षम होगा कि क्या इसके आह्वान को सही ठहराने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं या नहीं।

शक्ति।

भारत का संविधान-प्रेस की स्वतंत्रता-प्रतिबंध-याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विभिन्न के संचयी प्रभाव

जम्मू और कश्मीर राज्य में 4.8.2019 पर प्रतिबंध, जैसे कि एस लागू करना। 144 क्र. पी. सी. और इंटरनेट पर प्रतिबंध और

संचार ने अप्रत्यक्ष रूप से घाटी में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है-याचिकाकर्ता का तर्क प्रतिबंधों के लागू होने से उत्पन्न होने वाले कथित डरावने प्रभावों पर आधारित है-आयोजितः

शीतलन प्रभाव का एक संभावित परीक्षण तुलनात्मक नुकसान है-इसमें

न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विवादित प्रतिबंधों ने अपनी व्यापक प्रकृति के कारण, इस अवधि के दौरान समान रूप से रखे गए व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव डाला है-यह है

याचिकाकर्ता का तर्क कि वह अपना [2020] 1 एस. सी. आर. प्रकाशित करने में सक्षम नहीं थी।

06.08.2019 से 11.10.2019 तक का समाचार पत्र-हालाँकि, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया था-इसके बिना

दूसरी ओर, अन्य समाचार पत्र भी थे जो उपरोक्त अवधि के दौरान चल रहे थे-इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि उपरोक्त याचिकाकर्ता ने अब प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया है, इस मुद्दे में यह कहने के अलावा अधिक शामिल होना उचित नहीं है कि जिम्मेदार सरकारों को हर समय प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता है।

सिद्धांत/सिद्धांत-शीतलन प्रभाव के सिद्धांत-पर चर्चा की गई।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

आदेशों का उत्पादन

1. दो अलग-अलग प्रकार के तर्क हैं जो इस न्यायालय को पारित आदेशों को प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं।

इस मामले में अधिकारी। सबसे पहले, संविधान के अनुच्छेद 19 की व्याख्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सूचना के अधिकार को अनिवार्य करने के लिए की गई है। ए.

लोकतंत्र, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ लेता है, अनिवार्य रूप से आदेशों के उत्पादन को अनिवार्य करता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति का जानने का अधिकार है। इसके अलावा, मौलिक अधिकार अपने आप में एक गुणात्मक आवश्यकता को दर्शाते हैं जिसमें राज्य को कार्य करना होता है - संविधान के भाग III को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तरीके से और इन अधिकारों को एक निहित तरीके से या आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से नहीं छीनना। [पैरा 15] [847-बी-सी]

2. दूसरा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लोकतंत्र में सूचना का मुक्त प्रवाह होता है। केवल एक मानक अपेक्षा नहीं है

संविधान के तहत, लेकिन प्राकृतिक कानून के तहत एक आवश्यकता भी है कि कोई भी कानून गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 16] [847-डी]

3. एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, राज्य द्वारा पारित किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों में कटौती के संबंध में की जा रही चुनौती पर, जो आसानी से लागू नहीं होती है। उपलब्ध होने पर, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

कि सभी प्रासंगिक आदेश न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं, जब तक कि अनुराधा भसीन v.

भारत और ओआरएस का संघ।

विशेषाधिकार का कुछ विशिष्ट आधार है या सार्वजनिक हित को संतुलित करने के लिए, जिसका राज्य द्वारा हलफनामे पर विशेष रूप से दावा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, राज्य का विशेषाधिकार या सार्वजनिक हित का दावा याचिकाकर्ता के हितों को ओवरराइड करता है। आदेश के ऐसे हिस्से को संशोधित किया जा सकता है या ऐसी सामग्री को विशेषाधिकार प्राप्त के रूप में दावा किया जा सकता है, यदि राज्य कानून के तहत अनुमत आधारों पर इस तरह के संशोधन को उचित ठहराता है। [पैरा 17] [847-एफ-जी; 848 ए]

4. वर्तमान मामले में, जबकि राज्य ने शुरू में विशेषाधिकार का दावा किया था, उसने बाद में इस अदालत के समक्ष सभी आदेशों को पेश करने में कठिनाई का हवाला देते हुए दावे को वापस ले लिया और कुछ नमूना आदेश प्रस्तुत किए। इस न्यायालय की राय में, यह न्यायालय के समक्ष आदेशों को प्रस्तुत करने से इनकार करने का एक वैध आधार नहीं है। [पैरा 18] [848 बी]

भाग III और के तहत मौलिक अधिकार

व्यापार के अवसर और भारत को एक वैश्विक आई. टी. केंद्र के रूप में परिवर्तित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसे व्यापार हैं जो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का ऐसा अधिकार उपभोक्तावाद और पसंद की उपलब्धता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है, जो अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन है। [पैरा 27] [850-डी-ई]

6. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंधों का मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है

इस न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में बनाए रखा गया है जिसमें पूर्ण निषेध को शामिल करने के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है उचित मामलों में। [पैरा 32] [851-एफ]

7. विभिन्न मामलों के कानूनों का अध्ययन तीन ओर इशारा करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के संबंध में उभरने वाले प्रस्ताव। (i) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध [2020] 1 एस. सी. आर.

निषेध के मामले शामिल हैं। ((ii) पूर्ण निषेध लगाए जाने पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बोझ नहीं होना चाहिए। और सरकार को इस तरह के निषेध को लागू करने को उचित ठहराना होगा और यह समझाना होगा कि कम विकल्प अपर्याप्त क्यों होंगे। (iii) क्या कोई प्रतिबंध पूर्ण निषेध के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। [पैरा 33] [852-ए-सी]

8. यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को प्रतिबंधित करने का अधिकार है

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, यदि आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 19 (2) के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में। यह इस संदर्भ में है, जबकि राष्ट्र इस तरह की प्रतिकूलता का सामना कर रहा है, एक अपघर्षक बयान

आसन्न खतरे को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यदि वही प्रभाव पड़ता है

भारत की संप्रभुता और अखंडता। सवाल एक हद तक है सीमित करने की शक्ति के अस्तित्व के बजाय। [पैरा 46] [856

डी]

9. आनुपातिकता का सिद्धांत भारतीय संविधान के लिए विदेशी नहीं है, क्योंकि इसके तहत 'उचित' शब्द का उपयोग किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 19। निर्णयों के एक समूह में, इस न्यायालय ने माना है कि "उचित प्रतिबंध" अनिवार्य हैं

अनुच्छेद 19 के तहत निहित स्वतंत्रताओं की प्राप्ति, जैसा कि वे हैं

जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारों का आनंद मनमाना या अत्यधिक नहीं है, ताकि सार्वजनिक हित को प्रभावित किया जा सके। [पैरा 53] [858-सी-डी]

10. आनुपातिकता के सिद्धांत की आवश्यकताएँ जिनका अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के इरादे से कोई आदेश पारित करने से पहले पालन किया जाना चाहिए। में पहले चरण में ही, प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से इस तरह के उपाय का संभावित लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा लक्ष्य वैध होना चाहिए। हालांकि, उपरोक्त उपाय पर निर्णय लेने से पहले, अधिकारियों को उपरोक्त लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वैकल्पिक तंत्र के अस्तित्व का आकलन करना चाहिए। इस तरह के उपाय की उपयुक्तता मौलिक अधिकारों और इस तरह के उपाय की आवश्यकता पर इसके प्रभाव पर निर्भर करती है। उपरोक्त धारणा से यह निर्विवाद है कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा केवल कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय का सहारा लिया जा सकता है। अंत में, आदेश अनुराधा भसीन वी।

भारत और ओआरएस का संघ।

प्रभावित पक्षों के मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसे पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। [पैरा 70] [870-ई-जी]

11. प्रतिबंध की मात्रा और उसी का दायरा,

क्षेत्रीय और अस्थायी दोनों रूप से, जो है उसके संबंध में खड़ा होना चाहिए

वास्तव में एक आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है। [पैरा 71] [871 ए. जे.

12. मौलिक अधिकारों की प्राप्ति पर प्रतिबंधों के तत्काल प्रभाव पर विचार करने के लिए, निर्णय निर्माता को दांव पर लगे विभिन्न कारकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सापेक्षिक महत्व की इस तरह की विशेषता ही आनुपातिकता का गठन करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक निर्णय जो मौलिक अधिकारों में कटौती करता है

इस तरह के प्रतिबंध का माप और प्रकृति। एक प्रतिबंध के त्रिकोण के लिए उपयुक्तता पर विचार करने की आवश्यकता होती है, अधिरोपित किए जाने से पहले आवश्यकता और न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय। [पैरा 72] [871-बी-सी]

13. सरकार के इस तर्क में पर्याप्त योग्यता है कि इंटरनेट का उपयोग आतंकवाद का प्रचार करने के लिए किया जा सकता है जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती मिल सकती है। यह न्यायालय केवल यह देखेगा कि शांति की उपलब्धि

और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर शांति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बोझ डाले बिना एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत विभिन्न विकल्पों पर विचार करना आवश्यक है।

संविधान, ताकि आवश्यकताओं का प्रभाव इस तरह से समाप्त हो जाए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम तरीके से बोझ डालता है। [पैरा 76] [871-जी-एच; 872-ए]

इंटरनेट शटडाउन

14. दूरसंचार सेवाओं के पूर्ण व्यापक निलंबन, चाहे वह इंटरनेट हो या अन्यथा, एक कठोर उपाय होने के कारण, राज्य द्वारा केवल 'आवश्यक' और 'अपरिहार्य' होने पर ही विचार किया जाना चाहिए। इसे आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को [2020] 1 एस. सी. आर. के अस्तित्व का आकलन करना चाहिए।

15. जिन अंतरालों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए उनमें से एक निलंबन नियमों के शीर्षक में "अस्थायी" शब्द के उपयोग से संबंधित है। उपरोक्त के बावजूद, अधिकतम अवधि का कोई संकेत नहीं है जिसके लिए निलंबन आदेश लागू हो सकता है। निर्णय के पूर्व खंड में व्याख्या की गई आनुपातिकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में, कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा निर्धारित करना आवश्यक है जब तक कि विधायिका द्वारा उपरोक्त कमी को दूर नहीं किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधानमंडल के तहत शक्ति का प्रयोग

निलंबन नियम असमान नहीं हैं। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि निलंबन नियमों के नियम 2 (5) के तहत गठित समीक्षा समिति को नियम 2 (6) के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में पिछली समीक्षा के सात कार्य दिवसों के भीतर आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। इसलिए समीक्षा समिति को केवल इस सवाल पर गौर नहीं करना चाहिए कि क्या प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, लेकिन इस सवाल पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या आदेश अभी भी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक हैं।

उसी के परिणाम। यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्य को देखते हुए

कि निलंबन नियमों के तहत विचार किए गए प्रतिबंध अस्थायी प्रकृति के हैं, उन्हें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

उस समय अवधि से आगे जो आवश्यक है। [पैरा 100] [881-डी-जी]

सी. आर. पी. सी. की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

16. धारा 144, Cr.P.C में सुरक्षा उपायों पर नीचे चर्चा की गई है और वे गहन जांच के योग्य हैं।

(क) आदेश जारी करने से पहले पूर्व जांचः धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश जारी करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट (या कोई अन्य)

प्राधिकृत मजिस्ट्रेट) की राय होनी चाहिए किः

(i) इस प्रावधान के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है अर्थात आदेश से बाधा को रोकने की संभावना है, अनुराधा भसीन v.

भारत और ओआरएस का संघ।

कानूनी रूप से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को परेशान करना या चोट पहुंचाना या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा या अशांति के लिए खतरा

सार्वजनिक शांति के लिए; और

((ii) तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार वांछनीय है। वाक्यांश "राय" से पता चलता है कि इस पर पहुंचना चाहिए।

इस प्रावधान के तहत प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के बाद।

(ख) आदेश की सामग्रीः एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट किसी राय पर पहुंच जाता है, तो वह एक लिखित आदेश जारी कर सकता है जिसमें किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया हो।

कुछ करने या किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत संपत्ति के संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता वाले अनिवार्य आदेश से। लेकिन आदेश एक व्यापक आदेश नहीं हो सकता है। होना ही चाहिए।

(ग) आदेश का संप्रेषणः आदेश को धारा 134, Cr.P.C के तहत प्रदान किए गए तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति पर जिसके खिलाफ इसे बनाया गया है। अगर इस तरह की कार्रवाई

यह व्यवहार्य नहीं है, इसे घोषणा और प्रकाशन द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को जानकारी दी जा सके। केवल आपात स्थिति के मामले में या जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जा सकता है, वहां आदेश एकतरफा पारित किया जा सकता है।

(घ) आदेश की अवधिः क्योंकि यह शक्ति केवल हो सकती है

तत्काल मामलों में लागू, क़ानून ने अस्थायी प्रतिबंधों को शामिल किया है-आदेश दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है। हालांकि, राज्य सरकार एक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144, Cr.P.C के तहत जारी आदेश को छह महीने तक बढ़ा सकती है यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने या दंगे को रोकने के लिए इसे आवश्यक समझती है।

हालांकि, मजिस्ट्रेट के लिए दो महीने की अवधि की बाहरी सीमा और राज्य सरकार के लिए छह महीने की सीमा का प्रावधान किया गया है।

धारा 144, Cr.P.C के तहत लेकिन संबंधित मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए लगाए गए हैं।

(ङ) आदेश को वापस लेते या संशोधित करते समय न्यायिक रूप से कार्य करनाः मजिस्ट्रेट अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है।

स्वयं या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर। इसी तरह, राज्य सरकार भी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेश का विस्तार करते हुए अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकती है। संशोधन या परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, यानी, व्यक्तिगत सुनवाई करने और आवेदन को अस्वीकार करने पर कारण देने की आवश्यकता होती है। ऐसे आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। [पैरा 108] [884-जी-एच; 885-बी-एच; 886 ए-सी]

17. धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेशों का आम जनता के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप गंभीर अवैधता होगी। इस शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए।

इस तरह के आदेश। आम तौर पर, इसे किसी विशेष क्षेत्र या कुछ विशेष मुद्दों तक सीमित रखा जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र को धारा 144 के तहत पारित आदेशों के तहत रखा गया था। दृष्टिकोण। जवाब में, यह प्रतिवादी का मामला है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के मामलों में आनुपातिकता सिद्धांत की अत्यधिक उपयोगिता के खिलाफ आगाह किया जाता है। [पैरा 130] [897-ई-जी] अनुराधा भसीन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

21. धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित एक आदेश दिमाग के उचित अनुप्रयोग का संकेत होना चाहिए, जो आधारित होना चाहिए। भौतिक तथ्यों और निर्देशित उपचार पर। उचित तर्क संबंधित अधिकारी के दिमाग के अनुप्रयोग को शामिल विवाद और निष्कर्ष पर पहुंचने से जोड़ता है। यांत्रिक रूप से या गुप्त तरीके से पारित आदेशों को कानून के अनुसार पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 134] [899-एफ]

22. हालाँकि 27.09.2019 पर प्रतिबंधों को कथित रूप से हटा दिया गया है, जिससे वर्तमान अभ्यास को एक

वस्तुतः शैक्षणिक रूप से, यह न्यायालय राज्य द्वारा कानून का पालन न करने की उपेक्षा नहीं कर सकता है। यह मामला केवल पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में हुए अतीत या घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के बारे में भी है, जहां इस न्यायालय को सरकार को आगाह करना है। इसलिए, अधिकारियों ने [2020] 1 एस. सी. आर. का पालन करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और कानून के शासन को बनाए रखते हैं। [पैरा 138] [900-एफ]

23. धारा 144, Cr.P.C पर कानूनी स्थिति का सारांश दिया गया है।

इस प्रकार हैः (i) धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति, उपचारात्मक होने के साथ-साथ निवारक होने के कारण, न केवल वहां प्रयोग की जा सकती है जहां मौजूद है।

(iii) धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित एक आदेश में न्यायिक समीक्षा को सक्षम करने के लिए भौतिक तथ्यों को बताना चाहिए। शक्ति। एक प्रामाणिक और उचित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, और

इसे भौतिक तथ्यों पर भरोसा करके पारित किया जाना चाहिए, जो मन के अनुप्रयोग का संकेत है। यह उपरोक्त आदेश की न्यायिक जांच को सक्षम बनाएगा।

(iv) धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, मजिस्ट्रेट अधिकारों और प्रतिबंधों को संतुलित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

आनुपातिकता के सिद्धांतों के आधार पर और उसके बाद कम से कम घुसपैठ उपाय लागू करें। [पैरा 140] [901-बी-एफ]

प्रेस की स्वतंत्रता

24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत निहित मूल्यवान और पवित्र अधिकार। यह अधिकार किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में आवश्यक है। जिसके बिना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए सूचना का हस्तांतरण या आवश्यक चर्चा नहीं हो सकती है। हालांकि, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता का तर्क कथित डराने वाले प्रभावों पर आधारित है

प्रतिबंधों को लागू करके उत्पन्न किया जाना। [पैरा 146] [904 सी]

25. शीतलन प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग शुरू में एक सीमित संदर्भ में किया गया था, कि एक व्यक्ति को व्यायाम करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

एक व्यापक अनुराधा भसीन बनाम की अस्पष्ट प्रकृति के कारण उनका संरक्षित अधिकार।

भारत और ओआरएस का संघ।

कानून। इस संबंध में, भयावह प्रभाव प्रथम संशोधन अधिकार के विश्लेषण तक ही सीमित था। फ्रेडरिक शॉयर का कार्य प्रथम संशोधन पर उनके मौलिक कार्य में एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस विश्लेषण को डेनियल जे. सोलोव द्वारा स्थापित एक नियामक में गोपनीयता और इंटरनेट उपयोग के संदर्भ में दोहराया गया था। इन पैनोप्टिकॉन चिंताओं को स्वीकार किया गया है

के. एस. पुट्टास्वामी का मामला (गोपनीयता-9 जे.) . [पैरा 148] [904-एफ-जी]

26. 'शीतलन प्रभाव सिद्धांत' का विस्तार हमेशा से रहा है।

न्यायिक संदेह के साथ देखा गया। इस मोड़ पर, लैर्ड बनाम में निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है। टैंटम, 408 यू. एस. 1 (1972), जिसमें प्रत्यर्थी ने अधिकारियों के खिलाफ एक कार्रवाई की ताकि उन्हें ठंडक प्रभाव सिद्धांत के आधार पर वैध और शांतिपूर्ण नागरिक राजनीतिक गतिविधि की निगरानी करने से रोक दिया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में, स्थापित करने के लिए सबूत की कमी के आधार पर प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया

ऐसा दावा। न्यायालय ने कहा कि " एक व्यक्तिपरक "ठंडक" के आरोप एक दावे के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं हैं विशिष्ट वर्तमान उद्देश्य हानि या भविष्य में विशिष्ट हानि का खतरा।

99

इसलिए, यह कहना कि उपरोक्त प्रतिबंध थे

असंवैधानिक क्योंकि इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर एक डरावना प्रभाव पड़ता है, आम तौर पर कुछ भी नहीं कहना या कहना है।

कुछ ऐसा जो विशुद्ध रूप से अटकलबाजी है, जब तक कि अदालत के समक्ष सबूत नहीं लाया जाता है ताकि वह एक स्पष्ट निष्कर्ष दे सके, जिसे वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। [पैरा 150] [905 डी-जी]

27. शीतलन प्रभाव का एक संभावित परीक्षण तुलनात्मक नुकसान है।

इस ढांचे में, न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विवादित प्रतिबंधों, उनकी व्यापक प्रकृति के कारण, इस अवधि के दौरान समान रूप से रखे गए व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा है।

अवधि। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह 06-08-2019 से 11-10-2019 तक अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने में सक्षम नहीं थी। हालाँकि, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया था। इस तरह के साक्ष्य को अभिलेख पर रखे बिना, एक आत्म-सेवा उद्देश्य के लिए केवल भावनात्मक तर्क से शीतल प्रभाव के वैध दावे को अलग करना असंभव होगा।

[पैरा 151] [905-एच; 906-ए-बी] [2020] 1 एस. सी. आर.

28. इस दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

ए। प्रतिवादी राज्य/सक्षम अधिकारियों को धारा के तहत सभी लागू आदेशों और भविष्य के किसी भी आदेश को प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है।

144 , Cr.P.C और इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए, ताकि प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उपयुक्त मंच के समक्ष इसे चुनौती दे सकें। बी। यह न्यायालय घोषणा करता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और (6) के तहत जनादेश के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें आनुपातिकता की कसौटी भी शामिल है।

सी। दूरसंचार के अस्थायी निलंबन के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है।

डी। निलंबन नियमों के तहत जारी इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ई. निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश यहां निर्धारित मापदंडों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

एफ. मौजूदा निलंबन नियम न तो आवधिक समीक्षा प्रदान करते हैं और न ही निलंबन नियमों के तहत जारी आदेश के लिए समय सीमा। इस अंतराल को भरने तक, निलंबन नियमों के नियम 2 (5) के तहत गठित समीक्षा समिति ने सात कार्य दिवसों के भीतर समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।

नियम 2 (6) के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में पिछली समीक्षा।

जी। प्रतिवादी राज्य/सक्षम अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया।

एच. ऊपर दिए गए कानून के अनुसार नहीं होने वाले आदेशों को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भविष्य में, यदि कोई आवश्यकता है

नए आदेश पारित करने के लिए, यहाँ निर्धारित कानून का पालन किया जाना चाहिए।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

आई. किसी भी मामले में, राज्य/संबंधित अधिकारी सख्त हैं।

एन. एस. आई. डी. आर. ने सरकारी वेबसाइटों, स्थानीय वेबसाइटों को तुरंत अनुमति दी

उन क्षेत्रों में ई-बैंकिंग सुविधाएं, अस्पताल सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं, जहां इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल की जानी हैं। [पैरा 152] [906-डी-एच; 90

राम जेठमलानी बनाम भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 1: [2011] 8 एससीआर 725; के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2019) 1 एस. सी. सी. 1; सी. पी. आई. ओ. बनाम। सुभाष चंद्र अग्रवाल, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 145; चिंतामन

राव वी. मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1951 एस. सी. 118: [1950] एस. सी. आर. 759; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196 [1952] एस. सी. आर. 597; मोहम्मद फारूक बनाम। राज्य

मध्य प्रदेश का, (1969) 1 एस. सी. सी. 853: [1970] 1 एससीआर 156; ओम कुमार बनाम। भारत संघ, (2001) 2 एस. सी. सी. 386: [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 693; बिहार राज्य बनाम कमला कांत

मिश्रा, (1969) 3 एस. सी. सी. 337 [1970] 3 एस. सी. आर. 181; बिशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 1 एस. सी. सी. 39: [1982] 1 एस. सी. आर. 1137; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एस. सी. सी. 353; आर. वी. ओक्स, [1986] 1 एससीआर 103 (कैन) एससी; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569; हुकुम चंद श्याम लाल बनाम। भारत संघ, (1976) 2 एस. सी. सी. 128: [1976] 2 एस. सी. आर. 1060; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ, (1997) 1 एस. सी. सी. 301: [1996] 10 पूरक। एससीआर 321; बी. के. श्रीनिवासन बनाम की स्थिति

कर्नाटक (1987) 1 एस. सी. सी. 658: [1987] 1 एस. सी. आर. 1054; मधु लिमये बनाम। उप-मंडल मजिस्ट्रेट,

मोंगगिर, (1970) 3 एस. सी. सी. 746: [1971] 2 एस. सी. आर. 711; मो. गुलाम अब्बास बनाम। मोहम्मद. इब्राहिम (1978) 1 एस. सी. सी. 226: [1978] 2 एससीआर 419; गुलाम अब्बास बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 1 एस. सी. सी. 71: [1982] 1 एस. सी. आर. 1077; आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम। कॉम. में से

पुलिस, कलकत्ता, (1983) 4 एससीसी 522: [1984] 1 एस. सी. आर. 447; बाबूलाल पाराटे बनाम। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 51: [1960] एस. सी. आर. 605; राम मनोहर लोहिया बनाम। बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 740: [1966] एससीआर 709; रामलीला [2020] 1 एस।

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार बनाम बंगाल क्रिकेट संघ, (1995) 2 एससीसी 161: [1995] 1 एस. सी. आर. 1036; श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 963; इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, (1985) 1 एस. सी. सी. 641: [1985] 2 एससीआर 287; ओडिसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. लोकविद्यायन संगठन, (1988) 3 एस. सी. सी. 410: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 486; मध्य भारत कपास एसोसिएशन लिमिटेड बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 634; नरेंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, [1960] 2 एससीआर 375; महाराष्ट्र राज्य बनाम। हिम्मतभाई नरभेरम राव, [1969] 2

एस. सी. आर. 392; सुशीला सॉ मिल बनाम। उड़ीसा राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 615: [1995] 2 पूरक। एससीआर 426; प्रताप फार्मा (प्रा.) लिमिटेड वी. भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 87: [1997] 3 एस. सी. आर. 492; धरम दत्त बनाम। भारत संघ, (2004) 1

कोकिंग कोल लिमिटेड (1983) 1 एस. सी. सी. 147: [1983] 1 एस. सी. आर. 1000; मेनका गांधी बनाम. भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248: [1978] 2 एस. सी. आर. 621; बिहार राज्य बनाम कमला कांत मिश्रा, (1969) 3 एस. सी. सी. 337 [1970] 3 एस. सी. आर. 181; चैनिंग अर्नोल्ड बनाम। सम्राट, (1914) 16 बम एल. आर. 544; बेनेट कोलमैन बनाम। भारत संघ, (1972) 2 एस. सी. सी. 788: [1973] 2 एस. सी. आर. 757; सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1962] 3 एससीआर 842; ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1950 एस. सी. 27: [1950] एस. सी. आर. 88; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाम।

जहूर अहमद शाह वटाली, (2019) 5 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

पूर्व पक्ष वल्लंदीघम, 28 एफ. कैस। 874 (1863)] ;

अब्राहम वी। संयुक्त राज्य अमेरिका, 250 यू. एस. 616 (1919); डेनिस

वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, 341 यू. एस. 494 (1951); ब्रांडेनबर्ग बनाम।

ओहायो, 395 यूएस 444 (1969); आर वी। गोल्डस्मिथ, [1983] 1 डब्ल्यूएलआर

151 , 155 ; क्वोक विंग हैंग और ओआरएस। वी. मुख्य कार्यपालक

परिषद में, [2019] एच. के. सी. एफ. आई. 2820; वीमन बनाम। अपडेटग्राफ, 344 यू. एस. 183; लैर्ड बनाम। टैंटम, 408 यू. एस. 1 (1972);

क्लैपर वी. एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएसए, 568 यू. एस. 113 (2013)];

इज़राइल में यातना के खिलाफ सार्वजनिक समिति v. इज़राइल, 38

आई. एल. एम. 1471 (1999)-संदर्भित।

लोन एल. फुलर, सकारात्मकतावाद और कानून के प्रति निष्ठा इसका जवाब प्रोफेसर हार्ट, द हार्वर्ड लॉ रिव्यू, 71 (4), 630,

651 [फरवरी, 1958]; ग्रेगरी एस. मैकनियल, साइबर प्रतिबंधः इंटरनेट जिहाद का मुकाबला करना, 39 मामला डब्ल्यू।

रेस। जे. इंटरनेशनल एल. 789 (2007); काई मोलर, कंस्ट्रक्टिंग

आनुपातिकता परीक्षणः एक उभरता हुआ वैश्विक

वार्तालाप, तर्क अधिकार तुलनात्मक न्यायिक

सगाई (हार्ट पब्लिशिंग, 2014); रॉबर्ट अलेक्सी, ए

संवैधानिक अधिकारों का सिद्धांत (ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड)

यूनिवर्सिटी प्रेस, (2002) 47-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

(2019) 5 एससीसी 1

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1960] एससीआर 605

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[1971] 2 एससीआर 711

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2011] 8 एससीआर 725

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[1995] 1 एससीआर 1036

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

[2015] 5 एससीआर 963

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1985] 2 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1988] 1 पूरक। एससीआर 486

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1954 एस. सी. 634

पैरा

32 [2020] 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 एससीआर 375

[1960]

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1969] 2 एससीआर 392

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1995] 2 पूरक। एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1997] 3 एससीआर 492

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[2003] 6 पूरक। एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[2005] 4 पूरक। एससीआर 582

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[1981] 1 एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[1983] 1 एससीआर 1000

पैरा

34

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 759

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[1952] एससीआर 597

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[1970] 1 एससीआर 156

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[2000] 4 पूरक। एससीआर 693

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[1970] 3 एससीआर 181

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

[1982] 1 एससीआर 1137

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

(2016) 7 एस. सी. सी. 353

उस पर भरोसा करें

पैरा

54

[1986] 1 एस. सी. आर. 103 (कैन) एस. सी. ने भरोसा किया

पैरा

57

(2019) 1 एससीसी 1

पैरा

66

उस पर भरोसा करें

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

79

[1976] 2 एससीआर 1060

उस पर भरोसा करें

पैरा

90

[1996] 10 पूरक। एससीआर 321

उस पर भरोसा करें

पैरा

91

[1987] 1 एससीआर 1054

उस पर भरोसा करें

पैरा

96

[1970] 3 एससीआर 181

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर 419

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

[1982] 1 एससीआर 1077

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

[1984] 1 एससीआर 447

उस पर भरोसा करें

पैरा 11 अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[2012] 4 एससीआर 971

उस पर भरोसा करें

पैरा

115

[1966] एससीआर 709

उस पर भरोसा करें

पैरा

120

[2004] 3 एससीआर 652

उस पर भरोसा करें

पैरा

131

[1973] 2 एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पैरा

143

[1962] 3 एससीआर 842

संदर्भित किया गया है

पैरा

143

[1950] एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

149

[1970] 3 एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

149

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1031 2019 से।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ

2019 की लिखित याचिका (सी) संख्या 1164।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, विक्रमजीत

बनर्जी, ए. एस. जी., कपिल सिब्बल, हुज़ेफा अहमदी, दुष्यंत दवे, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री वृंदा ग्रोवर, सुश्री सुमिता हजारिका, निजाम पाशा, शादन फरासत, सुश्री जाह्नवी सिंधु, सुश्री श्रुति नारायण, सिद्धार्थ, भक्त गुप्ता, सुश्री आस्था शर्मा, अपार गुप्ता, अमजिद मकबूल, सुश्री वृंदा भंडारी, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, सुश्री देवदत्ता मुखोपाध्याय, सुश्री दीपाली द्विवेदी, सोइब क्काराशी, सुश्री रश्मि सिंह, धनजय सूद, सुश्री राहिला और यास्मीन, फुजैल अहमद अयूबी, अंकुर तलवार, रजत नायर, कानू अग्रवाल, आयुष आनंद। सुश्री अनिंदिता बर्मन, शांतनु शर्मा, भुवन कपूर, बी. वी. बलराम दास, सुधाकर कुलवंत, सुश्री शशि जुनेजा, सत्यजीत कुमार, देबाशीष मिश्रा, कुंदन कुमार मिश्रा, आर. सी. पॉल कनकराज, डॉ. सनातन राय चौधरी, जगदेव। सुश्री परीना स्वरूप, एम. एस. विनायक, डॉ. समसुद्दीन खान चौधरी, सुश्री मीरा भाटिया, रजनीश कुमार, सुश्री अल्पना शर्मा, मानव, परवेज बशीस्ता, डॉ. सुनील कुमार, प्रदीप कुमार कौशिक, आर. शरत, शशिंद्र त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार शर्मा, जय प्रकाश सोमानी, सुश्री हरविंदर चौधरी, डॉ. निशेष शर्मा, संदीप गोरसी, साहित्य सिंह श्रीवास्तव, सुश्री एकता कालरा, अनिल कुमार, अंशुमन अशोक, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

0] 1 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय

सामग्री की सारणी

परिचय

ए.

विवादात्मक बातें

बी.

मुद्दे

सी.

आदेशों का उत्पादन

डी.

भाग III के तहत मौलिक अधिकार और प्रतिबंध

ई.

वहाँ से

इंटरनेट बंद

एफ.

धारा 144, Cr.P.C के तहत प्रतिबंध।

जी.

प्रेस की स्वतंत्रता

एच.

निष्कर्ष

आई.

एन. वी. रमना, जे.

ए. परिचय

" यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था,

हम सब सीधे स्वर्ग जा रहे थे, हम सब जा रहे थे दूसरे तरीके से

संक्षेप में, यह अवधि अब तक वर्तमान अवधि की तरह थी,

इसके कुछ शोर मचाने वाले अधिकारियों ने इसे रसीद होने पर जोर दिया।

अच्छे या बुरे के लिए, तुलना की उत्कृष्ट डिग्री में

केवल "।

-ए टेल ऑफ टू सी में चार्ल्स डिकेंस

1. हालाँकि हमारे दिल में "पृथ्वी पर स्वर्ग" के रूप में पोषित है

इस खूबसूरत भूमि का इतिहास हिंसा और उग्रवाद से भरा हुआ है। हिमालय के पहाड़ों में शांति है, फिर भी खून बहाया जाता है। अंतर्निहित विरोधाभासों की इस भूमि में, ये याचिकाएं अनुराधा भसीन बनाम में जोड़ती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

जिसमें दोनों पक्षों ने दो अलग-अलग चित्र दिखाए हैं जो पूरी तरह से विपरीत और तथ्यात्मक रूप से अपरिवर्तनीय हैं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय का कार्य उसके सामने कार्य के परिमाण से जटिल हो जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह न्यायालय इसमें लिए गए निर्णय की राजनीतिक औचित्य पर विचार नहीं करेगा, जिस पर कार्रवाई करने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है। हमारा सीमित दायरा स्वतंत्रता और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाना है ताकि जीवन के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके और सर्वोत्तम संभव तरीके से आनंद लिया जा सके।

2. स्वतंत्रता और सुरक्षा हमेशा परस्पर विरोधी रहे हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि हमें और क्या चाहिए, स्वतंत्रता या सुरक्षा? हालाँकि चुनाव चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन हमें बयानबाजी से खुद को अलग करने और एक सार्थक जवाब देने की आवश्यकता है।

ताकि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त स्वतंत्रता मिले। वरीयता के पेंडुलम को किसी भी चरम दिशा में झूलना नहीं चाहिए

कि एक वरीयता दूसरे से समझौता करती है। यह जवाब देना हमारी ताकत नहीं है कि क्या सुरक्षित रहने के बजाय स्वतंत्र होना बेहतर है या स्वतंत्र होने के बजाय सुरक्षित रहना बेहतर है। हालाँकि, हम यहाँ केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि नागरिकों को एक ही समय में सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी स्थिति में उच्चतम सीमा तक सभी अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

3. इस मुद्दे की उत्पत्ति नागरिक सचिवालय, गृह विभाग, जम्मू सरकार द्वारा जारी सुरक्षा परामर्श के साथ शुरू होती है और

कश्मीर, पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को अपने प्रवास को कम करने और सुरक्षा के हित में उनकी वापसी की व्यवस्था करने की सलाह देता है। इसके बाद, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों को आदेश दिया गया

अगले आदेश तक बंद रहें। 04.08.2019 पर, घाटी में मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं, लैंडलाइन कनेक्टिविटी सभी को बंद कर दिया गया था, साथ ही कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाया गया था।

4. 05.08.2019 पर, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आदेश 272 जारी किया गया था, जो भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य पर लागू करता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू करने में अनुच्छेद 367 (व्याख्या) को संशोधित करना। मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में, उसी दिन, जिला मजिस्ट्रेटों ने शांति और शांति के उल्लंघन की आशंका जताते हुए, धारा 144, Cr.P.C के तहत निहित शक्तियों के आधार पर आवाजाही और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता (ग) 2019 की सं. 1031 में दावा किया गया है कि पत्रकारों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध था और 05.08.2019 पर, कश्मीर टाइम्स श्रीनगर संस्करण वितरित नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 06.08.2019 के बाद से, उसके पास [2020] 1 एस. सी. आर. है।

उपरोक्त प्रतिबंधों के अनुसार कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर संस्करण को प्रकाशित करने में असमर्थ रहा।

5. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं (सुश्री अनुराधा भसीन और श्री गुलाम नबी आजाद) ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

संविधान उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए किसी भी और सभी आदेश (आदेशों), अधिसूचना (आदेशों), निर्देश (आदेशों) और/या परिपत्र (आदेशों) को अलग करने या रद्द करने के लिए एक उचित रिट जारी करने की मांग करता है, जिसके तहत

इंटरनेट, मोबाइल और फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाओं सहित संचार को बंद कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है या किसी भी तरह से कर दिया गया है।

किसी भी इलाके में दुर्गम या अनुपलब्ध। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने एक उचित रिट या निर्देश जारी करने की मांग की जिसमें उत्तरदाताओं को पूरे जम्मू और कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी साधनों को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाए ताकि मीडिया को अपने पेशे का अभ्यास करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता (ग) 2019 की सं. 1031 ने उत्तरदाताओं को संवाददाताओं की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हुए कोई भी उचित रिट या निर्देश पारित करने का भी अनुरोध किया और

पत्रकार और अन्य मीडिया कर्मी। अंत में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी अनुरोध किया कि मीडिया कर्मियों के समाचारों की रिपोर्ट करने और प्रकाशित करने के अधिकारों और साधनों में अनुचित रूप से कटौती न की जाए।

6. इसके अलावा, श्री गुलाम नबी आज़ाद (डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता) (ग) 2019 का सं. 1164), आरोप लगाता है कि उसे अपनी यात्रा करने से रोक दिया गया था।

जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्र। इस संदर्भ में उनका आरोप है कि उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं।

7. जब डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 का सं. 1164 (श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा), इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ के समक्ष 16.09.2019 पर सूचीबद्ध किया गया था,

निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" नोटिस जारी करें।

हम याचिकाकर्ता को श्रीनगर जाने और निम्नलिखित स्थानों पर जाने की अनुमति देते हैं।

जिले, प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई होः (i) श्रीनगर, (ii) अनंतनाग, (iii) बारामूला और (iv) जम्मू।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष अपनी मर्जी से कहा है कि वह अपनी यात्रा के दौरान किसी भी राजनीतिक रैली या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यह यात्रा केवल लोगों के जीवन पर वर्तमान स्थिति के प्रभाव का आकलन करने से संबंधित होगी। दैनिक वेतन भोगी, यदि कोई हो।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

जहाँ तक रिट याचिका की प्रार्थनाओं (2) और (3) का संबंध है, राज्य के साथ-साथ भारत संघ भी दो के भीतर जवाब देगा।

हफ्तों बाद। ”

8. जब डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 का सं. 1031,16.08.2019 पर सूचीबद्ध था, हैटर को डब्ल्यू. पी. के साथ टैग करने का आदेश दिया गया था। (ग) (पाँच-न्यायाधीश पीठ) की सं. 1013 और बाद में डी-टैग किया गया। 16.09.2019 पर, a

इस न्यायालय की न्यायिक पीठ ने निम्नलिखित आदेश दियाः

राष्ट्रीय सुरक्षा को, यदि आवश्यक हो तो चुनिंदा आधार पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सामान्य किया जाएगा। जब उक्त रिट याचिका इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी

0.2019 , समीचीनता के आलोक में, इस पीठ ने निर्देश दिया कि आगे किसी भी वेंशन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, आवेदनों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई थीध्यान दें। जब मामला अगली तारीख को सुनवाई के लिए आया

0.2019 , निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" जब ये मामले आज सुनवाई के लिए आए, तो भारत संघ की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इन मामलों में जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद कुछ और घटनाक्रम हुए हैं और कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं

लागू किए गए नियमों में ढील दी गई है, विशेष रूप से मोबाइल संपर्क के साथ-साथ लैंडलाइन सेवाओं आदि के संदर्भ में और इसलिए, वह कदमों का संकेत देते हुए एक और अतिरिक्त हलफनामा दायर करना चाहते हैं सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में लिया गया। उन्होंने केवल एक सप्ताह के लिए उन्हें समायोजित करने का अनुरोध भी किया। सुनवाई के दौरान, हमें विद्वानों द्वारा सूचित किया जाता है

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश

उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जब हमने विद्वान सॉलिसिटर जनरल से प्रतिबंधों [2020] 1 एस. सी. आर. से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों की आपूर्ति न करने के बारे में पूछा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से सेल फोन सेवाओं के साथ-साथ धारा 144 की कार्यवाही के संबंध में लगाया गया, वह उन आदेशों पर विशेषाधिकार का दावा करता है। हालाँकि, उनका कहना है कि उन आदेशों को प्रस्तुत किया जा सकता है

इस न्यायालय के समक्ष।

हालाँकि, यदि किसी भी कारण से, विद्वान सॉलिसिटर जनरल याचिकाकर्ताओं को उन आदेशों की एक प्रति नहीं देना चाहते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह के विशेषाधिकार का दावा करने के कारणों का संकेत देते हुए एक हलफनामा दायर करें।

24.10.2019 पर, उपरोक्त आदेशों को रिकॉर्ड लीडिंग पर रखने के बाद, मामले को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया गया था

. 2019 . पक्षों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के वकील के साथ-साथ 05.11.2019,06.11.2019,07.11.2019,14.11.2019, पर सभी वीनरों को व्यापक रूप से सुना। 2019 , 21.11.2019 , 26.11.2019 और 27.11.2019, और हमारे सामने रखे गए सभी आक्षेपों और दस्तावेजों पर विचार किया।

B. सामग्री

सुश्री वृंदा ग्रोवर, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता की वकील (सी)

1031 2019 का

यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता, प्रमुख समाचार पत्रों में से एक के कार्यकारी संपादक होने के नाते, प्रेस पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण 05.08.2019 के पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं था।

इंटरनेट सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण प्रिंट मीडिया पूरी तरह से बंद हो गया, जो उनके विचार में इंटरनेट सेवाओं के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

आधुनिक प्रेस। इंटरनेट में कटौती , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक प्रतिबंध है, इसका परीक्षण तर्कसंगतता के आधार पर किया जाना चाहिए और

आनुपातिकता।

इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी है, वह अस्थायी निलंबन के तहत प्रदान की जाती है।

दूरसंचार सेवा (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा) नियम, 2017 [इसके बाद "निलंबन नियम"], जिन्हें टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। निलंबन नियम इंगित करते हैं कि लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी माना गया था।

प्रकृति।

नूराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

इंटरनेट और फोन (या तो मोबाइल या टेलीफोन) से संबंधित प्रतिबंधों के संबंध में जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए निलंबन नियमों के तहत पारित आदेश प्रत्यक्ष रूप से विकृत थे और इसका उपयोग न करने से पीड़ित थे।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश में नहीं थे निलंबन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन। इसके अलावा, आदेशों में कोई तर्क नहीं दिया गया था

प्रतिबंधों की आवश्यकता, जैसा कि इसके तहत आवश्यक है

निलंबन नियम।

अंत में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आदेश इस आशंका पर आधारित हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा होगा। सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था के समान नहीं है, और उस समय की स्थिति जब आदेश पारित किए गए थे, प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप आदेशों को पारित करने की आवश्यकता नहीं थी।

आर. कपिल सिब्बल, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील।

1164 2019 का

अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था, और विशेषाधिकार का विषय नहीं हो सकता था, जैसा कि राज्य द्वारा दावा किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि तर्क के दौरान दस्तावेजों और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में राज्य का आचरण अनुचित था, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अनुमति नहीं देता था।

उसी का खंडन करने का अवसर।

प्रतिबंध लगाने के लिए वर्तमान मामले में कोई 'आंतरिक गड़बड़ी' और न ही कोई 'बाहरी आक्रामकता' दिखाई गई है। जो आपातकाल की घोषणा के समान हैं।

धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आंदोलन को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस तरह का आदेश 'कानून और व्यवस्था' की स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है, लेकिन आदेश किसी भी मौजूदा कानून और व्यवस्था के मुद्दे का संकेत नहीं देते हैं।

या उसकी आशंका।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि के आदेश

धारा 144, Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट को आम तौर पर जनता के पास नहीं भेजा जा सकता है, और विशेष रूप से उन लोगों या समूह के खिलाफ होना चाहिए जिन्हें शांति भंग करने के लिए पकड़ा जाता है। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाए और पूरे राज्य को रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि उन आदेशों को पारित करने से पहले दिमाग का कोई उपयोग नहीं था।

यह प्रस्तुत करते हुए कि यह माना जा सकता है कि धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश पारित करने के उद्देश्य से कुछ सामग्री उपलब्ध थी, तब जो सवाल उठता है वह यह है कि राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को कैसे संतुलित करता है।

वरिष्ठ वकील ने संचार प्रतिबंधों के संबंध में कहा कि राज्य ने लैंडलाइन सेवाओं को अवरुद्ध करने की आवश्यकता के बारे में संकेत नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा कि संचार/इंटरनेट प्रतिबंध जो लगाए गए थे

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 [इसके बाद "टेलीग्राफ अधिनियम"] के तहत धारा 5 के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुरूप टेलीग्राफ अधिनियम। जबकि

कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, कोई व्यापक आदेश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह पूर्ण प्रतिबंध के बराबर होगा। इसके बजाय, सोशल मीडिया/जन संचार और सामान्य इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते समय एक अंतर निकाला जाना चाहिए। कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्प रखा जाना चाहिए और राज्य को निवारक या सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए थे। अंततः, राज्य को अपने मौलिक अधिकारों के वैध प्रयोग के साथ लोगों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता है।

इंटरनेट प्रतिबंधों पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के प्रतिबंध न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करते हैं व्यक्तियों का लेकिन व्यापार के उनके अधिकार को भी बाधित करता है। इसलिए, एक कम प्रतिबंधात्मक उपाय, जैसे कि केवल फेसबुक और वॉट्सऐप जैसी सोशल मीडिया वेबसाइटों को प्रतिबंधित करना, पारित किया जाना चाहिए था और किया जा सकता था, जैसा कि भारत में मानव तस्करी और बाल पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को प्रतिबंधित करते हुए किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2017 में बिहार और जम्मू-कश्मीर में पारित आदेशों की ओर इशारा किया, जिसमें केवल सोशल मीडिया वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया गया था, और प्रस्तुत किया कि इस मामले में भी इसका पालन किया जा सकता था।

नूराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

यह संकेत देते हुए कि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने "कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय" के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया जिसे पारित किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रस्तुत किया कि प्रतिबंध लगाते समय, के अधिकार

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों को राज्य के कर्तव्य के खिलाफ संतुलित होने की आवश्यकता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे लोग अपना जीवन जारी रख सकें, जैसे - काम और स्कूलों के लिए सार्वजनिक परिवहन, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए,

आदि।

आर. हुज़ेफा अहमदी, आई. ए. में मध्यस्थ के लिए वरिष्ठ वकील।

141 डब्ल्यू. पी. में 2019 का (ग) 2019 की सं. 1031

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस शब्द पर जोर दिया " "उचित", जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उपयोग किया गया है, और प्रस्तुत किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अनिवार्य रूप से उचित होना चाहिए। इन प्रतिबंधों का परीक्षण करने की आवश्यकता है

आनुपातिकता।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 144, Cr.P.C. आदेश कुछ वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होने चाहिए न कि

केवल अनुमानों पर।

आर. दुष्यंत दवे, हस्तक्षेपकर्ता के वरिष्ठ वकील

139555 डब्ल्यू. पी. में (ग) 2019 की सं. 1031

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने या आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपायों को नागरिकों के अधिकारों के साथ संतुलित करने का मुद्दा एक ऐसा प्रयास है जो अद्वितीय नहीं है, और विभिन्न क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों द्वारा किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया

संबंधित इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सामान्य सुरक्षा सेवा की पूछताछ की वैधता

इज़राइल, 38 आई. एल. एम. 1471 (1999) के प्रश्न से संबंधित क्या किसी कथित आतंकवादी से पूछताछ के दौरान यातना की अनुमति थी। उस मामले में, इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के कार्य असंवैधानिक थे, और नागरिकों को दी गई स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं के आलोक में उचित नहीं ठहराया जा सकता था।

इज़राइल।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्थिति के बीच समानताएं दिखाईं उपर्युक्त मामले में इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामना किया गया, और इस न्यायालय के समक्ष, जिसमें विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, राज्य जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रचलित परिस्थितियों के कारण प्रतिबंधों को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के

औचित्य अस्वीकृति के योग्य है क्योंकि यह अनुदान देने के बराबर भी होगा।

राज्य को व्यापक प्रतिबंध लगाने की बहुत अधिक शक्ति विभिन्न स्थितियों में मौलिक अधिकार। यह राशि होगी

व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक नियंत्रण द्वारा समाहित की जा रही है।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने गंभीरता पर जोर दिया

वर्तमान मामले में, यह कहते हुए कि इस तरह के प्रतिबंध

मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 को भाग III में एक मौलिक अधिकार के रूप में रखने का कारण है, जो अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने की अनुमति देता है। उन्होंने संविधान सभा की बहसों का उल्लेख किया

संविधान सभा के सदस्यों द्वारा विचार किए गए अनुच्छेद 32 का महत्व।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष भारत सरकार की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 को भी रखा और

प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध उपरोक्त नीति के उल्लंघन में हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को दिन के ज्वलंत विषय पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए है, जिसमें शामिल हैं

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना।

अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि

जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे अस्थायी प्रकृति के हैं, जो 100 दिनों से अधिक समय तक चले हैं, इस तथ्य को इस न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[एस. मीनाक्षी अरोड़ा, डब्ल्यू. पी. में मध्यस्थ संख्या 140276 की वरिष्ठ वकील। (ग) 2019 की सं. 1031

विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि के अनुच्छेद 19 और 21

संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की कोई भी कार्रवाई आवश्यक है

पाँच आवश्यक विशेषताओं को प्रदर्शित करेंः (क) 'कानून' का समर्थन, (ख) उद्देश्य की वैधता, (ग) अधिनियम का तर्कसंगत संबंध और

उद्देश्य, (घ) क्रिया की आवश्यकता, और (ङ) जब उपरोक्त

चार स्थापित किए जाते हैं, फिर आनुपातिकता का परीक्षण।

नूराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

शुरुआत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेशों की वैधता का परीक्षण करना आवश्यक है

पारित होने की तारीख को प्रचलित तथ्य और परिस्थितियाँ

उक्त आदेश, अर्थात 04.08.2019।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि जो आदेश प्रकाशित नहीं किए गए हैं, उन्हें कानून का बल नहीं दिया जा सकता है। कानून के प्रकाशन की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के शासन का एक हिस्सा है। न केवल आदेशों को प्रकाशित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि इन आदेशों को उपलब्ध और सुलभ बनाया जाए।

जनता के लिए। राज्य न्यायालय के समक्ष आदेश प्रस्तुत करने या किसी विशेषाधिकार का दावा करने से इनकार नहीं कर सकता है।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि,

जिन प्रतिबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यह डर भी कि इस तरह के प्रतिबंध लोगों के दिमाग में पैदा होते हैं, उपायों की आनुपातिकता को देखते हुए।

आर. संजय हेगड़े, डब्ल्यू. पी. ओ. में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील। 225 2019 का

हालाँकि इस रिट याचिका को बहस के दौरान वापस ले लिया गया था, लेकिन विद्वान वरिष्ठ वकील कुछ प्रस्तुतियाँ करना चाहते थे।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि हालाँकि वह और उसका परिवार कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, फिर भी वे प्रतिबंधों के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का हवाला देते हुए लिवर्जिज वी। एंडरसन, (1941) 3 ऑल ई. आर. 338 विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह लॉर्ड एटकिन, [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा असहमति थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना

राज्य, जो अब देश का कानून है।

[आर. के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी

विद्वान महान्यायवादी ने महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवाद की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण पर भरोसा करना v. विद्वान महान्यायवादी जहूर अहमद शाह वटाली, 2019 (5) एस. सी. सी. 1 ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय लेते हुए राज्य में आतंकवाद की समस्या का पहले भी संज्ञान लिया है।

सीमा पार आतंकवाद और आंतरिक उग्रवाद के बारे में तथ्य, कोई निवारक कदम नहीं उठाना मूर्खतापूर्ण होता परिस्थितियों में उपाय। धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेशों की आवश्यकता पृष्ठभूमि से स्पष्ट है।

तथ्य और परिस्थितियाँ, जब सरकार ने इस तरह के उपाय नहीं किए तो भारी हिंसा हो सकती है। वास्तव में, सरकार द्वारा इससे पहले 2016 में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे

जब राज्य में एक आतंकवादी मारा गया था।

[आर. तुषार मेहता, जम्मू राज्य के सॉलिसिटर जनरल

हमिर

विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि पहला और

राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों-उनके जीवन, अंगों और संपत्ति की रक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों द्वारा जिन तथ्यों पर भरोसा किया गया था, वे गलत थे, क्योंकि उनके पास जम्मू राज्य में जमीनी स्तर पर तथ्यात्मक स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं थी

और कश्मीर।

राज्य द्वारा उठाए गए उपायों को समझने के लिए देखा जाना चाहिए। राज्य भौतिक और डिजिटल क्रॉस दोनों का शिकार रहा है सीमा आतंकवाद।

05.08.2019 पर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसके परिणामस्वरूप नूराधा भसीन बनाम को हटाया नहीं गया।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के अधिकार, लेकिन उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करना जो उन्हें कभी नहीं मिले थे। अब, निरस्त होने के साथ, जम्मू और कश्मीर राज्य में 106 जन अनुकूल कानून लागू हो गए हैं।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना गलत था कि सार्वजनिक आवाजाही प्रतिबंधित थी। वास्तव में, व्यक्तिगत आवाजाही पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, जबकि स्कूल शुरू में बंद थे, अब उन्हें फिर से खोल दिया गया है। किसी क्षेत्र के तथ्यों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए थे जिनमें अब धीरे-धीरे ढील दी जा रही है।

मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेशों पर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि वे जमीनी स्थिति को जानने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थे, और फिर उसी के अनुसार अपने-अपने निर्णय लिए। वर्तमान में प्रतिबंधों में लगभग सौ प्रतिशत छूट दी गई है। खतरे की धारणा के आधार पर प्रतिबंधों में ढील दी जा रही थी। लद्दाख क्षेत्र में कभी प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। इस तथ्य से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करते समय दिमाग का उपयोग किया गया था, और यह कि कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं था, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया जा रहा है।

इसके अलावा, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने यह इंगित करने के लिए विभिन्न आंकड़ों की ओर इशारा किया कि लोग राज्य में अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो चैनल काम कर रहे हैं, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, जहां याचिकाकर्ता डब्ल्यूपी में है। (ग) 2019 की सं. 1031 स्थित है। विद्वान महान्यायवादी ने आगे संकेत दिया कि सरकार ने

यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय किए गए कि जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए निवारक प्रकृति के हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी आदेश पारित कर सकता है, और इसे एक त्वरित तंत्र माना जाता है। पारित आदेशों पर राज्य के इतिहास और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाबूलाल पराटे बनाम पर भरोसा करना। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 51, और मधु लिमये बनाम। उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोंगगिर, (1970) 3 एस. सी. सी. 746, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत किया कि जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थिति ऐसी थी कि आदेशों को देखते हुए उचित ठहराया जा सकता था

"राज्य की सुरक्षा" का रखरखाव। याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बारे में कि प्रतिबंध विशिष्ट व्यक्तियों पर लगाए जा सकते थे, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा

प्रस्तुत किया कि परेशानी पैदा करने वालों को आम नागरिकों से अलग करना और नियंत्रित करना असंभव था।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि पर्याप्त थे

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय धारा 144, Cr.P.C के तहत प्रतिबंध लगाने के निर्णय की अपील में नहीं बैठता है और हस्तक्षेप करने के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र है, विशेष रूप से जब अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाए जाते हैं और जब प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का होता है। आवश्यक प्रतिबंध का स्तर उन अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है जो आवश्यक जानकारी और ज्ञान के साथ जमीन पर हैं, और इसे अदालतों की राय से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। संचार और इंटरनेट बंद करने के संबंध में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में इंटरनेट कभी प्रतिबंधित नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सोशल मीडिया, जो लोगों को एक ही समय में कई लोगों के साथ संदेश भेजने और संवाद करने की अनुमति देता है, का उपयोग हिंसा भड़काने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इंटरनेट के सीमित और प्रतिबंधित उपयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के बाहर से लक्षित संदेशों से जमीनी स्थिति न बिगड़े। इसके अलावा, इंटरनेट झूठी खबरों या नकली छवियों के प्रसारण की अनुमति देता है, जिनका उपयोग फिर हिंसा फैलाने के लिए किया जाता है। डार्क वेब व्यक्तियों को आसानी से हथियार और अवैध पदार्थ खरीदने की अनुमति देता है।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि समाचार पत्रों से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायशास्त्र को इंटरनेट पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मीडिया अलग-अलग हैं। जबकि समाचार पत्र

केवल एक तरफा संचार की अनुमति है, इंटरनेट दो तरफा संचार करता है जिसके द्वारा संदेशों का प्रसार बहुत अधिक होता है आसान है। न्यायालय द्वारा दोनों मीडिया के संबंध में प्रतिबंधों से निपटने के दौरान अलग-अलग संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की विभिन्न तस्वीरों, ट्वीट्स और संदेशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये बयान अत्यधिक भ्रामक, अपघर्षक और भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।

इसके अलावा, केवल कुछ वेबसाइटों/भागों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है।

अन्य भागों तक पहुंच की अनुमति देते हुए इंटरनेट। इस तरह की

इससे पहले 2017 में इस उपाय का प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था

सफल हुए। अंत में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि निलंबन नियमों के तहत पारित आदेश निलंबन नियमों में प्रक्रिया के अनुपालन में पारित किए गए थे, और किए जा रहे हैं

उसी के संदर्भ में सख्ती से समीक्षा की गई।

9. कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई प्रस्तुतियों का समर्थन किया है, और संकेत दिया है कि प्रतिबंध आवश्यक थे और कानून के अनुपालन में थे।उन्होंने यह भी कहा है कि जम्मू राज्य में सामान्य स्थिति लौट रही है

अशमीर, और यह कि वर्तमान याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।

ग. मुद्दे

10. उपरोक्त तथ्यों और तर्कों के अनुरूप, निम्नलिखित

हमारे विचार के लिए कानून के आयन उत्पन्न होते हैं:

क्या सरकार छूट का दावा कर सकती है

आई.

धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित सभी आदेशों को प्रस्तुत करना।

और निलंबन नियमों के तहत अन्य आदेश?

II. क्या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और

किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी पेशे को जारी रखने की स्वतंत्रता इंटरनेट पर व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है?

III. क्या सरकार की इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई

पहुँच वैध है?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

IV. क्या धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू करना,

Cr.P.C. वैध थे?

वी.

क्या डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता की प्रेस की स्वतंत्रता।

(ग) प्रतिबंधों के कारण 2019 की सं. 1031 का उल्लंघन किया गया था?

D.PRODUCTION आदेशों का

12. साथ ही, जबकि उत्तरदाता-राज्य द्वारा आदेशों की अनुपलब्धता से इनकार नहीं किया गया था, उन्होंने उक्त आदेशों को प्रस्तुत नहीं किया। वास्तव में, जब इस न्यायालय ने दिनांक 16.10.2019 के आदेश द्वारा उन्हें आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो प्रतिवादी-राज्य ने कई आदेशों को प्रस्तुत करने में कठिनाई का हवाला देते हुए केवल नमूना आदेशों को रिकॉर्ड पर रखा, जो जारी किए जा रहे थे। प्रतिदिन के आधार पर वापस लिया गया और संशोधित किया गया। प्रत्यर्थी-राज्य ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश प्रस्तुत करने की याचिका वर्तमान याचिकाओं के दायरे का विस्तार थी।

उत्तरदाता-राज्य। डब्ल्यू. पी. में (ग) 2019 की सं. 1164 और आई. ए. सं. 157139 आई. ए. में नहीं। 139555 डब्ल्यू. पी. में 2019 का (ग) 2019 की सं. 1031 में एक प्रार्थना है - प्रत्यर्थी सं. को निर्देश देते हुए आदेश पत्र या कोई अन्य रिट जारी करने के लिए बनाया गया है। 1 और 2 उन सभी आदेशों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके द्वारा 04.08.2019 के बाद से सभी व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, उन सभी आदेशों को प्रस्तुत करने की भी मांग की गई है जिनके माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य में संचार को अवरुद्ध कर दिया गया है।

14. जानकारी का खुलासा करने के लिए राज्य के दायित्व पर,

विशेष रूप से एक रिट कार्यवाही में, यह न्यायालय राम जेठमलानी बनाम. भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 1, निम्नलिखित रूप में मनाया गयाः

" 75. ताकि अनुच्छेद 32 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार

सार्थक हो, और विशेष रूप से क्योंकि ऐसी याचिकाएं मांगती हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यह अनिवार्य है कि

ऐसी कार्यवाहियों से याचिकाकर्ताओं को अनुराधा भसीन v से वंचित नहीं किया जाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

उन्हें ठीक से स्पष्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी मामला और सुनवाई की जाए, विशेष रूप से जहां ऐसी जानकारी है

राज्य का अधिकार "।

(जोर दिया गया)

15. हम ध्यान दे सकते हैं कि तर्क दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं।

जो हमें पारित आदेशों के उत्पादन का आदेश देने के लिए अनिवार्य करता है

इस मामले में अधिकारी। सबसे पहले, संविधान के अनुच्छेद 19 की व्याख्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सूचना के अधिकार को अनिवार्य करने के लिए की गई है। एक लोकतंत्र, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ लेता है, अनिवार्य रूप से आदेशों के उत्पादन को अनिवार्य करता है क्योंकि यह एक व्यक्ति का जानने का अधिकार है। इसके अलावा, मौलिक अधिकार स्वयं एक गुणात्मक आवश्यकता को दर्शाते हैं जिसमें राज्य को संविधान के भाग III को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होता है और इन अधिकारों को एक निहित तरीके से या आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से नहीं लेना होता है।

तरीके से।

16. दूसरा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लोकतंत्र में मुक्त प्रवाह होता है

जानकारी। इसके तहत केवल एक मानक अपेक्षा नहीं है

संविधान, लेकिन प्राकृतिक कानून के तहत एक आवश्यकता यह भी है कि कोई भी कानून गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि लोन एल. फुलर ने अपने प्रसिद्ध लेख में सुझाव दिया है कि "इससे बड़ी कोई कानूनी राक्षसी नहीं हो सकती है।

गुप्त कानून "। 1 इस संबंध में, जेरेमी बेंथम ने खुले न्याय के बारे में "परिश्रम के लिए सबसे तीव्र प्रेरणा" के रूप में बात की। इसी संदर्भ में, जेम्स मैडिसन ने कहा कि "लोकप्रिय जानकारी के बिना, अपोपुलर सरकार, या

इसे प्राप्त करने का साधन केवल एक प्रहसन या त्रासदी या शायद दोनों की प्रस्तावना है। ज्ञान हमेशा अज्ञानता को नियंत्रित करेगा और जो लोग अपने स्वयं के राज्यपाल होने का मतलब रखते हैं, उन्हें ज्ञान द्वारा दी गई शक्ति से खुद को लैस करना चाहिए।

17. एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, एक चुनौती के बारे में बनाया जा रहा है

राज्य द्वारा पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों में कटौती, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि सभी प्रासंगिक आदेश न्यायालय के समक्ष रखे जाएं, जब तक कि विशेषाधिकार या सार्वजनिक हित को संतुलित करने का कोई विशिष्ट आधार न हो, जिसका राज्य द्वारा शपथ पत्र पर विशेष रूप से दावा किया

जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेषाधिकार या सार्वजनिक हित

1 लोन एल. फुलर, सकारात्मकतावाद और कानून के प्रति निष्ठा प्रोफेसर हार्ट को एक जवाब, द हार्वर्ड

विधि समीक्षा, 71 (4), 630,651 [फरवरी, 1958]।

राज्य का दावा याचिकाकर्ता के हितों पर हावी हो जाता है। आदेश के ऐसे हिस्से को संशोधित किया जा सकता है या ऐसी सामग्री को विशेषाधिकार प्राप्त के रूप में दावा किया जा सकता है, यदि राज्य कानून के तहत अनुमत आधारों पर इस तरह के संशोधन को उचित ठहराता है।

18. वर्तमान मामले में, जबकि राज्य ने शुरू में विशेषाधिकार का दावा किया था, बाद में उसने दावा वापस ले लिया और कुछ नमूना आदेश प्रस्तुत किए,

इस न्यायालय के समक्ष सभी आदेशों को प्रस्तुत करने में कठिनाई का हवाला देते हुए। हमारी राय में, यह न्यायालय के समक्ष आदेशों को प्रस्तुत करने से इनकार करने का एक वैध आधार नहीं है।

ई. भाग III के तहत मौलिक अधिकार और

19. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विवादित प्रतिबंधों ने आवाजाही की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है और अभिव्यक्ति और मुक्त व्यापार और व्यवसाय का अधिकार। इस संदर्भ में, हमें पहले संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की प्रकृति की जांच करनी होगी।

20. संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों की प्रकृति अच्छी तरह से तय की गई है। मौलिक अधिकारों को एक नकारात्मक सूची के रूप में निर्धारित किया गया है, ताकि "किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान स्वयं ऐसी सीमाएं निर्धारित नहीं करता है"। उपरोक्त सूत्रीकरण का एकमात्र अपवाद संविधान का अनुच्छेद 21ए है, जो एक सकारात्मक अधिकार है जिसके लिए संबंधित सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है कि 16 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए।

वर्षों से।

21. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सकारात्मक निर्देश के परिणामस्वरूप अलग-अलग परिणाम होंगे जो हमारे अपने संविधान में नहीं आए हैं

में प्रवेश करें। अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और विकास के एक अलग पैमाने पर मौजूद होने के कारण, उसमें निहित मानवाधिकारों ने एक अलग भूमिका और उद्देश्य लिया है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत की स्थिति से अवगत थे, जिसमें इस तरह के सक्रिय कर्तव्य की सामाजिक आर्थिक लागत भी शामिल थी, और उसके बाद उन्होंने मौलिक अधिकारों के उपयोग को नकारात्मक तरीके से प्रतिबंधित करने का एक सूचित निर्णय लिया। इस महत्वपूर्ण सूत्रीकरण का इसके द्वारा सम्मान किया जाना आवश्यक है

न्यायालय, जिसे इस तरह के नकारात्मक निर्देशों के उपयोग के पीछे संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना है।

22. अब, हमें इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की दुनिया में इंटरनेट सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले और सुलभ अनुराधा भसीन बनाम के रूप में खड़ा है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम। साइबरस्पेस के भीतर क्रांति पिछले दशक में अभूतपूर्व रही है, जिसमें भंडारण स्थान की सीमा और प्रिंट माध्यम की पहुंच को इंटरनेट के उपयोग से दूर किया गया है।

23. इस बिंदु पर इंटरनेट के जनक श्री विंटन जी. सर्फ के तर्क पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है, हालाँकि, इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 2 उनके विचार में प्रौद्योगिकी अधिकारों को सक्षम करने वाली है न कि अपने आप में एक अधिकार। वह तकनीक को रखने के बीच अंतर करता है

अन्य मानवाधिकारों की उच्च श्रेणी, जैसे कि विवेक की स्वतंत्रता, समानता आदि। उनकी राय के प्रति बहुत सम्मान के साथ, किसी के जीवन में इंटरनेट प्रसार की व्यापकता और सीमा को कम नहीं किया जा सकता है।

कानून में समतुल्य आंदोलन। इस संदर्भ में, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कानून को तकनीकी विकास को आत्मसात करना चाहिए और तदनुसार अपने नियमों को ढालना चाहिए ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मान्यता नहीं कानून के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी केवल अपरिहार्य के लिए एक नुकसान है। इस दृष्टि से, इंटरनेट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि सुबह से रात तक हम साइबर स्पेस के भीतर समाहित रहते हैं और हमारी सबसे बुनियादी गतिविधियाँ इंटरनेट के उपयोग से सक्षम होती हैं।

25. हमें एक उपकरण के रूप में इंटरनेट और इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जनसंख्या के व्यापक वर्ग तक जानकारी प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। सूचना के प्रसार की व्यापक सीमा या इसका अधिक प्रभाव अधिकार की सामग्री को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और न ही यह इसके इनकार को उचित ठहरा सकता है। [सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार को संदर्भित करें भारत बनाम. बंगाल क्रिकेट संघ, (1995) 2 एस. सी. सी. 161; श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1]।

26. अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की रक्षा करने में न्यायशास्त्र के विकास का पता इंडियन एक्सप्रेस बनाम के मामले में लगाया जा सकता है। संघ का

भारत, (1985) 1 एस. सी. सी. 641, जिसमें इस न्यायालय ने घोषणा की थी कि मुद्रण माध्यम की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। ओडिसी कम्युनिकेशंस प्रा. लि. लिमिटेड वी. लोकविद्यायन संगठन, (1988) 3 एस. सी. सी. 410, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नागरिकों का अधिकार 2 विंटन जी. सर्फ, इंटरनेट एक्सेस एक मानव अधिकार नहीं है, द न्यूयॉर्क टाइम्स (04 जनवरी, 2012)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रदर्शन, दूरदर्शन द्वारा लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों के अधीन, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, जिसे केवल अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ही कम किया जा सकता है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार के मामले में वायु तरंगों के उपयोग के लिए इस संरक्षण का विस्तार किया। भारत (ऊपर)। इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय ने, निर्णयों के एक समूह में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, और जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता दी है और

अभिव्यक्ति का अतिसंवेदनशील माध्यम। इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति ने समकालीन प्रासंगिकता प्राप्त की है और यह सूचना प्रसार के प्रमुख साधनों में से एक है। इसलिए, इंटरनेट के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक अभिन्न अंग है और तदनुसार, उस पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार होना चाहिए।

27. इस संदर्भ में, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इंटरनेट भी व्यापार और वाणिज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था और सूचना और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई है

हब। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसे व्यापार हैं जो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का ऐसा अधिकार उपभोक्तावाद और पसंद की उपलब्धता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी है अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित, अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन।

28. किसी भी वकील ने अधिकार घोषित करने के लिए तर्क नहीं दिया है

इंटरनेट तक पहुँच एक मौलिक अधिकार के रूप में है और इसलिए हम उस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम खुद को यह घोषणा करने तक सीमित कर रहे हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करके 19 (1) (जी) के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है।

29. मौलिक अधिकारों की प्रकृति और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट की उपयोगिता को समझाने के बाद, हमें इन अधिकारों पर संविधान के तहत प्रदान की गई सीमाओं के संबंध में खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध प्रदान किए गए हैं, जो निम्नानुसार है:

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

" (2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून इन पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग, राज्य, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था,

शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि के संबंध में

या किसी अपराध के लिए उकसाना।

30. अनुच्छेद 19 (1) के तहत प्रदान किए गए अधिकार में कुछ अपवाद हैं, जो राज्य को उचित परिस्थितियों में उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देते हैं। मामले। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तत्व इस प्रकार हैं:

ए। कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए;

बी। प्रस्तावित कार्रवाई एक उचित प्रतिबंध होना चाहिए;

सी। इस तरह के प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि के संबंध में होने चाहिए।

या किसी अपराध के लिए उकसाना।

31. शुरुआत में, प्रतिबंध लगाना 'उचित' शब्द द्वारा योग्य है और यह लोगों के हितों जैसी स्थितियों तक सीमित है। संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। प्रतिबंध की तर्कसंगतता का उपयोग गुणात्मक, मात्रात्मक और सापेक्ष अर्थों में किया जाता है।

32. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंधों का मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है

निषेध। इस संदर्भ में हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त विवाद को इस न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसमें पूर्ण निषेध को शामिल करने के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उपयुक्त मामले। [मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड बनाम संघ

भारत सरकार, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 634, नरेंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, (1960) 2 एससीआर 375, महाराष्ट्र राज्य बनाम। हिम्मतभाई नरभेरम राव,

(1969) 2 एससीआर 392, सुशीला सॉ मिल बनाम। उड़ीसा राज्य, (1995) 5 एस. सी. सी. 615, प्रताप फार्मा (प्रा.) लिमिटेड वी. भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 87 और धरम दत्त बनाम। भारत संघ, (2004) 1 एस. सी. सी. 712] [2020] 1 एस. सी. आर.

33. उपरोक्त मामले कानून का अध्ययन तीन प्रस्तावों की ओर इशारा करता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के संबंध में सामने आते हैं। (i) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध में निम्नलिखित मामले शामिल हो सकते हैं -

निषेध। ((ii) पूर्ण निषेध लगाए जाने पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बोझ नहीं होना चाहिए, और सरकार को इस तरह के निषेध को लागू करने को उचित ठहराना होगा और यह समझाना होगा कि कम विकल्प क्यों अपर्याप्त होंगे। (iii) क्या कोई प्रतिबंध पूर्ण निषेध के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। [गुजरात राज्य का संदर्भ लें। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात, (2005) 8 एससीसी 534]।

34. परीक्षण का दूसरा भाग, जिसमें इस न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया प्रतिबंध/निषेध कम से कम घुसपैठ था, हमें संतुलन और आनुपातिकता के सवाल पर लाता है। संविधान के तहत ये अवधारणाएं कोई नई रचना नहीं हैं। संविधान के विभिन्न भागों में, इस न्यायालय ने दो प्रतिस्पर्धी अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड के मामले में v. भारत संघ, (1980) 2 एस. सी. सी. 591 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

वी. मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, (1983) 1 एस. सी. सी. 147, इस न्यायालय ने पहले ही मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में संतुलनकारी दृष्टिकोण को लागू किया है।

35. इससे पहले कि हम संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत आने वाले 'प्रतिबंध' की बारीकियों पर गौर करें, हमें इस मामले में कुछ तथ्यों और परिस्थितियों का पालन करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू और

कश्मीर कई वर्षों से आतंकवादी विद्रोहियों का गढ़ रहा है। में।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य के इस कथन पर ध्यान दे सकते हैं कि 1990 से 2019 तक

आतंकवादी हिंसा की 71,038 घटनाएँ दर्ज की गई हैं, 14,038 नागरिक मारे गए हैं, 5292 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, 22,536 आतंकवादी मारे गए। भू-राजनीतिक संघर्ष को कम करके या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आवश्यकता के अनुरूप, हम ध्यान दे सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक गारंटी भी अभिव्यक्ति के पूरे सरगम की रक्षा नहीं करेगी। जिस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या इस तरह की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने में कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा मौजूद है।

36. आधुनिक आतंकवाद इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर है। संचालन चालू

इंटरनेट पर पर्याप्त खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और इनका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग भ्रामक छद्म युद्धों का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है

धन जुटाना, भर्ती करना और प्रचार/विचारधाराओं का प्रसार करना। इंटरनेट की व्यापकता युवा प्रभावशाली अनुराधा भसीन बनाम को एक आसान प्रवेश प्रदान करती है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

दिमाग। इस संबंध में, पेपरडाइन विश्वविद्यालय में कानून और सार्वजनिक नीति के 3 प्रोफेसर, ग्रेगरी एस. मैकनियल, प्रचार और इंटरनेट के उपयोग के बारे में अपने लेख में निम्नलिखित तरीके से कहते हैंः

" आतंकवादी संगठनों ने भी वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

सूचना युद्ध का रूप। उनकी वेबसाइटें फैल सकती हैं। गलत जानकारी जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं।

क्योंकि इंटरनेट पोस्टिंग समाचारों के विनियमित स्रोत नहीं हैं, वे किसी भी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, चाहे वह सच्चा हो या नहीं। इस प्रकार, पाठक इंटरनेट वस्तुओं को तथ्य मानते हैं, और कहानियाँ कुछ समय के लिए अनियंत्रित हो सकती हैं। इसके अलावा, स्ट्रीमिंग वीडियो और डरावने दृश्यों की तस्वीरें इन समाचारों का समर्थन और विस्तार कर सकती हैं। नतीजतन, इंटरनेट एक शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है

प्रचार फैलाएँ "।

37. सुसान डब्ल्यू. ब्रेनर, एन. सी. आर. कानून की प्रतिष्ठित प्रोफेसर

और प्रौद्योगिकी, डेटन स्कूल ऑफ लॉ विश्वविद्यालय, यह भी नोट करता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण ने इंटरनेट के प्रसार के कारण आतंकवाद पर संतोषजनक रूप से काम नहीं किया है। उत्तरदाताओं का तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इस तथ्य के कारण लगाया गया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे थे, जिसमें घुसपैठ और समर्थन की समस्याएं थीं हिंसा और आतंकवाद को भड़काने के लिए सीमा के दूसरी तरफ से। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है ताकि आतंकवाद की समस्या को शुरुआत में ही समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले के समय में किसी राज्य की संप्रभुता और अखंडता को केवल युद्ध होने पर ही चुनौती दी जाती थी। कुछ मामलों में, ऐसे उदाहरण हैं जहां अलगाववादियों द्वारा राज्य की अखंडता को चुनौती दी गई है। हालाँकि, युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं में भारी बदलाव आया है और अब इसे 'आतंक के खिलाफ युद्ध' नामक एक नए शब्द से बदल दिया गया है। यह युद्ध, पहले के युद्धों के विपरीत, क्षेत्रीय युद्धों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। आतंक के खिलाफ लड़ाई को कानून और व्यवस्था की स्थिति के बराबर नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में, हम देखते हैं कि आतंकवाद को एक युद्ध कठोर भावना या एक सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के रूप में चिह्नित करने के इस भ्रम ने प्रतिवादी सरकार के समर्पण को प्रभावित किया है और हमें इस तरह के प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

3 ग्रेगरी एस. मैकनेल, साइबर एम्बार्गोः इंटरनेट जिहाद का मुकाबला करना, 39 केस डब्ल्यू. रेस। जे. इंटरनेशनल एल. 789 (2007)। 4 सुसान डब्ल्यू. ब्रेनर, क्यों कानून प्रवर्तन मॉडल ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए एक समस्याग्रस्त रणनीति है, सुबह 99 बजे। सोसायटी इंटरनेशनल। एल. प्रो. 108 (2005) .

38. भारतीय संदर्भ में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विश्लेषण करने से पहले, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद 'यू. एस.') की स्थिति का व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जहां प्रथम संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालाँकि, इस तरह के दावे को समझने से पहले हमें अमेरिका में संदर्भ और कानून की स्थिति का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

39. अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान, क्लेमेंट एल. वल्लंदीघम के भाषण के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नाटकीय टकराव पैदा हुआ।

जिन्होंने गृहयुद्ध को 'दुष्ट, क्रूर और अनावश्यक' कहते हुए भाषण दिया। उन्होंने नागरिकों से 'राष्ट्रपति लिंकन' को उनके सिंहासन से फेंकने के लिए मतपेटियों का उपयोग करने का आग्रह किया। एक प्रतिक्रिया के रूप में, संघ के सैनिकों ने श्री वल्लंदीघम को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पांच सदस्यीय सैन्य आयोग का सामना करना पड़ा, जिसने उन पर 'इस उद्देश्य के साथ अविश्वास की भावनाओं और विचारों की घोषणा करने' का आरोप लगाया।

और एक गैरकानूनी विद्रोह को दबाने के अपने प्रयासों में सरकार की शक्ति को कमजोर करने का उद्देश्य। [पूर्व पक्ष वल्लंदीघम, 28 एफ. कैस। 874 (1863)] आयोग ने श्री वल्लंदीघम को दोषी पाया और युद्ध के दौरान कारावास की सजा सुनाई। उपरोक्त कारावास को प्रदर्शनों और प्रकाशनों का सामना करना पड़ा, जिसमें इस तरह के कारावास को अमेरिकी संविधान के खिलाफ अपराध बताया गया। राष्ट्रपति लिंकन ने अमेरिकी संविधान को ध्यान में रखते हुए कारावास को परिवर्तित कर दिया और उसे निर्वासन में बदल दिया। उन्होंने यह कहते हुए उपरोक्त अधिनियम को उचित ठहराया कि निर्वासन अधिक मानवीय था और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपायों को प्राप्त करने का एक कम असहनीय साधन था।

40. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका के भीतर कई लोगों की युद्ध और राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रशासन द्वारा लगाए गए मसौदे के खिलाफ मजबूत भावनाएँ थीं। इस अवधि के दौरान, अमेरिका ने जासूसी अधिनियम, 1917 लागू किया, जो किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो जानबूझकर कर्तव्य या नौसेना सेवाओं से इनकार करके अवज्ञा, बेवफाई, विद्रोह का कारण बनता है या करने का प्रयास करता है। किसी भी मामले में, अब्राहम बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका, 250 यू. एस. 616 (1919), न्यायमूर्ति होम्स ने अपनी असहमति में भी कहाः

" मुझे एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि, उसी तर्क से जो हत्या के लिए अनुनय को दंडित करने को उचित ठहराएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका संवैधानिक रूप से ऐसे भाषण को दंडित कर सकता है जो एक स्पष्ट और आसन्न खतरे को पैदा करता है या पैदा करने का इरादा रखता है कि यह कुछ ठोस बुराइयों को तुरंत लाएगा जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका संवैधानिक रूप से रोकने की कोशिश कर सकता है। शक्ति निस्संदेह अनुराधा भसीन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

शांति के समय की तुलना में युद्ध के समय में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध

उन खतरों को खोलता है जो अन्य समय पर मौजूद नहीं होते हैं।

(जोर दिया गया)

41. द्वितीय विश्व युद्ध भी उदाहरणों से भरा हुआ था

प्रथम संशोधन और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के बीच संघर्ष। इसी का एक उदाहरण जासूसी अधिनियम, 1917 के तहत विलियम डडली पेली की दोषसिद्धि थी, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा करने से इनकार कर दिया था।

42. शीत युद्ध के दौरान, अमेरिकी कांग्रेस का ध्यान

साम्यवाद का उदय हो रहा था। 1954 में, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट नियंत्रण अधिनियम भी लागू किया, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी से सभी अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति छीन ली। इस समय के दौरान, डेनिस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका, 341 यू. एस. 494 (1951), एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1940 की धारा 2 (ए) (1), 2 (ए) (3) और 3 ने किसी भी व्यक्ति के लिए जानबूझकर या जानबूझकर वकालत करना गैरकानूनी बना दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकना या नष्ट करना

या हिंसा, ऐसा करने वाले किसी भी समूह को संगठित करने या संगठित करने में मदद करने के लिए, या ऐसा करने की साजिश करने के लिए। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी कि इन प्रावधानों ने प्रथम संशोधन का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

" इस न्यायालय के प्रमुख मामलों का विश्लेषण जिसमें शामिल हैं हालाँकि, भाषण पर प्रत्यक्ष सीमाएँ प्रदर्शित करेंगी कि दोनों

विशेष मामलों में न्यायालय और असंतुष्टों का बहुमत

यह स्वीकार किया है कि यह एक असीमित, अयोग्य अधिकार नहीं है, लेकिन

कि भाषण के सामाजिक मूल्य को, अवसर पर, अधीनस्थ किया जाना चाहिए

अन्य मूल्यों और विचारों के लिए।

43. वियतनाम युद्ध के दौरान, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को निपटना पड़ा

ब्रांडेनबर्ग बनाम के मामले में। ओहायो, 395 यू. एस. 444 (1969), जिसमें न्यायालय ने डेनिस (उपरोक्त) को निरस्त कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि राज्य गैरकानूनी आचरण की वकालत को दंडित नहीं कर सकता है, जब तक कि इसका उद्देश्य उकसाना न हो और इसके 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' को उकसाने की संभावना न हो।

44. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सितंबर 2001 की घटनाओं ने

'आतंक के खिलाफ युद्ध' के नाम पर अमेरिका के लिए नई चुनौती। इस संदर्भ में, अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट ने कहा कि "उन लोगों के लिए जो डराते हैं।

खोए हुए स्वतंत्रता की कल्पना के साथ शांतिप्रिय लोग, मेरा संदेश यह हैः आपकी रणनीति केवल आतंकवादियों की सहायता करती है, क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय (2020) 1 एस. सी. आर. को नष्ट कर देते हैं।

एकता और हमारे संकल्प को कम करें। वे अमेरिका के दुश्मनों को गोला-बारूद देते हैं। ' हालाँकि, ब्रूस एकरमैन अपने लेख में कहते हैं किः

" "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" ने भारी राजनीतिक भुगतान किया है

लाभांश. लेकिन यह इसे एक सम्मोहक कानूनी अवधारणा नहीं बनाता है।

युद्ध को पारंपरिक रूप से युद्ध की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।

संप्रभु। युद्ध से निपटने वाले सिद्धांतों का चयनात्मक अनुकूलन अनुमानित रूप से बुनियादी बातों पर व्यापक आक्रमण की ओर ले जाता है।

स्वतंत्रताएँ "।

45. पूर्ववर्ती और तथ्यों के उपरोक्त अध्ययन से, हम

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अमेरिका में युद्ध के दौरान असहमति के संबंध में कानून में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि कोई भी भाषण जो आसन्न हिंसा को उकसाता है, उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलता है।

46. यह बिना कहे चला जाता है कि सरकार का अधिकार है

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना, यदि आवश्यक हो, तो अनुच्छेद 19 (2) के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में। यह इस संदर्भ में है, जबकि राष्ट्र इस तरह की प्रतिकूलता का सामना कर रहा है, आसन्न खतरे के साथ एक अपघर्षक बयान प्रतिबंधित हो सकता है, यदि ऐसा ही है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव डालता है। सवाल यह है कि

सीमित करने की शक्ति के अस्तित्व के बजाय सीमा।

47. विभिन्न विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता लाती है

हमें आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए। के. एस. पुट्टास्वामी के मामले में (गोपनीयता-9 जे.) (ऊपर), इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 310 ..... आनुपातिकता राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि प्रकृति और गुणवत्ता

अधिकार पर अतिक्रमण के लिए असमान नहीं है

कानून का उद्देश्य "।

48. इसके अलावा, सी. पी. आई. ओ. बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1459 के मामले में आनुपातिकता का अर्थ था इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:

" 225 ..... आनुपातिकता के मानक को लागू करना भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अधिकार प्रतिवाद के वैध हित को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक सीमा तक प्रतिबंधित नहीं है।

प्रश्न में रुचि "।

5 आतंकवाद विरोधी नीति पर सीनेट न्यायपालिका समिति की सुनवाई, 106 वीं कांग्रेस। (6 दिसंबर, 2001) (अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट की गवाही)

6 एकरमैन, ब्रूस, "द इमरजेंसी कांस्टीट्यूशन", फैकल्टी स्कॉलरशिप सीरीज़, 113 (2004)।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

49. साथ ही, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करने की बात आती है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लूसिया जेडनर 1 के शब्दों में:

" आमतौर पर, परस्पर विरोधी हितों को 'संतुलित' कहा जाता है जैसे कि

उनमें से एक स्व-स्पष्ट महत्व या प्राथमिकता थी। फिर भी शायद ही कभी विशेष हितों को स्पष्ट किया जाता है, प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बनाया जाता है, या जिस प्रक्रिया के द्वारा एक भार प्राप्त किया जाता है उसे स्पष्ट किया जाता है। संतुलन

इसे शून्य राशि वाले खेल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक से अधिक का मतलब अनिवार्य रूप से दूसरे से कम होता है। यद्यपि संवैधानिक रूप से प्रिय वकीलों और राजनीतिक सिद्धांतकारों, आपराधिक न्याय का अनुभव यह है कि संतुलन एक राजनीतिक रूप से खतरनाक रूपक है जब तक कि सावधानी न बरती जाए।

जो दांव पर है उसका ध्यान रखा जाता है "।

50. आनुपातिकता सिद्धांत, जिसे लॉर्ड डिप्लॉक के सूत्र द्वारा आसानी से संक्षेपित किया जा सकता है 'आपको दरार डालने के लिए भाप के हथौड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए

एक नट, अगर एक नटक्रैकर करेगा? ' [आर वी का उल्लेख करें। गोल्डस्मिथ, [1983] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 151,155 (डिप्लॉक जे.)]। दूसरे शब्दों में, आनुपातिकता साधनों और उद्देश्यों के बारे में है। 51. भाग III के तहत आनुपातिकता विश्लेषण की उपयुक्तता को यहां देखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों की प्रकृति रही है

व्यापक रूप से टिप्पणी की। एक दृष्टिकोण यह है कि मौलिक अधिकार 'नियमों' के रूप में लागू होते हैं, जिसमें वे 'सभी-या-कुछ भी नहीं' तरीके से लागू होते हैं। इस दृष्टिकोण को रोनाल्ड ड्वोर्किन ने आगे बढ़ाया है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में तर्क दिया है कि अधिकार की अवधारणा का तात्पर्य सार्वजनिक भलाई पर हावी होने की इसकी क्षमता से है। 3 ड्वोर्किन के दृष्टिकोण का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि अधिकार ही अंत हैं, जिनका अपमान नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान के तहत उच्चतम मानदंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संविधान। इसका तात्पर्य यह होगा कि यदि विधायिका या कार्यपालिका किसी विशेष तरीके से, अधिकार का अपमान करते हुए, सार्वजनिक भलाई प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती है, तो उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा यदि उपरोक्त कार्रवाई की गई है। एक अधिकार के प्रतिबंध की आवश्यकता है। हालांकि, इस तरह का दृष्टिकोण अक्सर अमेरिकी न्यायालयों द्वारा लिया जाता है, लेकिन यह भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकता है, भाग III की संरचना को ध्यान में रखते हुए जो अंतर्निहित प्रतिबंधों के साथ आता है।

' लूसिया जेडनर, आतंक का सामना करते हुए स्वतंत्रता हासिल करना: रिफ्लेक्शंस फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस, (2005) 32 जर्नल ऑफ लॉ एंड सोसाइटी 510। रोनाल्ड ड्वोर्किन, जेरेमी वाल्ड्रोन में "राइट्स ऐज ट्रम्प्स" (संस्करण), थियरीज ऑफ राइट्स (1984) 153 (इसके बाद ड्वोर्किन, "राइट्स ऐज ट्रम्प्स")।

20] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. हालाँकि, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है, जो रॉबर्ट अलेक्सी द्वारा आयोजित किया गया है,

जिसमें 'मौलिक अधिकारों' को 'सिद्धांतों' के रूप में देखा जाता है, जिसमें अधिकारों को मानक तरीके से चित्रित किया जाता है। नियम ऐसे मानदंड हैं जो या तो हमेशा पूरे होते हैं या नहीं; जबकि सिद्धांत ऐसे मानदंड हैं जिनके लिए आवश्यक है कि कानूनी और तथ्यात्मक संभावनाओं को देखते हुए किसी चीज़ को अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त किया जाए। 10 सिद्धांतों की यह विशेषता है

उनके बीच संघर्षों से निपटने के लिए निहितार्थः इसका मतलब यह है कि जहां वे संघर्ष करते हैं, वहां एक सिद्धांत को दूसरे के खिलाफ तौलना पड़ता है और यह निर्धारित करना पड़ता है कि किस सिद्धांत का अधिक महत्व है।

इस संदर्भ में। 1 इसलिए, उनका तर्क है कि सिद्धांतों की प्रकृति आनुपातिकता के सिद्धांत को दर्शाती है। 1 2 12

53. आनुपातिकता का सिद्धांत भारतीयों के लिए विदेशी नहीं है।

संविधान, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 'उचित' शब्द के उपयोग पर विचार करते हुए। कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत निहित स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए "उचित प्रतिबंध" अपरिहार्य हैं, क्योंकि वे ही हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारों का आनंद मनमाना या अत्यधिक नहीं है, ताकि सार्वजनिक हित को प्रभावित किया जा सके। यह न्यायालय, चिंतामन राव बनाम में अपने सबसे शुरुआती फैसलों में से एक में एक संविधान पीठ में बैठे हुए। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1951 एससी 118

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके संतुलन पर सीमाओं की व्याख्या निम्नानुसार की गई हैः

" 7. वाक्यांश "उचित प्रतिबंध" का अर्थ है कि

आनंद लेने वाले व्यक्ति पर लगाई गई सीमा

जनता के हित में क्या आवश्यक है। वह शब्द। " उचित "का अर्थ है बुद्धिमान देखभाल और विचार-विमर्श, अर्थात

एक पाठ्यक्रम का चयन जो कारण निर्धारित करता है। कानून जो

मनमाने ढंग से या अत्यधिक अधिकार पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहा जा सकता है तर्कसंगतता की गुणवत्ता शामिल है और जब तक कि यह एक पर हमला नहीं करता है

अनुच्छेद 19 (1) (छ) में गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन

और अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण,

उस गुण की कमी महसूस की जाए "।

(जोर दिया गया)

' आर. अलेक्सी, ए थ्योरी ऑफ कांस्टीट्यूशनल राइट्स (ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002)। 10 पृष्ठ 47 पर लिखा है।

1 1 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 50।

12 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 66।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

यह न्यायालय, मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196, जबकि

तर्कसंगतता की परीक्षा को निर्धारित करते हुए, यह माना गया किः

15. ..... इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षण

जहां भी निर्धारित किया जाए, वहां प्रत्येक पर तर्कसंगतता लागू की जानी चाहिए। व्यक्तिगत कानून विवादित है, और कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न नहीं है,

इस तरह से सुधार किए जाने की मांग की गई, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित शर्तें, सभी में प्रवेश करना चाहिए न्यायिक निर्णय में।

(जोर दिया गया)

मोहम्मद फारूक बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। राज्य

मध्य प्रदेश सरकार, (1969) 1 एस. सी. सी. 853 ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकारों का निर्धारण करते हुए, उपरोक्त शब्दों में आनुपातिकता के सिद्धांत पर चर्चा कीः

" 10 ..... न्यायालय को विवादित व्यक्ति की वैधता पर विचार करना चाहिए।

किसी व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाली विधि या

पेशा, इसके प्रत्यक्ष और तत्काल मूल्यांकन का प्रयास करें

प्रभावित नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

इस प्रकार और व्यापक जनहित सुनिश्चित करने की मांग की गई

प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के प्रकाश में, आवश्यकता

नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए।

कम कठोर संयम लागू करके उद्देश्य को प्राप्त करना

या कि एक कम कठोर प्रतिबंध वस्तु को सुनिश्चित कर सकता है इसे प्राप्त करने का इरादा है "।

(जोर दिया गया)

ओम कुमार बनाम के मामले में। भारत संघ (2001) 2 एस. सी. सी. 386

आनुपातिकता के सिद्धांत को, प्रशासनिक आदेशों के आलोक में, निम्नानुसार समझाया गया थाः

28. "आनुपातिकता" से हमारा मतलब यह है कि क्या,

मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय, विधायिका या प्रशासक द्वारा उपायों का उचित या न्यूनतम-प्रतिबंधात्मक चयन किया गया है ताकि कानून के उद्देश्य या प्रशासनिक आदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जैसा भी मामला हो। सिद्धांत के तहत, अदालत देखेगी कि विधायिका और [2020] 1 एस. सी. आर.

प्रशासनिक प्राधिकरण "प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखता है जो कानून या प्रशासनिक आदेश का व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं या हितों पर उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हो सकता है जिसे वे पूरा करना चाहते थे।" हालाँकि, विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण को विवेक का एक क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला दी गई है, लेकिन यह अदालत के लिए है कि क्या किया गया विकल्प अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन करता है या नहीं। आनुपातिकता से यही तात्पर्य है।

(जोर दिया गया)

[बिहार राज्य बनाम भी देखें। कमला कांत मिश्रा (1969) 3 एस. सी. सी.

337 ; बिशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1982) 1 एससीसी 39]

54. हाल ही में, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च में यह न्यायालय

केंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 7 एस. सी. सी. 353 ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे क्षेत्र में जहां अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी संवैधानिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए सार्वजनिक हित में कुछ अधिकारों को सीमित करना उचित हो सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

कुछ अधिकार, हालांकि बहुत कम, जिन्हें अभी भी माना जा सकता है " निरपेक्ष "। दिए गए उदाहरण हैं: (क) मानव गरिमा का अधिकार जो

अलंघनीय है, (बी) यातना या अमानवीय के अधीन नहीं होने का अधिकार

उनकी सुरक्षा की सीमा को कम किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा अब तक राज्यों के ऐसे प्रयासों को विफल कर दिया गया है

न्यायपालिका]। ..... वास्तव में, अनुच्छेद 19 में ही ऐसा प्रावधान

एक हाथ अनुच्छेद के खंड (1) में कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

19 और साथ ही राज्य को उचित लागू करने का अधिकार देता है।

जनहित में उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध। यह धारणा

आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत को स्वीकार करता है कि

संवैधानिक अधिकार संबंधित हैं। इस सापेक्षता का अर्थ है कि

उन अधिकारों को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक लाइसेंस दिया जाता है जहाँ इस तरह की सीमा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए उचित होगी।

या दूसरों के अधिकार। यह घटना-दोनों का अधिकार और संविधान में इसकी सीमा-अनुराधा भसीन बनाम का उदाहरण है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

लोकतंत्र के दो मूल सिद्धांतों के बीच अंतर्निहित तनाव

तत्व "।

(जोर दिया गया)

55. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को एक दुविधा के साथ प्रस्तुत किया गया था

प्रतिस्पर्धी अधिकारों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए संघर्ष को हल करने का प्रयास किया कि अधिकारों और सीमाओं की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए ताकि सह-अस्तित्व को सुगम बनाया जा सके। इस न्यायालय ने इसमें टिप्पणी कीः

" 62 ..... एक ओर दाएँ का तत्व है, जो एक

दूसरी ओर मूल लोकतंत्र का मौलिक घटक

इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि "हारने" वाले पहलू को समाप्त करके तनाव का समाधान नहीं किया जाता है

संविधान से। बल्कि, तनाव का समाधान किया जाता है

प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के उचित संतुलन का तरीका। यह

यह लोकतंत्र की बहुआयामी प्रकृति की अभिव्यक्तियों में से एक है। वास्तव में, लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव अलग है

पहलू एक "रचनात्मक तनाव" है। यह प्रत्येक पहलू को सक्षम बनाता है

दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहते हुए विकास करें। द.

प्रत्येक पहलू को अन्य पहलुओं के साथ विकसित करने में सक्षम बनाता है, उनके स्थान पर नहीं। दोनों मूल तत्वों के बीच यह तनाव

एक ओर पक्षों के अधिकार और दूसरी ओर इसकी सीमा

हाथ-दोनों को संतुलित करके हल किया जाना है ताकि वे

एक-दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहें। यह संतुलन होना चाहिए

प्रत्येक के सापेक्ष सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रतिस्पर्धी पहलुओं पर जब उचित संदर्भ में विचार किया जाए।

(जोर दिया गया)

56. न्यायालय द्वारा सामना की जाने वाली अगली पहेली को प्राप्त करने में थी

अपेक्षित संतुलन, जिसका समाधान आनुपातिकता के सिद्धांत से प्राप्त किया गया था। प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद काई मोलर का कहना है कि आनुपातिकता सिद्धांत एक सैद्धांतिक उपकरण है जो इन संघर्षों को हल करने की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करता है। 13 1 3 के सिद्धांतों में से एक

1 3 काई मोलर, द ग्लोबल मॉडल ऑफ कांस्टीट्यूशनल राइट्स (ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012)।

अधिकांश सिद्धांतकारों द्वारा व्यापक रूप से निर्भर आनुपातिकता जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा विकसित संस्करण है। उपरोक्त सिद्धांत एक चार-आयामी परीक्षण निर्धारित करता है जिसमें, पहले, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला उपाय एक वैध लक्ष्य को पूरा करता है (जिसे वैध लक्ष्य परीक्षण भी कहा जाता है), फिर इसका विश्लेषण करना होगा कि क्या उपाय इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन है (तर्कसंगत संबंध चरण), इसके बाद यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या एक समान रूप से प्रभावी लेकिन कम प्रतिबंधात्मक वैकल्पिक उपचार (आवश्यकता परीक्षण) मौजूद है और अंत में, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या इस तरह के उपाय का अधिकार धारक (संतुलन चरण) पर असमान प्रभाव पड़ा। जर्मन परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता संतुलन का अंतिम चरण है, जो परिणाम निर्धारित करता है क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों को संतुलन चरण में धकेल दिया जाता है और इसी तरह कानूनी विश्लेषण पर हावी होता है। इस दृष्टिकोण के तहत, कोई भी लक्ष्य जो वैध है, स्वीकार किया जाएगा; आमतौर पर एक कम प्रतिबंधात्मक उपाय में कम प्रभावी होने का नुकसान हो सकता है और लक्ष्य में मामूली योगदान भी तर्कसंगत संबंध परीक्षण के लिए पर्याप्त होगा। 14

57. उपरोक्त परीक्षण को इसके कनाडाई समकक्ष के साथ तुलना करने की आवश्यकता है जिसे ओक्स परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। उक्त सिद्धांत के अनुसार, उपाय का उद्देश्य संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त मजबूर होना चाहिए; एक तर्कसंगत सांठगांठ मौजूद होनी चाहिए।

इस तरह के उपाय और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच साधन कम से कम प्रतिबंधात्मक होने चाहिए और अंत में, इस तरह के उपाय के प्रभाव और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच आनुपातिकता होनी चाहिए। आनुपातिकता के इस सिद्धांत को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के डिक्सन, सी. जे. द्वारा आर. वी. में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ओक्स, (1986) 1 एससीआर 103 (कैन) एससी, निम्नलिखित शब्दों में (पी पर। 138):

" यह स्थापित करने के लिए कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है, दो केंद्रीय मानदंड होने चाहिएः

संतुष्ट। पहला, वह उद्देश्य, जिसे पूरा करने के लिए चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता की सीमा के लिए जिम्मेदार उपाय तैयार किए गए हैं, "संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए". दूसरा. धारा 1 का आह्वान करने वाले पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि चुने गए साधन उचित और स्पष्ट रूप से उचित हैं। इसमें "आनुपातिकता परीक्षण का एक रूप" शामिल है। यद्यपि आनुपातिकता परीक्षण की प्रकृति भिन्न होगी।

1 4 काई मोलर, आनुपातिकता परीक्षण का निर्माणः एक उभरता हुआ वैश्विक वार्तालाप, तर्क अधिकार तुलनात्मक न्यायिक जुड़ाव (हार्ट पब्लिशिंग, 2014)।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक मामले में अदालतें होंगी व्यक्तियों के हितों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता

और समूह। मेरे विचार से तीन महत्वपूर्ण हैं।

आनुपातिकता परीक्षण के घटक। सबसे पहले, उपाय

अपनाया गया उद्देश्य तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, साधन. को "जितना संभव हो उतना कम" खराब होना चाहिए।

प्रश्नगत अधिकार या स्वतंत्रता। तीसरा, एक होना चाहिए

उपायों के प्रभावों के बीच आनुपातिकता जो

चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और वह उद्देश्य जिसकी पहचान "पर्याप्त" के रूप में की गई है

महत्व "। ए के हानिकारक प्रभाव उतने ही गंभीर होते हैं माप, उद्देश्य जितना अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए यदि माप

उचित और स्पष्ट रूप से उचित होना चाहिए और

लोकतांत्रिक समाज "।

(जोर दिया गया)

58. जैसा कि देखा जा सकता है, दोनों में काफी अंतर है।

जैसे-जैसे ओक्स परीक्षण आता है, "किसी भी" वैध लक्ष्य की आवश्यकता के बजाय, संवैधानिक अधिकारों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बाध्यकारी होने की मांग करता है। इसके अतिरिक्त, जबकि जर्मन आवश्यकता परीक्षण एक कम प्रतिबंधात्मक उपाय की मांग करता है जो समान रूप से प्रभावी है, ओक्स परीक्षण में प्रभावशीलता की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जिसमें कम से कम उल्लंघन करने वाले उपाय की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

59. अहरोन बराक पर निर्भरता रखना भी हमारे लिए अनिवार्य है।

आनुपातिकता पर मौलिक पुस्तक 1 5 जिस पर डॉ. ए. के. सीकरी, जे. ने आधुनिक दंत महाविद्यालय मामले (उपरोक्त) में आनुपातिकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए निर्भरता को निम्नानुसार रखाः

" 60 ..... संवैधानिक अधिकार की सीमा संवैधानिक रूप से होगी। अनुमति है यदिः

((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

((ii) ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं -

उस उद्देश्य की पूर्ति से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है; ((iii) किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि

वैकल्पिक उपाय जो समान रूप से वही प्राप्त कर सकते हैं

कम सीमा के साथ उद्देश्य; और अंत में

15 अहरोन बराक, आनुपातिकता संवैधानिक अधिकार और उनकी सीमा (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, 2012)

((iv) एक उचित संबंध होना चाहिए। प्राप्त करने के महत्व के बीच "या" संतुलन ")

रोकथाम का उचित उद्देश्य और सामाजिक महत्व संवैधानिक अधिकार पर सीमा "।

(जोर दिया गया)

60. मॉडर्न डेंटल कॉलेज मामले (ऊपर) में, यह न्यायालय भी चला गया

विश्लेषण करें कि आनुपातिकता का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित है

न्यायसंगत के सिद्धांत के दायरे में संविधानअनुच्छेद 19 के तहत इसका पता लगाया जा सकता है। प्रासंगिक

सी. टी. एस. नीचे दिए गए हैं:

" 65. हम बिना किसी हिचकिचाहट के टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सिद्धांत

आनुपातिकता, जिसे यहाँ ऊपर संक्षेप में समझाया गया है, निहित है

अभिव्यक्ति "उचित प्रतिबंध" एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है के किसी भी उपखंड द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच

अनुच्छेद 19 का खंड (1) और इनमें से किसी के द्वारा अनुज्ञात सामाजिक नियंत्रण

खंड (2) से (6)। यह माना जाता है कि अभिव्यक्ति

" उचित "का अर्थ है कि एक पर लगाई गई सीमा

अधिकार का आनंद लेने वाला व्यक्ति मनमाना नहीं होना चाहिए

या आवश्यकता से परे अत्यधिक प्रकृति का

जनता के हित। इसके अलावा, तर्कसंगत होने के लिए,

कानून प्राप्त करना चाहता है, और उससे अधिक नहीं जाना चाहिए उद्देश्य (पी. पी. एंटरप्राइजेज बनाम देखें। भारत संघ (1982) 2 एस. सी. सी.

33) . उसी समय, एक प्रतिबंध की तर्कसंगतता है

एक वस्तुनिष्ठ तरीके से निर्धारित किया जाना और आम जनता के हितों का दृष्टिकोण और नहीं

उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जिन पर

प्रतिबंध लगाए जाते हैं या अमूर्त विचारों पर

(मोहम्मद को देखें। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1958 एससी 731) . "

(जोर दिया गया)

61. इसके बाद, आनुपातिकता का एक व्यापक सिद्धांत जर्मन दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा आधुनिक में प्रस्तावित किया गया था अल कॉलेज मामला (ऊपर) जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

उचित मानदंड। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, जब एक कानून एक को सीमित करता है संवैधानिक अधिकार, इस तरह का परिसीमन संवैधानिक है यदि यह है

आनुपातिक। प्रतिबंध लगाने वाले कानून को इस रूप में माना जाएगा आनुपातिक यदि यह एक उचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है, और यदि

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं

उद्देश्य के लिए, और ऐसे उपाय आवश्यक हैं। 64. अतः जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि

क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा किसी उद्देश्य के लिए है

अंततः आनुपातिकता अर्थात संतुलन पर आधारित मूल्यांकन। अलग-अलग रुचियों के लिए।

(जोर दिया गया)

62. जबकि कुछ विद्वान जैसे कि रॉबर्ट अलेक्सी 1 6 एक मजबूत के लिए कॉल करते हैं

आवश्यकता चरण की व्याख्या क्योंकि इसका संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति और अनुकूलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि डेविड बिलचिट्ज़ जैसे अन्य लोगों को इस दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं मिलीं।

63. सबसे पहले, बिलचिट्ज़ दोनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है

जर्मन परीक्षण और ओक्स परीक्षण, जिसमें पूर्व सभी नीतियों को उचित ठहराते हुए आवश्यक मानता है कि उपलब्ध विकल्प आवश्यक नहीं हो सकते हैं।

समान रूप से प्रभावी, जबकि बाद वाला "न्यूनतम हानि परीक्षण" को लागू करता है जो संवैधानिक रूप से अनुमत नीतियों को संकुचित करता है और अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए सरकार पर एक मजबूत बोझ डालता है। इसलिए, बिलचिट्ज़ का तर्क है कि यदि आवश्यकता चरण की सख्ती से व्याख्या की जाती है, तो कानून और नीतियां, चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा क्यों न हो, आनुपातिकता जांच को पारित करने में विफल हो जाएंगी यदि कोई अन्य थोड़ा कम कठोर उपाय मौजूद है। इसलिए, बिलचिट्ज़ इंगित करता है कि अलेक्सी का निष्कर्ष बहुत जल्दी हो सकता है।

64. इसके अलावा, यह भी सिद्धांत के संबंध में मुद्दे की ओर ले जाता है

शक्ति का पृथक्करण, क्योंकि न्यायालय अक्सर के विचारों को प्रतिस्थापित करते थे

1 6 रॉबर्ट अलेक्सी, ए थ्योरी ऑफ कांस्टीट्यूशनल राइट्स (ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002) 47. 1 7 डेविड बिलचिट्ज़, आवश्यकता और आनुपातिकता एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर? एल. लाजरस, सी. मैकक्रुडेन और एन. बाउल्स (संस्करण), रीजनिंग राइट्स, 41 (2014) में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, बिलचिट्ज़ ने आवश्यकता परीक्षण की एक मध्यम व्याख्या का प्रस्ताव रखा जिसमें न्यायालयों को अब अव्यावहारिक और अनुचित मानकों के खिलाफ नीतियों और उपायों का आकलन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि "[एन] शीघ्रता में एक प्रक्रिया शामिल होती है

यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया तर्क कि केवल उस उद्देश्य के लिए एक मजबूत संबंध वाले उपाय जो वे प्राप्त करना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों के आक्रमण को उचित ठहरा सकते हैं। इस प्रकार उस प्रक्रिया के लिए अदालतों को आवश्यकता की मध्यम व्याख्या के विभिन्न चरणों के माध्यम से तर्क करने की आवश्यकता होती है। 18 इसलिए वह एक चार-चरणीय जांच की सिफारिश करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैः 19

(एम. एन. 1) अदालतों के साथ सभी संभव विकल्पों की पहचान करने की आवश्यकता है।

व्यवहार्यता के मानदंड के रूप में स्पष्ट होना;

(एम. एन. 2) विचाराधीन सरकारी उपाय, एम. एन. 1 में पहचाने गए विकल्पों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच संबंध निर्धारित किया जाना चाहिए। केवल उन विकल्पों को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए जो उपाय को साकार करते हैं।

एक वास्तविक और महत्वपूर्ण तरीके से उद्देश्य;

(एम. एन. 3) मौलिक अधिकारों पर उपाय और विकल्पों (एम. एन. 2 में पहचाने गए) के अलग-अलग प्रभाव को निर्धारित किया जाना चाहिए, यह स्वीकार किए जाने के साथ कि इसके लिए मान्यता की आवश्यकता है अनुमानित
प्रभाव; और

(एम. एन. 4) एम. एन. 2 और एम. एन. 3 के निष्कर्षों को देखते हुए, उपाय और विकल्पों के बीच एक समग्र तुलना (और संतुलन अभ्यास) की जानी चाहिए। एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या सरकारी उपाय सभी व्यवहार्य विकल्पों में सबसे अच्छा है,

जिस हद तक यह सरकारी उद्देश्य को महसूस करता है और मौलिक अधिकारों ('तुलनात्मक घटक') पर प्रभाव की डिग्री दोनों पर विचार करता है।

65. मान लीजिए, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे एक विवेकपूर्ण आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है।

उसी के रूप में परीक्षण मौलिक अधिकार को या तो निरपेक्ष होने या कम होने से रोकेगा। बिलचिट्ज़, उपरोक्त परीक्षण को न तो तथ्यात्मक और न ही यांत्रिक, बल्कि मानक और गुणात्मक बताता है। वह.

18 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 61। 19 1 9 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 61।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

इसमें कहा गया है कि "आवश्यकता जांच का मुख्य उद्देश्य साधनों, उद्देश्यों और अधिकारों के बीच संबंधों पर स्पष्ट रूप से विचार करना है। हालांकि, परिश्रम के साथ आवश्यकता जांच करने में विफलता का मतलब है कि एक सरकारी उपाय उद्देश्य की प्राप्ति और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव दोनों के संबंध में गहन जांच से बच सकता है।" 20

66. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, डॉ. सीकरी, जे., के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम। भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी.

1 (इसके बाद "के. एस. पुट्टास्वामी (आधार 5 जे.)") ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज केस (उपरोक्त) में निर्धारित परीक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जो जर्मन परीक्षण पर आधारित था और बिलचिट्ज़ द्वारा निर्धारित परीक्षणों के विपरीत उसी को संशोधित किया गया था। इसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 157. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में [आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम। एम. पी. की स्थिति, (2016) 7 एस. सी. सी. 353], आनुपातिकता के चार उप-घटक जिनकी आवश्यकता है

संतुष्ट होने पर ध्यान दिया गया। ये हैंः

(क) किसी अधिकार को सीमित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए।

(वैध लक्ष्य चरण)।
(ख) यह इस लक्ष्य (उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरण) को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए।

(ग) कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी नहीं होना चाहिए।

वैकल्पिक (आवश्यकता चरण)।
(घ) उपाय का अनुपातहीन प्रभाव नहीं होना चाहिए

दाएँ धारक (संतुलन चरण)।

158. के. एस. पुट्टास्वामी [के. एस.] में इसे मंजूरी दी गई है।

पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1] भी। इसलिए, आनुपातिकता के उपरोक्त चरणों पर विचार और चर्चा की जा सकती है। बेशक, इस अभ्यास को शुरू करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि वैध लक्ष्य संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए और यह भी कि इस तरह का अधिकार बाधित करता है। स्वतंत्रता जितनी कम हो सके। इस न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में, मामले में आनुपातिकता परीक्षण लागू करते समय जर्मन दृष्टिकोण को लागू किया। हम उसी आधार पर आगे बढ़ना चाहेंगे। जो, हालांकि, अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ संयमित है

इबिद, 62 [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिलचिट्ज़ द्वारा सुझाए गए। वास्तव में, यह जर्मन का मिश्रण है। और कनाडाई दृष्टिकोण। हम महसूस करते हैं कि चरण, जैसा कि उल्लेख किया गया है

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में [आधुनिक दंत चिकित्सा]

बिलचिट्ज़ द्वारा सुझाए गए, क्योंकि यह एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है इसे अपनाया जाना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

67. डॉ. चंद्रचूड़, जे., के. एस. पुट्टास्वामी में (आधार-5 जे.)

(उपर्युक्त) ने आनुपातिकता की कसौटी पर टिप्पणियां कीं जिन्हें हमारे संविधान के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित शब्दों में:

" 1288. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ [के. एस.

पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1], हम में से एक (चंद्रचूड़, जे.) ने चार न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए परीक्षण निर्धारित किए।

जिसे हमारे संविधान के तहत उल्लंघन के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी

निजता को उचित ठहराया जाए। इसमें आनुपातिकता का परीक्षण शामिल था:

(एस. सी. सी पी. 509, पैरा 325)

पर अनुमेय प्रतिबंधों के टचस्टोन का सामना करना मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में एक आक्रमण

निजता को एक कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो निर्धारित करता है

एक ऐसी प्रक्रिया जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। कानून को करना चाहिए

जीवन पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध हो और

अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन पर आक्रमण या

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए -

(i) वैधता, जो कानून के अस्तित्व को स्वीकार करती है; (ii)

आवश्यकता, एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित; और (iii)

आनुपातिकता जो दोनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है

उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उद्देश्य और साधन।

तीसरा सिद्धांत [(iii) उपरोक्त] आनुपातिकता के परीक्षण को अपनाता है।

वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करना। आनुपातिकता परीक्षण की आवश्यक भूमिका अदालत को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या कोई विधायी उपाय है मौलिक अधिकार के साथ इसके हस्तक्षेप में असमान। इसका निर्धारण करते समय, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या कम घुसपैठ करने वाला अनुराधा भसीन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

कानून के उद्देश्य के अनुरूप उपाय अपनाया जा सकता था और क्या किसी मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण का प्रभाव उस लाभ के लिए असमान है जो होने की संभावना है। आनुपातिकता मानक को कानून के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। संजय किशन कौल, जे. ने अपनी सहमति में निम्नानुसार एक चार-आयामी परीक्षण का सुझाव दियाः (एस. सी. सी पी. 632, पैरा 638)

" ((i) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित कार्रवाई में आवश्यक होना चाहिए

((ख)

एक वैध उद्देश्य के लिए लोकतांत्रिक समाज;

((iii) इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा आनुपातिक होनी चाहिए।

इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता;

(iv) दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।

इस तरह के हस्तक्षेप "।

(जोर दिया गया)

68. निर्णय लेने में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने के बाद

आधार योजना की संवैधानिक वैधता, डॉ. चंद्रचूड़, जे., के. एस. पुट्टास्वामी में (आधार-5 जे.) मामला (ऊपर), व्यक्तिगत डेटा से निपटने के दौरान गोपनीयता हितों की सुरक्षा के संबंध में आनुपातिकता के सिद्धांत के मौलिक उपदेशों को दोहरायाः

" 1324. आनुपातिकता के मौलिक नियम, जैसे कि वे

तय किए गए मामलों से उभरने वाले मामलों को इस प्रकार तैयार किया जा सकता हैः

1324.1 . मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कानून होना चाहिए

एक वैध राज्य उद्देश्य का पालन;

1324.2 . अधिकारों के लिए औचित्य-उल्लंघनकारी उपाय जो

उन उपायों के बीच तर्कसंगत संबंध, वास्तव में स्थिति और उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई;

1324.3 . इसे प्राप्त करने के लिए उपाय आवश्यक होने चाहिए

आपत्ति है और कुछ हद तक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए

लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक;

1324.4 . प्रतिबंधों को केवल वैध उद्देश्यों को पूरा नहीं करना चाहिए;

उन्हें उनकी रक्षा के लिए भी आवश्यक होना चाहिए; और [2020] 1 एस. सी. आर.

1324.5 . राज्य को संबंधित पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने चाहिए।

केंद्रीय रूप से भंडारित के भंडारण और संरक्षण के लिए

डेटा। मनमानी या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए

निजता में हस्तक्षेप, राज्य को यह गारंटी देनी चाहिए कि

व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह और उपयोग आधारित है व्यक्ति की सहमति पर; कि यह द्वारा अधिकृत है

और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं कि डेटा का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है

संग्रह का समय। डेटा का स्वामित्व बिल्कुल भी होना चाहिए।

समय उस व्यक्ति पर निहित होता है जिसका डेटा एकत्र किया जाता है। द. व्यक्ति को डेटा तक पहुँच का अधिकार होना चाहिए

एकत्र किया गया और बाहर निकलने का विवेक "।

(जोर दिया गया)

69. यह आनुपातिकता के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति है क्योंकि यह

भारत में मौजूद है, जिसमें आनुपातिकता न्यायिक संतुलन प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। लेकिन कई विद्वान संतुलन के बराबर आनुपातिकता को पहचानने के लिए सहमत नहीं हैं। 21

70. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम संक्षेप में बता सकते हैं -

आनुपातिकता के सिद्धांत की आवश्यकताएँ जिनका प्रतिबंध लगाने के इरादे से कोई आदेश पारित करने से पहले अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए

व्यक्तियों के मौलिक अधिकार। पहले चरण में ही, प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से इस तरह के उपाय का संभावित लक्ष्य होना चाहिए

तय किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा लक्ष्य वैध होना चाहिए। हालांकि, उपरोक्त उपाय पर निर्णय लेने से पहले, अधिकारियों को उपरोक्त लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वैकल्पिक तंत्र के अस्तित्व का आकलन करना चाहिए। इस तरह के उपाय की उपयुक्तता मौलिक अधिकारों और उनकी आवश्यकता पर इसके प्रभाव पर निर्भर करती है।

माप। उपरोक्त धारणा से यह निर्विवाद है कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा केवल न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय का सहारा लिया जा सकता है। अंत में, चूंकि आदेश का प्रभावित पक्षों के

मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। 21 जूलियन नदियाँ, समीक्षा की आनुपातिकता और परिवर्तनीय तीव्रता, (2006) 65 सी. एल. जे. 174 (इसके बाद नदियाँ, "आनुपातिकता"); मार्टिन लुटेरन, चियान सी. मर्फी और पेनी ग्रीन (संस्करण), लॉ एंड आउटसाइडर्स में साधन और अंत के बीच अनुपात के रूप में आनुपातिकता की ओरः 21 वीं सदी (2011) में मानदंड, प्रक्रियाएं और "अन्य" (इसके बाद लुटेरान, "आनुपातिकता की ओर"); इस खंड के अध्याय 3 में एलिसन एल. यंग का योगदान भी देखें।

71. प्रतिबंध की मात्रा और उसी का दायरा, क्षेत्रीय और अस्थायी दोनों रूप से, वास्तव में क्या है, इसके संबंध में खड़ा होना चाहिए।

एक आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है।

72. मौलिक अधिकारों की प्राप्ति पर प्रतिबंधों के तत्काल प्रभाव पर विचार करने के लिए, निर्णय निर्माता को दांव पर लगे विभिन्न कारकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सापेक्षिक महत्व की इस तरह की विशेषता ही आनुपातिकता का गठन करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक निर्णय जो उचित औचित्य के बिना मौलिक अधिकारों को कम करता है

असमान के रूप में वर्गीकृत। आनुपातिकता की अवधारणा के लिए एक

प्रतिबंध की क्षेत्रीय सीमा, आपातकाल के चरण, तात्कालिकता की प्रकृति, इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय की अवधि और इस तरह के प्रतिबंध की प्रकृति के अनुसार प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी प्रतिबंध के त्रिकोण को लागू करने से पहले उपयुक्तता, आवश्यकता और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

73. इस संदर्भ में, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ताओं ने ब्लोक विंग में हांगकांग के उच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले पर भरोसा किया है

लटकाएँ और ओआरएस। वी. परिषद में मुख्य कार्यकारी, [2019] एच. के. सी. एफ. आई. 2820 ने कहा कि हांगकांग उच्च न्यायालय ने "एंटी-मास्क" कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया है। किसी भी मामले में, हमें आवश्यकता नहीं है उसमें निर्धारित कानून पर टिप्पणी करें, क्योंकि इस न्यायालय ने भारतीय संदर्भ में लागू आनुपातिकता की कसौटी को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया है। हालाँकि, हम केवल यह इंगित कर सकते हैं कि आनुपातिकता परीक्षण को तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में बहुत अलग हैं।

74. आनुपातिकता और उचित प्रतिबंधों पर कानून का पालन करने के बाद, हमें इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के अनुप्रयोग पर वापस आने की आवश्यकता है।

75. प्रतिवादी-राज्य ने ऐसा करने के लिए प्रौद्योगिकी की कमी के आधार पर इंटरनेट सेवाओं तक चुनिंदा पहुंच का जोरदार विरोध किया है। अगर ऐसा है। एक विवाद स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार के पास हर बार पूरी तरह से इंटरनेट अवरुद्ध करने के लिए एक स्वतंत्र अनुमति होगी। इस तरह के पूर्ण अवरोध/निषेध को इस न्यायालय द्वारा हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

76. हालाँकि, सरकार के इस तर्क में पर्याप्त योग्यता है कि इंटरनेट का उपयोग आतंकवाद का प्रचार करने के लिए किया जा सकता है जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती मिल सकती है। यह न्यायालय केवल यह देखेगा कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर शांति और शांति की प्राप्ति के लिए [2020] 1 एस. सी. आर. के बिना एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत विभिन्न विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आवश्यकताओं के प्रभाव को इस तरह से समाप्त किया जा सके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम तरीके से बोझ डालता है। 77. मौलिक अधिकारों के सामान्य संवैधानिक दायरे, आनुपातिकता और उचित प्रतिबंधों पर चर्चा करने और इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (2) के तहत इसके प्रतिबंधों पर एक विशिष्ट चर्चा करने के बाद, अब हमें आवेदन का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

वर्तमान मामले में भी।

एफ. इंटरनेट शटडाउन

78. इंटरनेट के अधिकार से संबंधित मूल कानून और उस पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों को देखने के बाद, हमें प्रक्रियात्मक पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

79. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि मौलिक अधिकारों के विश्लेषण के तहत ठोस न्याय महत्वपूर्ण है, प्रक्रियात्मक न्याय महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

मूल न्याय की वेदी पर बलिदान किया गया। व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक न्याय की आवश्यकता है।

मौलिक अधिकार जिन्हें इस न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम के मामले में मान्यता दी थी। भारत संघ (1978) 1 एस. सी. सी. 248 और के. एस.

पुट्टास्वामी (गोपनीयता-9 जे।) मामला (ऊपर)।

वे केवल उपलब्ध वैधानिक योजना से संबंधित हैं, विशेष रूप से टेलीग्राफ अधिनियम के तहत, और इसलिए हम अपनी चर्चा को ज्यादातर उसी तक सीमित रखेंगे। हालाँकि, चूंकि विभिन्न वैधानिक तंत्रों के बीच अंतर करना उचित होगा, इसलिए हम इन पर धीरे-धीरे चर्चा करेंगे। 81. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए को सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय) के साथ पढ़ा जाता है।

जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करना) नियम, 2009 सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। इस न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले (उपरोक्त) में इस धारा और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्षेत्र इस खंड का संचालन दायरे में सीमित है। इस खंड का उद्देश्य समग्र रूप से इंटरनेट को प्रतिबंधित/अवरुद्ध करना नहीं है, बल्कि केवल अनुराधा भसीन बनाम तक पहुंच को अवरुद्ध करना है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

इंटरनेट पर विशेष वेबसाइटें। इसलिए, सरकार द्वारा इस धारा के तहत आम तौर पर इंटरनेट को प्रतिबंधित करने का उपाय नहीं किया जा सकता है।

82. 2017 से पहले, आम तौर पर इंटरनेट को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी उपाय

या यहाँ तक कि इंटरनेट को बंद करने को धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित किया गया था, एक सामान्य प्रावधान जो निर्दिष्ट मजिस्ट्रेटों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

इसमें खतरे की आशंका के मामलों में आदेश पारित करना। 2015 में, गुजरात उच्च न्यायालय, गौरव सुरेशभाई व्यास बनाम के मामले में। गुजरात राज्य ने 2015 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 191 में गुजरात राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए धारा 144, Cr.P.C के तहत एक आदेश को चुनौती दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.09.2015 के आदेश के माध्यम से धारा 144, Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने धारा 144, Cr.P.C के तहत इस तरह के प्रतिबंध जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति पर पूर्ण चर्चा नहीं की।

" 9 ..... [संहिता की धारा 144 के तहत, निर्देश हो सकते हैं -

कुछ व्यक्तियों को जारी किया गया जो स्रोत हो सकते हैं

याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल धारा 69ए का सहारा उपलब्ध था और संहिता की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया था

अनुपलब्ध, स्वीकार किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

के उपरोक्त फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी

गुजरात उच्च न्यायालय, जो 2016 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 601 है, जिसे इस न्यायालय द्वारा 11.02.2016 पर सीमा में खारिज कर दिया गया था।

83. 2017 के बाद से स्थिति बदल गई है,

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 7 के तहत निलंबन नियम। निलंबन नियमों की घोषणा के साथ, राज्य इंटरनेट तक पहुंच सहित दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए उपरोक्त नियमों का उपयोग कर रहे हैं।

84. निलंबन नियम कुछ सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हैं,

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसके तहत एक कार्रवाई का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि हम निलंबन नियमों की संवैधानिकता से चिंतित नहीं हैं, और

उसी पर तर्क दोनों पक्षों द्वारा प्रचार नहीं किए गए थे। इस प्रकार, हम अपनी चर्चा को उसमें निर्धारित प्रक्रिया तक सीमित कर रहे हैं। नियम 2 दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है, और पूरी तरह से पुनरुत्पादन के योग्य हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. (1) दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश सचिव द्वारा दिए गए आदेश के अलावा जारी नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में भारत सरकार या राज्य के सचिव द्वारा

राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग की प्रभारी सरकार (इसके बाद सक्षम के रूप में संदर्भित)

प्राधिकरण), और अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां पूर्व निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे संघ गृह द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है।

सचिव या राज्य गृह सचिव, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का आदेश या

राज्य गृह सचिव, ऐसा आदेश जारी करने के 24 घंटों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि के अधीन होगाः

24 घंटे की उक्त अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि। (2) उप-नियम (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश में ऐसे निर्देश के कारण होंगे और ऐसे आदेश की एक प्रति अगले कार्य दिवस तक संबंधित समीक्षा समिति को भेजी जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के तहत जारी निलंबन के निर्देशों को टेलीग्राफ प्राधिकरण के नामित अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं के नामित अधिकारियों को, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस दिए गए हैं, लिखित रूप में या पुलिस अधीक्षक के पद से कम या समकक्ष पद और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन के अधिकारी द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा सूचित किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) टेलीग्राफ प्राधिकरण और सेवा प्रदाता प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, में अधिकारियों को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए ऐसी आवश्यकताओं को प्राप्त करने और संभालने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में नामित करेंगे। (5) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, एक समीक्षा समिति का गठन करेगी।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

(क) कैबिनेट सचिव-अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के सचिव, प्रभारी, कानूनी

मामले-सदस्य;

(ग) सरकार के सचिव, विभाग

दूरसंचार-सदस्य।

((ii) राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) मुख्य सचिव-अध्यक्ष;

(ख) सचिव विधि या कानूनी अनुस्मारक प्रभारी, कानूनी

मामले-सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के सचिव (गृह के अलावा)

सचिव)-सदस्य।

(6) समीक्षा समिति सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण सेवाओं के निलंबन के निर्देश जारी होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर बैठक करेगी और अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगी कि क्या

उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार हैं।

85. नियम 2 (1) निलंबन नियमों के तहत आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के मामले में, गृह सचिव

राज्य सरकार का विभाग। उप-नियम में यह भी प्रावधान है कि कुछ "अपरिहार्य" परिस्थितियों में एक अधिकारी, जो विधिवत अधिकृत है, संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं है, सेवाओं को निलंबित करने का आदेश पारित कर सकता है। नियम 2 (1) के दो प्रावधान इसमें बेहद प्रासंगिक हैं, जो उन आदेशों के बारे में एक आंतरिक जांच पैदा करते हैं जो एक अधिकृत अधिकारी द्वारा "अपरिहार्य" परिस्थितियों में पारित किए जाते हैं, जैसा कि परिकल्पित सामान्य तंत्र के विपरीत है, जो सक्षम द्वारा आदेश जारी करना है।

प्राधिकरण। प्रावधानों में एक साथ यह प्रावधान किया गया है कि "अपरिहार्य" परिस्थितियों में विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर पुष्टि की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर, दूसरे परंतुक के अनुसार, निलंबन का आदेश अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश की पुष्टि आवश्यक है, [2020] 1 एस. सी. आर.

86. नियम 2 (2) भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नियम 2 (1) के तहत पारित आदेशों के लिए दोहरी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि नियम 2 (1) के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए। इस आवश्यकता को न केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के लिए, बल्कि एक अधिकृत अधिकारी द्वारा पारित उन आदेशों के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें बाद में सक्षम प्राधिकारी को पुष्टि के लिए भेजा जाना है। प्राधिकृत अधिकारी का तर्क होना चाहिए

न केवल उपाय की आवश्यकता को इंगित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि "अपरिहार्य" परिस्थिति क्या थी जिसके कारण उन्हें आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त नियम का उद्देश्य आनुपातिकता विश्लेषण को नियमों के ढांचे के भीतर एकीकृत करना है। 87. केवल ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की आवश्यकता का कोई अर्थ होगा, क्योंकि यह अनुमति देगा

द्वारा की गई कार्रवाई पर उचित रूप से विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

अधिकृत अधिकारी। इसके अलावा, पुष्टि केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सक्षम लोगों द्वारा मन के स्वतंत्र अनुप्रयोग का संकेत देना चाहिए।

88. नियम 2 (2) के तहत दूसरी आवश्यकता सक्षम प्राधिकारी के तर्कपूर्ण आदेश को समीक्षा समिति को अग्रेषित करना है। जिसे एक कार्य दिवस के भीतर निलंबन नियमों के तहत स्थापित किया गया है। समीक्षा समिति की संरचना नियम 2 (5) के तहत प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के लिए दो अलग-अलग समीक्षा समितियों पर विचार किया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर करता है जिसने

नियम 2 (1) के तहत आदेश। नियम 2 (6) निलंबन नियमों के तहत जारी आदेशों के संबंध में अंतिम आंतरिक जांच है। नियम

नियम मुख्य क़ानून के प्रावधानों के अनुसार हैं। , टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2)। 89. टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुसार नियमों के तहत जारी किए गए आदेशों की यह अंतिम आवश्यकता अनुराधा भसीन बनाम के लिए बहुत प्रासंगिक है।

भारत और ओआरएस का संघ।

[एन. वी. रमना, जे.]

उन परिस्थितियों को समझें जिनमें निलंबन के आदेश हो सकते हैं

डी। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) इस प्रकार हैः

" 5. सरकार को अनुज्ञापत्र लेने की शक्ति

तार और संदेशों के अवरोधन का आदेश देना

अपराध करना, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आदेश द्वारा निर्देश देता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उससे, या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी संदेश या संदेश का वर्ग, जो किसी व्यक्ति द्वारा संचारित या प्रेषित या प्राप्त किया गया हो। तार को प्रेषित नहीं किया जाएगा, या उसे रोका या हिरासत में लिया जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में उल्लिखित किसी अधिकारी को इसका खुलासा किया जाएगाः

बशर्ते कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेश भारत में प्रकाशित किए जाने का इरादा रखते हों

या किसी राज्य सरकार को तब तक रोका या हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि इस उप-धारा के तहत उनका प्रसारण प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

90. इस न्यायालय को ग्राफ अधिनियम की धारा 5 की व्याख्या करने का पूर्व अवसर मिला है। हुकुम चंद श्याम लाल बनाम के मामले में। संघ, (1976) 2 एस. सी. सी. 128, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने टेलीग्राफ अधिनियम के 5 पर व्याख्या की और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 13.धारा 5 (1) यदि ठीक से समझा जाता है, तो केंद्र सरकार/राज्य को निर्देशित और बेलगाम शक्ति प्रदान नहीं करता है।

कब्जा लेने के लिए सरकार/विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी

कोई भी तार। सबसे पहले, एक "सार्वजनिक" की घटना

आपातकाल "शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है।

इस धारा के तहत। अभ्यास के लिए एक प्रारंभिक कदम के रूप में

इस धारा के तहत आगे की अधिकारिता सरकार या

संबंधित प्राधिकारी को इस तरह के आपातकाल के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आपातकाल का अस्तित्व जो इस धारा, [2020] 1 एस. सी. आर. के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

एक "सार्वजनिक आपातकाल" होना चाहिए न कि किसी अन्य प्रकार का

आपात स्थिति। अभिव्यक्ति सार्वजनिक आपातकाल को परिभाषित नहीं किया गया है।

सुरक्षा "। ये दोनों वाक्यांश प्रत्येक से रंग लेते प्रतीत होते हैं। अन्य। उपखंड (2) के पहले भाग में वे दो वाक्यांश हैं।

फिर से एक दूसरे के साथ संबंध में होता है, और संदर्भ

आगे प्रवर्धन के साथ स्पष्ट करता है कि एक "सार्वजनिक

इस धारा के विचार के भीतर "आपातकाल" एक है

जो जनता के हित से संबंधित समस्याएं पैदा करता है

राज्य के, विदेशी राज्यों या जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आयोग को उकसाने का आदेश या रोकथाम

एक अपराध। इन मामलों के संदर्भ में यह उचित है कि प्राधिकरण को घटना के संबंध में एक राय बनानी होगी

इसके तहत आगे की कार्रवाई करने की दृष्टि से एक सार्वजनिक आपातकाल

अनुभाग "।

(जोर दिया गया)

91. उपरोक्त मामले का अनुसरण पीपुल्स यूनियन में किया गया था।

नागरिक स्वतंत्रता (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ, (1997) 1 एस. सी. सी. 301, धारा 5 (2) के तहत पारित फोन टैपिंग आदेशों के विस्तार में

राफ़ अधिनियम, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

" 29. इसलिए अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत पहला कदम है -

5 (2) अधिनियम को अवरोधन का आदेश पारित करने का अधिकार है अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद कि यह आवश्यक या समीचीन है

(i) भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में कार्य करना, (ii)

राज्य की सुरक्षा, (iii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,

((iv) सार्वजनिक व्यवस्था या (v) आयोग को उकसाने से रोकने के लिए

एक अपराध। जब ऊपर वर्णित पाँच स्थितियों में से कोई भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए फिर उक्त की आवश्यकता होती है

प्राधिकारी द्वारा संदेशों के अवरोधन के लिए आदेश पारित किया जा सकता है

ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें। अनुराधा भसीन बनाम।

92. धारा के शब्दों और इस न्यायालय की उपरोक्त दो घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, जो सामने आता है वह यह है कि इस उप-धारा और इसलिए निलंबन नियमों के तहत एक आदेश पारित करने के लिए पूर्व-आवश्यकता "सार्वजनिक आपातकाल" की घटना है या यह "सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" है। हालांकि वाक्यांश "सार्वजनिक"

"आपातकाल" को टेलीग्राफ अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि वाक्यांश के अर्थ का अनुमान इसके बाद "सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" वाक्यांश के संयोजन से लगाया जा सकता है। हुकुम चंद श्याम लाल मामला (उपरोक्त) आगे स्पष्ट करता है कि "सार्वजनिक आपातकाल" का दायरा "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने" से संबंधित उप-धारा के तहत विचार की गई स्थितियों से संबंधित है।

जो राष्ट्र के जीवन के लिए खतरा है और जिसका अस्तित्व आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। तुलनात्मक भाषा का भी उपयोग किया गया है मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन का अनुच्छेद 15 जो कहता है "युद्ध या अन्य सार्वजनिक आपातकाल के समय राष्ट्र के जीवन को खतरे में डालता है"। हम केवल यह इंगित कर सकते हैं कि 'सार्वजनिक आपातकाल' गंभीर प्रकृति का होना आवश्यक है, और इसे मामले के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

94. टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) की दूसरी आवश्यकता प्राधिकरण को संतुष्ट करने के लिए है कि इसे पारित करना आवश्यक या समीचीन है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या अपराध करने के लिए उकसाने को रोकने के लिए आदेश, और उस पर कारणों को दर्ज करना चाहिए। 'आवश्यकता' और 'समीचीनता' शब्द उन चरणों को साथ लाता है जिनसे आपात स्थिति आमतौर पर गुजरती है। एक सार्वजनिक आपातकाल में आमतौर पर विभिन्न चरण और अधिकारी शामिल होते हैं। उपरोक्त नियमों के तहत शक्ति का उपयोग करने से पहले, मंच के संबंध में होना आवश्यक है। आपात स्थिति के चरणों पर विचार करते समय कारकों का उचित संतुलन अलग-अलग होता है और तदनुसार, अधिकारियों को आनुपातिकता की आवश्यकता को पूरा करने के बाद इस तरह के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को त्रिकोणीय करने की आवश्यकता होती है।

95. याचिकाकर्ता की विद्वान वकील सुश्री वृंदा ग्रोवर द्वारा परंतुक की व्याख्या के संबंध में एक बिंदु का प्रचार किया गया

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2)। इस धारा के प्रावधान में निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के संदेशों के एक वर्ग, यानी भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों के साथ अन्य वर्गों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा।

संदेश। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस अलग वर्गीकरण की आवश्यकता है कि प्रेस में हस्तक्षेप करने वाला आदेश होगा

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) का अनुपालन केवल तभी किया जाए जब इसमें विशेष रूप से कहा गया हो कि प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना है। हालाँकि, उपरोक्त व्याख्या का याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के किसी भी निर्णय के साथ समर्थन नहीं किया जा सका। 96. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि निलंबन नियम आदेशों के प्रकाशन या अधिसूचना के लिए प्रदान नहीं करते हैं, एक तय सिद्धांत

कानून और प्राकृतिक न्याय यह है कि एक आदेश, विशेष रूप से जो लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करता है, उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोई भी कानून जो लोगों के अनुपालन की मांग करता है, उसे सीधे और विश्वसनीय रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह मामला इस बात की परवाह किए बिना है कि मूल क़ानून या नियम इसे निर्धारित करता है या नहीं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पढ़ने की आवश्यकता है कि निलंबन नियमों के तहत पारित सभी आदेश किसी उपयुक्त तंत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जाएं। [बी. के. श्रीनिवासन बनाम देखें। कर्नाटक राज्य, (1987) 1 एससीसी 658]

97. उपरोक्त आवश्यकता प्रभावित पक्ष के आदेशों को चुनौती देने के अधिकारों को आगे बढ़ाएगी, यदि पीड़ित है। निलंबन नियमों के तहत जारी आदेशों की न्यायिक समीक्षा हमेशा उपलब्ध होती है, हालांकि कोई अपीलीय तंत्र प्रदान नहीं किया गया है, और इसे हटाया या अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। एक व्यथित व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 226 या अन्य उपयुक्त मंच के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष निलंबन नियमों के तहत दिए गए आदेशों को चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार है।

98. हम यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जैसे -

हमारे द्वारा स्पष्ट किए जाने पर इसका अनिवार्य रूप से पालन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हुकुम चंद श्याम लाल मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 18. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी शक्ति का प्रयोग किसी निश्चित प्राधिकारी द्वारा एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो इसका प्रयोग उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं, और अन्य सभी अनुराधा भसीन v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

प्रदर्शन के ऐमोड (एस. आई. सी.) अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं। यह है।

इस नियम का पालन करना और भी अधिक आवश्यक है जहाँ शक्ति एक की है कठोर प्रकृति "।

(जोर दिया गया)

यह बड़ी जनता को देखते हुए और भी अधिक बल के साथ लागू होता है।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध होंगे।

99. अंत में, हम इस बात को दोहराना आवश्यक समझते हैं कि

दूरसंचार सेवाओं के निलंबन, चाहे वह इंटरनेट हो या अन्यथा, एक कठोर उपाय होने के कारण, राज्य द्वारा केवल 'आवश्यक' और 'अपरिहार्य' होने पर ही विचार किया जाना चाहिए। इसे आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को एक वैकल्पिक कम घुसपैठ उपचार के अस्तित्व का आकलन करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद, हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त निलंबन नियमों में कुछ अंतराल हैं, जो

विधायिका द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

100. जिन अंतरालों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए उनमें से एक संबंधित है

निलंबन के शीर्षक में "अस्थायी" शब्द का उपयोग

नियम। उपरोक्त के बावजूद, अधिकतम अवधि का कोई संकेत नहीं है जिसके लिए निलंबन आदेश लागू हो सकता है। निर्णय के पूर्व खंड में व्याख्या की गई आनुपातिकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उपरोक्त सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में, कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा को निर्धारित करना आवश्यक है जब तक कि विधायिका द्वारा उपरोक्त कमी को दूर नहीं किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

निलंबन नियमों के नियम 2 (5) के तहत गठित समीक्षा समिति नियम 2 (6) के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में पिछली समीक्षा के सात कार्य दिवसों के भीतर आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। इसलिए समीक्षा समिति को न केवल इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि क्या प्रतिबंध अभी भी टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) की आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं, बल्कि इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए कि क्या आदेश अभी भी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक हैं।

उसी के परिणाम। हम स्पष्ट करते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि

निलंबन नियमों के तहत विचार किए गए प्रतिबंध अस्थायी हैं प्रकृति, इसे उस समय अवधि से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो आवश्यक है।

101. प्रतिबंधों के संबंध में हमारे सामने रखे गए आदेशों पर आते हैं

संचार और इंटरनेट पर, आठ ऑर्डर हैं जो [2020] 1 एस. सी. आर. दिए गए हैं।

हमारे सामने। संबंधित क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चार आदेश पारित किए गए हैं, जबकि अन्य चार आदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा पारित पुष्टि आदेश हैं, जो पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित चार आदेशों की पुष्टि करते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस न्यायालय को राज्य द्वारा जमीनी स्थिति से पूरी तरह से अवगत नहीं कराया गया है। हमारा मानना है कि अधिकारियों को इस मामले में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर नए सिरे से अपने आदेश पारित करने होंगे। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने केवल सोशल मीडिया सेवाओं को अवरुद्ध करने के उपाय की व्यवहार्यता के बारे में उनसे पूछे जाने पर कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, राज्य को इस तरह की व्यवहार्यता निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए था माप। चूंकि सभी आदेश इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गए हैं और इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन से आदेश लागू हैं और कौन से पहले ही वापस ले लिए गए हैं, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था की स्थितियों की संभावना के संबंध में जताई गई आशंका, हमने तदनुसार राहत को परिचालन भाग में ढाला है।

" चूंकि आपातकाल सरकार के कार्यों की रक्षा नहीं करता है पूरी तरह से; असहमति अस्थिरता को उचित नहीं ठहराती है;

कानून के शासन की बत्ती हमेशा चमकती है।

103. याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी

तथ्य जो 04.08.2019 पर धारा 144, Cr.P.C के तहत प्रतिबंध लगाने की गारंटी देते हैं। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि एक ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जो यह दर्शाती है कि एक ऐसी कार्रवाई होगी जो संभवतः किसी भी व्यक्ति के लिए बाधा, झुंझलाहट या चोट पैदा करेगी या संभवतः सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करेगी, और सरकार इस तरह के आदेशों को प्रत्याशित रूप से या केवल आशंका के आधार पर पारित नहीं कर सकती थी।

104. जवाब में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, की ओर से

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अस्थिर इतिहास, बाहरी आक्रमणों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध भारी सामग्री, नापाक अनुराधा भसीन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

सायनिस्ट गतिविधियाँ और राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए उत्तेजक बयानआरएस ने एक मजबूर करने वाली स्थिति पैदा की जिसने आदेशों को पारित करना अनिवार्य कर दिया

आर धारा 144, Cr.P.C।

105. इन तर्कों के लिए हमें धारा Cr.P.C के दायरे की जांच करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः

" 144. उपद्रव या उपद्रव के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति खतरे का सामना करना पड़ा। — (1) ऐसे मामलों में जहां, जिला मजिस्ट्रेट की राय में, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट या राज्य द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट

सरकार के पास इस संबंध में पर्याप्त आधार है -

इस धारा के तहत कार्यवाही और तत्काल रोकथाम या

त्वरित उपचार वांछनीय है, ऐसा मजिस्ट्रेट, मामले के भौतिक तथ्यों को बताते हुए एक लिखित आदेश द्वारा कार्य कर सकता है और

धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति, किसी व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य से दूर रहने या अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश लेने का निर्देश देती है, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट मानता है कि ऐसा निर्देश रोकने की संभावना है, या रोकने की प्रवृत्ति रखता है।

कानूनी रूप से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा, या कानून के प्रावधानों को बाधित करना।

सार्वजनिक शांति, या एक दंगा, या एक झगड़ा।

(2) इस धारा के तहत एक आदेश, आपात स्थिति के मामलों में या

जिन मामलों में परिस्थितियाँ उस व्यक्ति को नोटिस के नियत समय में सेवा करने की बात स्वीकार नहीं करती हैं जिसके खिलाफ आदेश निर्देशित किया गया है,

एक तरफ से पारित किया जाए। (3) इस धारा के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को, या आम तौर पर किसी विशेष स्थान पर बार-बार आने या जाने पर जनता को निर्देशित किया जा सकता है।

या क्षेत्र। (4) इस धारा के तहत कोई भी आदेश अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।

इसे बनाने के दो महीने से अधिकः बशर्ते कि, यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए या किसी दंगे या किसी झगड़े को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश उस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिस दिन मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश होता, लेकिन ऐसे आदेश की अवधि समाप्त हो जाती, जैसा कि वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।

(5) कोई भी मजिस्ट्रेट, या तो अपने दम पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है। इस धारा के तहत स्वयं या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया

उसे या उसके पूर्ववर्ती द्वारा।

(6) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकती है।

उप-धारा (4) के परंतुक के तहत उसके द्वारा किया गया।

(7) जहां उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदक को जल्द से जल्द आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगी।

उसके समक्ष, या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर और आदेश के खिलाफ कारण बताते हुए; और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर देती है, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

106. धारा 144, Cr.P.C. उन तंत्रों में से एक है जो राज्य को सार्वजनिक शांति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह अध्याय का हिस्सा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता "लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने" से संबंधित है और "उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों" पर उप-अध्याय में निहित है। प्रावधान की संरचना से पता चलता है कि इस शक्ति का उपयोग केवल "उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों" में किया जा सकता है।

107. धारा 144, Cr.P.C. राज्य को सार्वजनिक शांति के लिए आसन्न खतरों से निपटने के लिए निवारक उपाय करने में सक्षम बनाती है। यह मजिस्ट्रेट को एक अनिवार्य आदेश जारी करने में सक्षम बनाता है जिसमें कुछ कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, या नागरिकों को कुछ चीजें करने से रोकने वाला एक निषेधात्मक आदेश। लेकिन यह यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। - इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले पूर्व जांच, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए भौतिक तथ्यों को निर्धारित करना और स्थिति की आवश्यकता होने पर आदेश को संशोधित/रद्द करना।

108. धारा 144, Cr.P.C में उपरोक्त सुरक्षा उपायों पर नीचे चर्चा की गई है और वे गहन जांच के योग्य हैं।

(क) आदेश जारी करने से पहले पूर्व जांचः धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश जारी करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट (या कोई अन्य)

प्राधिकृत मजिस्ट्रेट) की राय होनी चाहिए किः

आई. इस प्रावधान के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है अर्थात आदेश से बाधा को रोकने की संभावना है, अनुराधा भसीन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

कानूनी रूप से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को परेशान करना या चोट पहुंचाना या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा या बाधा

सार्वजनिक शांति; और

ii. तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार वांछनीय है।

वाक्यांश "राय" से पता चलता है कि यह एक के बाद आया होना चाहिए

इस प्रावधान के तहत प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा सावधानीपूर्वक जांच।

(ख) आदेश की सामग्रीः एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट किसी राय पर पहुंच जाता है, तो वह एक लिखित आदेश जारी कर सकता है जो या तो किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकता है या एक अनिवार्य आदेश जारी कर सकता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत संपत्ति के संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आदेश नहीं हो सकता है।

एक ब्लैंकेट ऑर्डर बनें। इसे मामले के "भौतिक तथ्यों" को निर्धारित करना चाहिए। "भौतिक तथ्यों" को उन कारणों का संकेत देना चाहिए जो धारा के तहत आदेश जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ थे।

144 , Cr.P.C।

(ग) आदेश का संप्रेषणः आदेश को धारा 134, Cr.P.C के तहत प्रदान किए गए तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके खिलाफ यह किया गया है। यदि ऐसी कार्रवाई व्यवहार्य नहीं है, तो इसे घोषणा और प्रकाशन द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को जानकारी दी जा सके। केवल किसी आपात स्थिति में या जहाँ

परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है

ऐसा व्यक्ति, क्या आदेश एकतरफा पारित किया जा सकता है।

(घ) आदेश की अवधिः चूँकि इस शक्ति का प्रयोग केवल तत्काल मामलों में किया जा सकता है, क़ानून ने अस्थायी प्रतिबंधों को शामिल किया है जो आदेश दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है। हालांकि, राज्य सरकार एक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत जारी आदेश को छह महीने तक बढ़ा सकती है, अगर राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने या दंगे को रोकने के लिए इसे आवश्यक समझती है।

हालांकि, मजिस्ट्रेट के लिए दो महीने की अवधि की बाहरी सीमा और राज्य सरकार के लिए छह महीने की सीमा का प्रावधान किया गया है। धारा 144, Cr.P.C के तहत लेकिन संबंधित मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए लगाए गए हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) के बचाव या संशोधन करते समय न्यायिक रूप से कार्य करें

आदेशः मजिस्ट्रेट अपने दम पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है। इसी तरह, राज्य सरकार भी अपने प्रस्ताव पर अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकती है।

धारा 144 के तहत पारित आदेश, संशोधन या परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते हुए, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, यानी, आवेदन को अस्वीकार करने पर व्यक्तिगत सुनवाई और कारण देना। ऐसे आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

109. धारा 144, Cr.P.C. कई लोगों का विषय रहा है।

आई. टी. यू. एन. बेंच के निर्णय और हम संक्षेप में उनकी जांच करेंगे। द.

598 अधिनियम के पूर्ववर्ती के तहत धारा 144, Cr.P.C की वैधानिक वैधता पहली बार बाबूलाल पराटे मामले (उपरोक्त) में अदालत की संविधान पीठ के समक्ष सामने आई। विवाद को पीछे हटाना सभा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इस न्यायालय ने धारा के तहत निर्मित विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण प्रावधान किया है।

Cr.P.C. इस न्यायालय ने राय दी किः

धारा 144, Cr.P.C मनमाना शक्ति प्रदान नहीं करती है

ए।

मजिस्ट्रेट, क्योंकि यह एक जांच से पहले होना चाहिए।

बी। हालाँकि धारा 144, Cr.P.C व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है, लेकिन यह कर सकती है

केवल आपात स्थिति में और कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा और झुंझलाहट या चोट से बचाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जा सकता है। धारा 144, Cr.P.C असीमित नहीं है। शक्ति।

सी। मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करते समय उन भौतिक तथ्यों को बताना होता है जिन पर वह आधारित होता है। चूंकि आदेश में प्रासंगिक तथ्य बताए गए हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक सामग्री होगी कि क्या ऐसी सामग्री धारा 144, Cr.P.C आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे कारणों पर विचार करते समय, उचित वजन होना चाहिए

जिला मजिस्ट्रेट की राय दी गई जो है

जिले में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार।

डी। इस शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट

खतरा मंडराता है। यह केवल "संभावना" या एक नहीं है " प्रवृत्ति ", लेकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए विशेष कृत्यों की तत्काल रोकथाम।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

ई. भले ही विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कुछ वर्ग सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहे हों, मजिस्ट्रेट पूरे क्षेत्र के लिए एक आदेश पारित कर सकता है क्योंकि मजिस्ट्रेट के लिए ऐसा करना मुश्किल है।

जनता के सदस्यों और गैरकानूनी गतिविधि में शामिल लोगों के बीच अंतर करना। हालांकि, कोई भी प्रभावित व्यक्ति हमेशा धारा 144 (4), Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।
उन्हें किसी भी वैध गतिविधि को करने की अनुमति दें।

एफ. यदि कोई व्यक्ति आदेश में संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट को सुनवाई करके न्यायिक कार्यवाही करनी होती है, और इसके लिए कारण बताना होता है।

निर्णय आ गया।

धारा 144, Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश है

जी।

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ एक आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त हैं जो

उन सामग्रियों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है जिन पर आदेश है

आधारित होना चाहिए।

एच. यदि धारा 144, Cr.P.C के तहत जारी आदेश का पालन न करने के लिए कोई अभियोजन शुरू किया जाता है, तो धारा 144, Cr.P.C.can के तहत ऐसे आदेश की वैधता को उस स्तर पर भी चुनौती दी जाएगी।

बिहार बनाम. कमला कांत मिश्रा, (1969) 3 एस. सी. सी. 337। बहुमत का फैसला धारा 144 (6), Cr.P.C के बाद के भाग को तब के रूप में घोषित किया गया, जिसने राज्य सरकार को धारा के तहत पारित आदेश का विस्तार करने में सक्षम बनाया।

144 , Cr.P.C. अनिश्चित काल के लिए, असंवैधानिक के रूप में, क्योंकि यह आदेश की अवधि पर सीमाएं प्रदान नहीं करता था और आदेश की अवधि के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें कोई तंत्र प्रदान नहीं किया गया था। 1973 के अधिनियम के तहत आदेश की अधिकतम अवधि के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है।

111. मधु लिमये मामले (उपरोक्त) में सात न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन बाबुलाल पराटे में निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करने के लिए किया गया था।

(ऊपर) और धारा 144, Cr.P.C की संवैधानिक वैधता। यह न्यायालय, धारा 144, Cr.P.C की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करते हुए, धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सुरक्षा उपायों को दोहराता है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति होनी चाहिए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) हानिकारक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल स्थितियों में प्रयोग किया जाता है।

चूँकि इस शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से और पूर्व में भी किया जा सकता है।

एक तरफ, "आपातकाल अचानक होना चाहिए और इसके परिणाम

काफी गंभीर "

(ख) न्यायिक तरीके से प्रयोग किया जाता है जो न्यायिक तरीके का सामना कर सकता है।

जाँच करें।

इस न्यायालय ने कहा किः

यहाँ तक कि पूर्व पक्ष भी। यह स्पष्ट है कि आपातकाल होना चाहिए अचानक और परिणाम काफी गंभीर होते हैं। इसके बिना

शक्ति के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं होगा। यह एक नहीं है

प्रशासन से बहने वाली साधारण शक्ति लेकिन एक शक्ति न्यायिक तरीके से उपयोग किया जाता है और जो आगे न्यायिक हो सकता है

शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता में जांच, इसके प्रभावकारिता और इसके अनुप्रयोग की सीमा में। कोई सामान्य नहीं है

प्रस्ताव है कि धारा 144, दंड प्रक्रिया के तहत एक आदेश

सबूत लिए बिना संहिता पारित नहीं की जा सकतीः .....

ये बुनियादी तथ्य अवसरों के तरीके से सामने आते हैं शक्ति के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। जनता की परेशानियाँ

शांति, दंगे और कलह सार्वजनिक व्यवस्था के विध्वंस की ओर ले जाते हैं जब तक कि

उन्हें समय पर रोका जाता है। मानव जीवन के लिए खतरनाक उपद्रव,

स्वास्थ्य या सुरक्षा को कम करने और रोकने में कोई संदेह नहीं है। ..... में।

जहाँ तक खंड के अन्य भागों का संबंध है, कुंजी

शक्ति का ध्यान समाज को गंभीर खतरे से मुक्त करना है

एक गंभीर चरित्र की गड़बड़ी। इस धारा के खिलाफ निर्देश दिया गया है

जो दूसरों द्वारा कानूनी अधिकारों के प्रयोग को रोकने का प्रयास करते हैं

या सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालना। अगर ऐसा है तो

उन प्रतिबंधों के दायरे में आना चाहिए जो स्वयं संविधान में हैं

सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अनुमेय के रूप में कल्पना करता है, या

आम जनता का हित। लेकिन हम कह सकते हैं कि

चिड़चिड़ापन को पर्याप्त रूप से गंभीर अनुपात में होना चाहिए

इस मामले को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लाएं।

(जोर दिया गया)

112. फिर से, मोहम्मद में। गुलाम अब्बास बनाम। मोहम्मद. इब्राहिम, (1978) 1

226 , इस न्यायालय ने एक समीक्षा याचिका पर निर्णय लेते हुए अनुराधा भसीन बनाम के बारे में विस्तार से बताया।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

ऐसे उदाहरण जिनमें धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति हो सकती है।

आइसेड। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 3. ..... यह केवल वहाँ है जहाँ उन्हें अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है

राज्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करें जो काफी कानूनी हो। किसी क्षेत्र में रहने वाले या अक्सर रहने वाले व्यक्तियों की उत्तेजित भावनाएँ

एक इलाका, कि धारा 144 के तहत कोई भी कार्रवाई की जा सकती है

दंड प्रक्रिया संहिता जो इसमें हस्तक्षेप कर सकती है जो, अन्यथा, पूरी तरह से कानूनी और अनुमेय हैं

आचरण और भाषण।

धारा 144 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने में व्यक्तिगत अधिकारों के साथ लेकिन उसे यह निर्धारित करना होगा कि क्या उचित रूप से आवश्यक हो सकता है या

ऐसी स्थिति में समीचीन जिसमें वह सबसे अच्छा न्यायाधीश हो।

5 ..... यदि सार्वजनिक शांति और शांति या अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है

वहाँ खतरे में नहीं हैं संबंधित मजिस्ट्रेट के तहत कार्य नहीं कर सकते हैं

धारा 144। वह केवल पार्टियों को उचित मंच पर जाने का निर्देश दे सकते थे।

दूसरी ओर, यदि सार्वजनिक सुरक्षा, शांति या शांति है

खतरा है, यह उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया जाता है

धारा 144, Cr.P.C "के तहत।

(जोर दिया गया)

113. गुलाम अब्बास बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 1 एस. सी. सी.

अदालत ने माना है कि धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेश एक आदेश है।

कार्यकारी आदेश जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सवाल उठाया जा सकता है। न्यायालय ने दोहराया किजिन स्थितियों में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि

देरः

स्थिति की तात्कालिकता और उसके तहत शक्ति है विकारों को रोकने के लिए लाभ उठाने का इरादा,

सुरक्षित करने के लिए बाधाओं और परेशानियों

सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य।

सार्वजनिक शांति और शांति का संरक्षण है

सरकार का प्राथमिक कार्य और उपरोक्त शक्ति

कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सम्मानित किया जाता है जो इसे सक्षम बनाता है

आपात स्थितियों के दौरान उस कार्य को प्रभावी ढंग से करें

और इस प्रकार यह कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो सकता है

मजिस्ट्रेट ने अस्थायी रूप से निजी अधिकारों को और [2020] 1 एस. सी. आर. में ओवरराइड किया।

स्थिति को देखते हुए शक्ति का विस्तार संयमित करने तक होना चाहिए

गलत करने वाले के बजाय गलत करने वाले। इसके अलावा यह की ओर से विवेक का उचित अभ्यास नहीं होगा

कार्यकारी मजिस्ट्रेट विधिसम्मत में हस्तक्षेप करने के लिए एक पक्ष द्वारा इस विचार पर अधिकार का प्रयोग कि वे

प्रशासन के लिए लागू करना अधिक सुविधाजनक होगा प्रतिबंध जो केवल एक छोटे से खंड को प्रभावित करेंगे

एक बड़े वर्ग को रोकने के बजाय समुदाय अधिक

मुखर और उग्रवादी।

अन्य उपाय विफल होने के लिए बाध्य हैं, कि एक पूर्ण निषेध या उनके अधिकारों का निलंबन अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है।

माप "।

(जोर दिया गया)

114. पुनः आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम में। कॉम.

ओलिस, कलकत्ता, (1983) 4 एस. सी. सी. 522, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ

गुलाम अब्बास मामले (ऊपर) में आदेश के बारे में संदेह

धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश की प्रकृति लेकिन दोहराया कि

धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश देना शक्ति का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 16 ..... उस धारा की योजना में विचार नहीं किया गया है

दोहराए जाने वाले आदेश और यदि स्थिति ऐसी है तो कदम उठाने की आवश्यकता है

कानून के अन्य प्रावधानों जैसे कि धारा के तहत लिया जाना है

107 या संहिता की धारा 145 जब व्यक्तिगत विवाद उठाए जाते हैं

और यहाँ जैसी स्थिति से निपटने के लिए, प्रावधान हैं

पुलिस अधिनियम में पाया गया। यदि दोहराए जाने वाले आदेश दिए जाते हैं तो

स्पष्ट रूप से धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग है। 144 कोड का "।

(जोर दिया गया)

115. रामलीला मैदान घटना में, पुनः (2012) 5 एस. सी. सी. 1 में, यह

टी ने धारा 144, Cr.P.C के तहत सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। और

ऐसे उदाहरण जिनके तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है।

116. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील जोरदार ढंग से

धारा 144, Cr.P.C के तहत उपरोक्त आदेश पारित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का विरोध किया क्योंकि आपातकाल की कोई वर्तमान स्थिति मौजूद नहीं थी।

यह तर्क दिया गया था कि केवल प्रत्याशा या आशंका में पारित किए गए ऐसे आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रह सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति जनता को संरक्षित करने के लिए एक निवारक शक्ति है। आदेश दें। बाबूलाल पराटे मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस शक्ति का प्रयोग वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ खतरे की आशंका हो। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 25. धारा 144 की भाषा कुछ अलग है। द.

अनुभाग में निर्धारित परीक्षण केवल "संभावना" या नहीं है

" प्रवृत्ति "। इस धारा में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए

कि विशेष कृत्यों की तत्काल रोकथाम आवश्यक है

सार्वजनिक सुरक्षा आदि के लिए खतरे का मुकाबला करना। शक्ति प्रदान की गई

अनुभाग द्वारा प्रयोग किया जा सकता है न केवल जहां वर्तमान खतरा है

मौजूद है लेकिन एक आशंका होने पर भी प्रयोग किया जा सकता है

खतरे में "।

(जोर दिया गया)

117. प्रावधान और स्थापित कानून की भाषा को ध्यान में रखते हुए, हम

उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

118. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने अपनी बात व्यक्त की

चिंता यह है कि भविष्य में कोई भी राज्य इस तरह के व्यापक प्रतिबंधों को पारित कर सकता है, उदाहरण के लिए, विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने या भाग लेने से रोकने के लिए। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों की राय या शिकायत या प्रयोग की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान अलग-अलग विचारों, वैध अभिव्यक्तियों और अस्वीकृति की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, और यह नहीं हो सकता है

धारा 144 के आह्वान के लिए आधार, Cr.P.C. जब तक कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री न हो कि हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक सुरक्षा या खतरे के लिए खतरा होने की संभावना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 144, Cr.P.C के प्रावधान केवल आपातकाल की स्थिति में लागू होंगे।

और कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा और झुंझलाहट या चोट से बचाने के उद्देश्य से [बाबूलाल पाराटे मामले (उपरोक्त) को देखें]। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि धारा 144, Cr.P.C में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जिसमें याचिकाकर्ता की आशंकाओं को दूर करने के लिए धारा के तहत शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को चुनौती देने वाली न्यायिक समीक्षा की उपस्थिति शामिल है।

20] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

119. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि 'कानून और व्यवस्था' है

'सार्वजनिक व्यवस्था' की तुलना में एक संकीर्ण दायरे का होना और 'कानून और व्यवस्था' का आह्वान धारा 144, Cr.P.C के तहत प्रतिबंधों के एक संकीर्ण समूह को उचित ठहराएगा।

120. इस संदर्भ में, हमारे लिए होल्डिंग पर जोर देना उचित है

राम मनोहर लोहिया मामले में इस अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया वी. बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 740, जिसमें इस न्यायालय ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" की स्थिति के बीच के अंतर पर जोर दिया। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 55. इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि के निर्णयों में "सार्वजनिक व्यवस्था" के रूप में

इस न्यायालय (पहले उद्धृत) को विकारों को समझने के लिए कहा गया था

"राज्य की सुरक्षा", "कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गंभीरता

आदेश "उन की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण के विकारों को भी समझता है "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करता है। तीन संकेंद्रित की कल्पना करनी होगी।

वृत्त। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े दायरे का प्रतिनिधित्व करती है।

देखें कि एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं एक
अधिनियम के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं। के द्वारा

"कानून और व्यवस्था का रखरखाव" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए जिला

मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई के क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और जोड़ रहा था भारत के रक्षा नियमों का एक खंड "।

(जोर दिया गया)

121. इस न्यायालय ने इसमें अभिनिर्धारित किया कि केवल कानून की गड़बड़ी और

अव्यवस्था की ओर ले जाने वाला आदेश आवश्यक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन का कारण नहीं बन सकता है। इसी तरह, मधु लिमये मामले (उपरोक्त) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144, Cr.P.C.can के तहत शक्ति का प्रयोग कब और किसके खिलाफ किया जाए। इस न्यायालय ने इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24. धारा 144 के तहत कार्रवाई का सार यह है कि

स्थिति, सक्षम होने की संभावना में इसकी प्रभावकारिता

बिल्कुल और यहाँ तक कि एक तरफ से भी यह स्पष्ट है कि आपातकाल यह अचानक होना चाहिए और इसके परिणाम काफी गंभीर होने चाहिए। इसके बिना

प्रशासन से बहने वाली साधारण शक्ति लेकिन एक शक्ति न्यायिक तरीके से उपयोग किया जाता है और जो आगे न्यायिक अनुराधा भसीन V.

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता में जांच, इसके

प्रभावकारिता और इसके उपयोग की सीमा। गड़बड़ी सार्वजनिक शांति, दंगे और कलह के कारण विध्वंस होता है

सार्वजनिक व्यवस्था जब तक कि उन्हें समय पर रोका न जाए। परेशानियाँ

मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरनाक, इसमें कोई संदेह नहीं है कम किया जाए और रोका जाए। लेकिन हम चिंतित नहीं हैं

धारा के इस भाग और इस भाग की वैधता की आवश्यकता नहीं है

यहाँ तय किया। जहाँ तक इस खंड के अन्य भागों का संबंध है

संबंधित प्रमुख-शक्ति का नोट समाज को इससे मुक्त करना है एक गंभीर चरित्र की गंभीर गड़बड़ी का खतरा। अनुभाग

रोकने का प्रयास करने वालों के खिलाफ निर्देशित किया जाता है

और स्वास्थ्य। यदि ऐसा है तो मामला इसके दायरे में आना चाहिए। जिन प्रतिबंधों की कल्पना संविधान स्वयं करता है

सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या हित में अनुज्ञेय

आम जनता से। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह नाराज़गी

लाने के लिए पर्याप्त गंभीर अनुपात मान लेना चाहिए सार्वजनिक व्यवस्था के हित में मामला "।

(जोर दिया गया)

122. यह अदालत रामलीला मैदान घटना में, मामले में (ऊपर)

उन्होंने "सार्वजनिक व्यवस्था" कानून और व्यवस्था की स्थिति के बीच उपरोक्त अंतर को स्पष्ट कियाः

"कानून और व्यवस्था" को ध्यान में रखते हुए थोपा जाना सबसे कम होगा। "सार्वजनिक व्यवस्था" के दौरान गारंटीकृत स्वतंत्रता में घुसपैठ करना

अधिक मात्रा में प्रतिबंध के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक

व्यवस्था और भी अधिक सामाजिक चिंता का विषय है।

45. इस भेद को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, जो इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त है, किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य को करने से बचने या निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश देने का अधिकार दिया है, जहां इस धारा के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है और तत्काल रोकथाम और/या त्वरित उपचार वांछनीय है। के आधार पर

धारा 144-एक दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे स्वयं अधिनियम 25 [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा पेश किया गया था।

2005 का [एड। : दंड प्रक्रिया संहिता

किसी भी क्षेत्र में निषेध करने वाला आदेश पारित करने का अधिकार उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ, हथियार ले जाना

कोई जुलूस या किसी जनसमूह का आयोजन या आयोजन

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण, जहां यह

उसके लिए जनता के संरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है शांति, सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव।

(जोर दिया गया)

123. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 'कानून और व्यवस्था', 'सार्वजनिक व्यवस्था' और

' 'राज्य की सुरक्षा' विशिष्ट कानूनी मानक हैं और मजिस्ट्रेट को स्थिति की प्रकृति के आधार पर प्रतिबंधों को अनुकूलित करना चाहिए। यदि दो परिवारों में सिंचाई के पानी को लेकर झगड़ा होता है, तो यह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन

ऐसी स्थिति में जहां दो समुदाय एक ही मुद्दे पर लड़ते हैं, स्थिति सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति में बदल सकती है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त दो अलग-अलग स्थितियों को ठीक करने के लिए एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट मौजूदा परिस्थितियों की गंभीरता का आकलन किए बिना एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र लागू नहीं कर सकता है; प्रतिबंध संबंधित स्थिति के अनुपात में होने चाहिए।

124. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि

धारा 144, Cr.P.C के तहत एक आदेश आम तौर पर जनता के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से लोगों या समूह के खिलाफ इरादा होना चाहिए जो शांति और शांति को बिगाड़ने के लिए पकड़ा जाता है। मधु लिमये मामले (ऊपर) में इस अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है। यह न्यायालय इस बात से अवगत था कि कभी-कभी, इन आदेशों के तहत संरक्षण के विषय और उन व्यक्तियों के बीच अंतर करना संभव नहीं हो सकता है जिनके खिलाफ इन निषेधात्मक आदेशों को पारित करने की आवश्यकता है:

" 27 ..... आम तौर पर आदेश किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित किया जाएगा। अभिनय पाया गया या एक विशेष तरीके से कार्य करने की संभावना है। एक सामान्य आदेश

यह तब आवश्यक हो सकता है जब व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो

कि उनके और आम जनता के बीच अंतर नहीं हो सकता है

आदेश पर उचित उपायों द्वारा सवाल उठाया जा सकता है जिसका कानून में पर्याप्त प्रावधान है। "

(जोर दिया गया)

125. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने तर्क दिया है कि उपरोक्त प्रतिबंधों की वैधता का परीक्षण किया जाना चाहिए

प्रस्तावित/कथित खतरा। धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेशों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने रामलीला मैदान घटना मामले (उपरोक्त) में कहा कि एक भारी कर्तव्य डाला जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट पहले कथित खतरे का आकलन करे और कम से कम संभावित आक्रामक प्रतिबंध लगाए। संबंधित मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि प्रतिबंधों को कभी भी प्रकृति या समय में अत्यधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए। संबंधित भाग नीचे निकाला गया है:

" 39. एक ओर अधिकार और प्रतिबंध और दूसरी ओर अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन और आनुपातिकता होनी चाहिए। यदि कर्तव्य के महत्व पर विचार किए बिना किसी नागरिक के अधिकार पर अनुचित या असमान रूप से जोर दिया जाता है, तो यह एक असंतुलन पैदा करेगा। असली स्रोत

अधिकार कर्तव्य है।

58. वनाच्छादित आवश्यकताओं में से, आवश्यकताएँ

पर्याप्त आधार का अस्तित्व और तत्काल रोकथाम की आवश्यकता या त्वरित उपचार का प्रमुख महत्व है। इस संदर्भ में,

वांछित/दर्ज करने वाले अधिकारी की धारणा

सुविचारित संतुष्टि उचित होनी चाहिए, कम से कम

आक्रामक और प्रामाणिक। संयम उचित होना चाहिए।

विशेष स्थिति की बाधाओं को पार करने की अनुमति या तो प्रकृति में या अवधि में। सबसे कठिन कर्तव्य यह है कि

विधायिका द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी पर डाला गया है कि

सार्वजनिक शांति और शांति के लिए खतरे की धारणा वास्तविक होनी चाहिए।

और भ्रमित, काल्पनिक या केवल एक संभावित संभावना नहीं।

(जोर दिया गया)

126. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आधुनिक न्यायालय में इस न्यायालय के निर्णय

डेंटल कॉलेज मामला (ऊपर) और के. एस. पुट्टास्वामी (आधार-5 जे.) मामला (उपरोक्त), जो आनुपातिकता की अवधारणा को तह में लाया, धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेश पर समान रूप से लागू होता है।

127. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि इसके तहत आदेश पारित किए गए

धारा 144, Cr.P.C, प्रतिबंध लगाना, [2020] 1 एस. सी. आर. का विषय नहीं हो सकता है।

विशेषाधिकार। इसके अलावा, भौतिक तथ्यों को क्रम में ही दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि

अधिकार प्राप्त अधिकारी जमीनी स्थिति को जानने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थे और तदनुसार उपरोक्त आदेश पारित किए गए थे। निरस्त करने का सुझाव देने के लिए जमीन पर पर्याप्त अटकलें थीं

अनुच्छेद 370, और संबंधित मजिस्ट्रेट, परिस्थितियों से अवगत होने के कारण, समय-समय पर उपरोक्त प्रतिबंधों को लागू करते हैं, जो विवेक के उचित अनुप्रयोग का संकेत देते हैं। विद्वान महान्यायवादी ने आगे कहा

तर्क दिया कि यह न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठ सकता है, विशेष रूप से जब दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है।

128. उपरोक्त मुद्दे को शांत करने के लिए यह उचित है कि -

रामलीला मैदान घटना से एक प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करें और उस पर भरोसा करें, इस मामले में (ऊपर):

" 56. इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश

आदेश जो एक रखने का प्रत्यक्ष परिणाम है

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध

और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार, एक आदेश होना चाहिए

लेखन और मामले के भौतिक तथ्यों पर आधारित। यह होगा

एक से अधिक कारणों के लिए कानून की आवश्यकता हो। सबसे पहले तो यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश

एक नागरिक का और, इस प्रकार, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

इस तरह के आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए, यह उचित होगा कि यह एक आदेश होना चाहिए

तथ्यों का उल्लेख करते हुए और कारण बताते हुए

इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करना। प्रवीण भाई थोगाडिया में [(2004) 4 एससीसी 684: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1387], इस न्यायालय ने लिया

विचार है कि न्यायालय, ऐसे आदेशों पर विचार करते समय, कार्य नहीं करता है

अधिकारी के निर्णय पर एक अपीलीय प्राधिकरण की तरह

चिंतित हैं। यह केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब आदेश स्पष्ट रूप से हो। अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना या गुप्त उद्देश्य के साथ और

द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के बाहरी विचार पर

जो सत्ता में हैं। आम तौर पर, हस्तक्षेप होना चाहिए अपवाद और नियम नहीं। "

(जोर दिया गया)

129. हम नोट कर सकते हैं कि धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश पारित किए गए हैं।

अनुराधा भसीन v में जनता के मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

जनरल। यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप गंभीर अवैधता होगी। इस शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के उपाय के रूप में। आदेश न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है, ताकि इस तरह की कार्रवाई से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हमेशा उपयुक्त मंच से संपर्क कर सके और इसे चुनौती दे सके। लेकिन, न्यायिक समीक्षा के उपरोक्त साधन अक्षम हो जाएंगे यदि आदेश स्वयं अनुचित या अधिसूचित है। बाबूलाल पराटे (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने लिखित आदेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई राय इस पर आधारित थी -

मामले के भौतिक तथ्य। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 9. उप-धारा (1) कार्यपालिका को नहीं बल्कि उन्हें अधिकार प्रदान करती है -

कुछ मजिस्ट्रेट। उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट

स्वयं को यह राय बनानी होगी कि पर्याप्त आधार है

इस धारा के तहत कार्यवाही करने और तत्काल रोकथाम के लिए

उन विशेष गतिविधियों की गणना करता है जिनके संबंध में मजिस्ट्रेट को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

(जोर दिया गया)

130. धारा 144, Cr.P.C के तहत आदेश पारित करते समय, यह है

ऐसे आदेशों को पारित करने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों को इंगित करना अनिवार्य है। आम तौर पर, इसे किसी विशेष क्षेत्र या कुछ विशेष मुद्दों तक सीमित रखा जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र को इसके तहत पारित आदेशों के तहत रखा गया था।

धारा 144, Cr.P.C और इन आदेशों के पारित होने को इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जवाब में, यह प्रतिवादी का मामला है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है। अलग होने से पहले, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के मामलों में आनुपातिकता सिद्धांत की अत्यधिक उपयोगिता के खिलाफ सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

131. हालाँकि, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय नहीं कर सकता है

कार्यपालिका द्वारा पारित आदेशों, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित, की अपील या समीक्षा करने के लिए इस न्यायालय द्वारा कानून और व्यवस्था के मुद्दों के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे का निपटारा किया गया है।

कर्नाटक बनाम। डॉ. प्रवीण भाई थोगडिया, (2004) 4 एस. सी. सी. उनके न्यायालय ने विशेष रूप से धारा 144, Cr.P.C के संदर्भ में टिप्पणी कीः

उनके विशेष ज्ञान के भीतर आवश्यकताएँ। ..... इसलिए, जब भी कानून के प्रभारी संबंधित अधिकारी और

आदेश से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के भाषण या कार्यों की संभावना है

साम्प्रदायिक वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देता है जिसके परिणामस्वरूप विभाजक प्रवृत्तियाँ पैर जमा रही हैं, कमजोर कर रही हैं और

साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले निषेधाज्ञा आदेशों की आवश्यकता

इस तरह की अप्रिय घटना को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आवश्यक रूप से पारित किया जाना चाहिए

घटनाएँ।

7 ..... यदि वे महसूस करते हैं कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या भागीदारी

बैठक या मण्डली आपत्तिजनक होगी, कुछ पेटेंट या अव्यक्त कारणों के साथ-साथ ऐसे प्रतिभागियों से जुड़े अन्य स्थानों में ऐसी घटनाओं के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, आवश्यक निषेधात्मक आदेश पारित किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय और त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता उचित नहीं हो सकती है।

सामाजिक हितों, आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के प्रति उचित अधीनता लोकतांत्रिक जीवन के मूल को संरक्षित करने की आवश्यकताएँ -

सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के शासन का संरक्षण। ऐसी किसी गंभीर स्थिति में कम से कम निषेधात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में निर्णय उन लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, और

न्यायालयों का हस्तक्षेप तब तक जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा बाहरी विचारों के लिए ऐसी व्यापक शक्तियों के दुरुपयोग या प्रयोग का कोई ठोस मामला या ऐसा प्राधिकरण सत्ता में बैठे लोगों के कहने पर कार्य करता हुआ और अनुराधा भसीन V के मामले के रूप में हस्तक्षेप करता हुआ नहीं दिखाया गया हो।

भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

बेशक और जैसे कि एक अपील का फैसला करना, बहुत ही हार जाएगा

विधानक उद्देश्य आ विधायी उद्देश्य "।

(जोर दिया गया)

132. यह सच है कि हम अपील में नहीं बैठते हैं, हालांकि, अस्तित्व

न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्विवाद है। हमारी राय है कि यह मजिस्ट्रेट और राज्य को सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए संभावित खतरे के बारे में एक सूचित निर्णय लेना है। सार्वजनिक शांति और शांति या कानून और व्यवस्था के लिए खतरे का आकलन करने के लिए राज्य सबसे अच्छी स्थिति में है। हालांकि, कानून उन्हें इस शक्ति का उपयोग करने के लिए भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता है। यह न्यायिक जांच और इस बात के सत्यापन को सक्षम बनाएगा कि क्या इस शक्ति के आह्वान को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं।

133. ऐसी स्थिति में जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं

सीमित किए जाने के कारण, इसे शक्ति के मनमाने प्रयोग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है; बल्कि यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। धारा 144, Cr.P.C के तहत निवारक/उपचारात्मक उपाय आवश्यकता के प्रकार, क्षेत्रीयता की सीमा, प्रतिबंध की प्रकृति और उसी की अवधि पर आधारित होने चाहिए। तात्कालिकता की स्थिति में, प्राधिकरण की आवश्यकता होती है प्रतिबंधों या उपायों को तत्काल लागू करने के लिए अपनी राय के आधार पर ऐसी सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करना जो निवारक/उपचारात्मक हैं। हालांकि, यदि प्राधिकरण को एक बड़े क्षेत्रीय क्षेत्र या लंबी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार करना है, तो सीमा की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है।

134. धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित आदेश होना चाहिए।

मन के उचित अनुप्रयोग का संकेत, जो भौतिक तथ्यों और निर्देशित उपचार पर आधारित होना चाहिए। उचित तर्क जोड़ता है संबंधित विवाद और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारी के दिमाग का अनुप्रयोग। यांत्रिक रूप से या गुप्त तरीके से पारित आदेशों को कानून के अनुसार पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है।

135. सुनवाई के दौरान, 26.11.2019 पर, विद्वान

सॉलिसिटर जनरल ने कुछ प्रस्तुत करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांगी

इस न्यायालय द्वारा देखे जाने वाले गोपनीय दस्तावेज। हालाँकि, उन्होंने संवेदनशीलता और गोपनीयता का दावा करते हुए याचिकाकर्ताओं को कुछ दस्तावेजों का खुलासा करने पर आपत्ति जताई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायालय इस तरह की खुफिया जानकारी और सामग्री के अस्तित्व को मान सकता है। इस तरह के रुख को देखते हुए, हम [2020] 1 एस. सी. आर. की पर्याप्तता में नहीं गए हैं।

इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री; बल्कि, हमने उसी के अस्तित्व का अनुमान लगाया है। 136. इस तरह के उपाय की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक यह देखना है कि क्या पीड़ित व्यक्ति को इस तरह के प्रतिबंध के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का निष्पक्ष, पर्याप्त और उचित अवसर दिए बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी स्थिति में जहां आदेश भौतिक तथ्यों पर चुप है, व्यक्ति

पीड़ित व्यक्ति इसे प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दे सकता है। नतीजतन, न्यायिक रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है। [बिहार राज्य बनाम देखें। कमला कांत मिश्रा, (1969) 3 एस. सी. सी. 337]। उसी के आलोक में, राज्य के लिए इस तरह के आदेशों को सार्वजनिक करना अनिवार्य है ताकि धारा 144 (5), Cr.P.C के तहत अधिकार उपलब्ध हो सकें।

137. एक बात याद रखनी चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया था कि राज्य के पास इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-सीमा पार

आतंकवाद, आतंकवादियों की घुसपैठ, सुरक्षा मुद्दों आदि को भुलाया नहीं जा सकता है और आदेशों की वैधता का परीक्षण करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि आदेश में पारित किए गए थे

उपरोक्त संदर्भ में और कानून और व्यवस्था के लिए प्रत्याशित खतरे में, जीवन, अंग और संपत्ति के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए। हालाँकि, ये आदेश उपरोक्त पहलुओं की व्याख्या नहीं करते हैं।

138. हालाँकि 27.09.2019 पर प्रतिबंधों को कथित रूप से हटा दिया गया है, जिससे वर्तमान अभ्यास को वस्तुतः

पहला, हम राज्य द्वारा कानून का पालन न करने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया, यह मामला केवल अतीत या पूर्ववर्ती जम्मू राज्य में क्या हुआ है, इसके बारे में नहीं है

और कश्मीर, लेकिन भविष्य के बारे में भी, जहाँ इस न्यायालय को सरकार को सावधान करना है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अधिकारियों को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और कानून के शासन को बनाए रखना चाहिए।

139. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जबकि

उत्तरदाताओं ने कहा कि दिन के दौरान कोई निषेधात्मक आदेश नहीं हैं और रात के दौरान कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध हैं, जमीन पर स्थिति अलग है क्योंकि पुलिस अभी भी प्रतिबंध लगा रही है। दिन में भी लोगों की आवाजाही। यदि ऐसा है तो यह उचित नहीं है।

और राज्य के लिए इस प्रकार के कृत्यों का सहारा लेना सही है।

एक सरकार, यदि अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

यह सोचता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति या ऐसी किसी अन्य आवश्यकता के लिए खतरा है, नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उचित आवश्यकता को पारित करना चाहिए।

आधारित आदेश। उसी को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय के परिचालन भाग में उचित निर्देश प्रदान किए गए हैं।

140. अलग होने से पहले हम धारा 144, Cr.P.C पर कानूनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

आई. धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति, उपचारात्मक होने के साथ-साथ निवारक होने के कारण, न केवल वहां प्रयोग की जा सकती है जहां मौजूद है।

वर्तमान में खतरा है, लेकिन तब भी जब खतरे की आशंका हो। हालांकि, विचार किया गया खतरा "आपातकाल" की प्रकृति का होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से बाधा और झुंझलाहट या चोट से बचाने के उद्देश्य से होना चाहिए।

नौकरी करते हैं।

ii. धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। iii. धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित एक आदेश में न्यायिक समीक्षा को सक्षम करने के लिए भौतिक तथ्यों को बताना चाहिए। शक्ति का प्रयोग ईमानदारी और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

और इसे भौतिक तथ्यों पर भरोसा करके पारित किया जाना चाहिए, जो मन के अनुप्रयोग का संकेत है। इससे न्यायपालिका सक्षम होगी।

उपरोक्त आदेश की जांच।

iv. धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट आनुपातिकता के सिद्धांतों के आधार पर अधिकारों और प्रतिबंधों को संतुलित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उसके बाद कम से कम घुसपैठ उपाय लागू करता है।
वी. धारा 144, Cr.P.C के तहत बार-बार आदेश एक आदेश होगा।

सत्ता का दुरुपयोग।

एच. प्रेस की स्वतंत्रता

141. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता (ग) 2019 की सं. 1031 ने निम्नलिखित तथ्यात्मक आधार पर अपने तर्क के आधार पर याचिका दायर की है, जैसे -

औसत किया गया:

13. 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1031 पर दायर की गई थी 10-08-2019 [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

समाचार पत्र "कश्मीर टाइम्स" के कार्यकारी संपादक, जो प्रतिदिन दो संस्करण प्रकाशित करते हैं, एक जम्मू से और दूसरा श्रीनगर से। अंग्रेजी समाचार पत्र, कश्मीर टाइम्स की स्थापना की गई थी।

जम्मू और कश्मीर, और पड़ोसी राज्यों पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी पाठकों की महत्वपूर्ण संख्या है। 14. 04-08-2019 पर, दिन के दौरान कभी-कभी, मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और लैंडलाइन फोन सभी थे।

कश्मीर घाटी और जम्मू और लद्दाख के कुछ जिलों में बंद कर दिया गया, कश्मीर घाटी के निवासियों सहित प्रभावित आबादी को कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया जिसके तहत उत्तरदाताओं द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई थी। इसका मतलब था कि कश्मीर के लोग संचार ब्लैकहोल और सूचना ब्लैकआउट में डूब गए थे। उत्तरदाताओं की कार्रवाइयों का समाचार एकत्र करने, रिपोर्टिंग, प्रकाशन, प्रसार और सूचना प्रसार पर कमजोर और अपंग प्रभाव पड़ा है, और इसके परिणामस्वरूप वेब पोर्टल और समाचार वेबसाइटों को भी रोक दिया गया है। 15. 05-08-2019 की सुबह से, भारी सैन्य उपस्थिति, बैरिकेड्स और सभी संचार संपर्कों के टूटने के साथ, जम्मू और कश्मीर राज्य को वास्तविक रूप से लागू कर दिया गया था।

कर्फ्यू लगा दिया। उसी समय, 05-08-2019 पर, संविधान

(जम्मू और कश्मीर में आवेदन) आदेश, 2019, सी. ओ. 272 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1) द्वारा निहित शक्तियों के तहत, अनुच्छेद 367 (4) को संविधान में जोड़ा गया था। 05-08-2019 पर भी, जम्मू

और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019, राज्यसभा में पेश किया गया और पारित किया गया। 06-08-2019 पर उक्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 09-08-2019 पर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई। राजपत्र अधिसूचना, डी. 09-08-2019 इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 31 अक्टूबर, 2019 से लागू होगा और जम्मू और कश्मीर का एक नया केंद्र शासित प्रदेश होगा। यह सब तब किया गया जब जम्मू और कश्मीर राज्य में तालाबंदी थी और संचार बंद के माध्यम से इसे बंद कर दिया गया था।

16. ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर टाइम्स का श्रीनगर संस्करण इसे 05-08-2019 पर वितरित नहीं किया जा सका और इसे अनुराधा भसीन v. पर प्रकाशित नहीं किया जा सका।

भारत और ओआरएस का संघ।

[एन. वी. रमना, जे.]

इसके बाद 06-08-2019 से 11-10-2019 तक, समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन के लिए घाटी भर में यात्रा करने वाले संवाददाताओं द्वारा समाचार एकत्र करने और जनता और अधिकारियों के साथ निर्बाध बातचीत की आवश्यकता होती है। संचार और इंटरनेट ब्लैकआउट सहित अंधाधुंध लॉकडाउन और उत्तरदाताओं द्वारा लागू आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंधों के कारण, याचिकाकर्ता को अपने पेशे और काम को करने से रोका और बाधित किया गया। 11-10-2019 के बाद भी समाचार पत्र की केवल एक कटी हुई प्रति है

आज भी सख्त प्रतिबंधों के कारण प्रकाशित किया जा रहा है (इंटरनेट सेवाएं और एस. एम. एस. सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं) 115 दिनों के बाद भी नीचे)। नया पोर्टल/वेबसाइट आज तक बंद है।

142. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय कानून के तहत प्रेस का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है। प्रेस की स्वतंत्रता एक आवश्यकता है

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इसके प्रभावी कामकाज के लिए। पहला मामला जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, उसका पता चैनिंग अर्नोल्ड बनाम से लगाया जा सकता है। सम्राट, (1914) 16 बॉम एल. आर. 544, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा किः

" 36. पत्रकार की स्वतंत्रता विषय की स्वतंत्रता का एक सामान्य हिस्सा है और सामान्य रूप से विषय चाहे जिस हद तक भी जाए, पत्रकार भी ऐसा ही कर सकता है, लेकिन क़ानून के अलावा उसका विशेषाधिकार कोई और नहीं है और न ही उससे बड़ा है। उनके दावों, उनकी आलोचनाओं या उनकी टिप्पणियों का दायरा उतना ही व्यापक है जितना कि किसी अन्य विषय की तुलना में व्यापक नहीं है।

प्रेस की एक अलग स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया, निम्नलिखित में टिप्पणी की थी तरीका -

" प्रेस की स्वतंत्रता के लिए विशेष रूप से प्रावधान करना शायद ही आवश्यक है क्योंकि अनुच्छेद 13 के खंड (1) के उपखंड (ए) में प्रदान की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होगी।

144. इसके बाद, बेनेट कोलमैन बनाम सहित इस न्यायालय के कई निर्णय। भारतीय संघ, (1972) 2 एस. सी. सी. 788, इंडियन एक्सप्रेस

(उपर्युक्त), सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1962] 3 एस. सी. आर. 842 ने प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की है और स्पष्ट रूप से

आधुनिक समाज में उपरोक्त अधिकारों के महत्व को स्पष्ट किया। उसी को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले के मुद्दे से निपटने के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर विचार करने की आवश्यकता है।

145. उपरोक्त तथ्यात्मक कथन से हम यह नोट कर सकते हैं कि डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता। (ग) 2019 की सं. 1031, वर्तमान के संबंध में

मुद्दा, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने या प्रेस की सामग्री को प्रतिबंधित करने वाले सरकार के किसी भी विशिष्ट आदेश का विरोध नहीं करता है। उपरोक्त याचिकाकर्ता का आरोप है कि धारा 144, Cr.P.C लागू करने और इंटरनेट और संचार पर प्रतिबंध जैसे विभिन्न अन्य प्रतिबंधों के संचयी प्रभाव ने अप्रत्यक्ष रूप से घाटी में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है।

146. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत निहित एक मूल्यवान और पवित्र अधिकार है। यह अधिकार किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में आवश्यक है जिसके बिना

147. भारतीय न्यायशास्त्र में शीतल प्रभाव का उपयोग काफी हाल की अवधारणा के रूप में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उपस्थिति हो सकती है वीमन बनाम में निर्णय का पता लगाया जा सकता है। अपडेटग्राफ, 344 यू. एस. 183। हम ध्यान दे सकते हैं कि शीतलन प्रभाव के तर्क का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है।

संदर्भ, विशुद्ध रूप से एक भावनात्मक तर्क से लेकर स्वतंत्र भाषण निर्णय के तहत एक मूल घटक तक। उपरोक्त सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से राज्य की किसी कार्रवाई को दोष देने के लिए किया जाता है, जो संवैधानिक हो सकता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा बोझ डालता है। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि शीतल प्रभाव के तर्क को यदि न्यायिक रूप से शांत नहीं किया जाता है, तो इसका परिणाम एक "आत्म-घोषणा उपकरण" होगा।

148. शीतलन प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग शुरू में एक सीमित संदर्भ में किया गया था, कि एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

एक व्यापक क़ानून की अस्पष्ट प्रकृति के कारण अधिकार। इस संबंध में, भयावह प्रभाव प्रथम संशोधन अधिकार के विश्लेषण तक ही सीमित था। फ्रेडरिक शॉयर का कार्य प्रथम संशोधन पर उनके मौलिक कार्य में एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। 22 इस विश्लेषण को दोहराया गया था

डेनियल जे. सोलोव द्वारा स्थापित एक नियामक में गोपनीयता और इंटरनेट उपयोग का संदर्भ। के. एस. पुट्टास्वामी (गोपनीयता-9 जे.) के मामले में इन चिंताओं को स्वीकार कर लिया गया है। (ऊपर)।

149. रेखाएँ खींचने के सैद्धांतिक प्रश्न के बारे में हमें यहाँ खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है कि कब कोई विनियमन प्रभावित करना बंद कर देता है।

22 फ्रेडरिक शॉयर, भय, जोखिम और पहला संशोधनः ठंडक प्रभाव को उजागर करना (1978)।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

150. 'चिलिंग इफेक्ट डॉक्ट्रिन' के विस्तार को हमेशा न्यायिक संदेह के साथ देखा गया है। इस समय हम ध्यान दे सकते हैं कि लैर्ड बनाम में निर्णय। टैंटम, 408 यू. एस. 1 (1972), जिसमें प्रत्यर्थी ने अधिकारियों के खिलाफ एक कार्रवाई की ताकि उन्हें ठंडक प्रभाव सिद्धांत के आधार पर वैध और शांतिपूर्ण नागरिक राजनीतिक गतिविधि की निगरानी करने से रोक दिया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में, इस तरह के दावे को स्थापित करने के लिए सबूत की कमी के आधार पर प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा किः

" व्यक्तिपरक "ठंड" के आरोप विशिष्ट वर्तमान उद्देश्य नुकसान या भविष्य में विशिष्ट नुकसान के खतरे के दावे के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं हैं। "

इसलिए, यह कहना कि उपरोक्त प्रतिबंध थे

असंवैधानिक क्योंकि इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर एक डरावना प्रभाव पड़ता है, आम तौर पर वस्तुतः कुछ भी नहीं कहना या कुछ ऐसा कहना जो विशुद्ध रूप से अटकलबाजी है, जब तक कि अदालत के समक्ष एक स्पष्ट निष्कर्ष देने में सक्षम होने के लिए सबूत नहीं लाया जाता है, जिसे वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। [क्लैपर बनाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, यू. एस. ए., 568 यू. एस. 113 (2013) का संदर्भ लें]

151. इस संदर्भ में, शीतलन प्रभाव का एक संभावित परीक्षण तुलनात्मक नुकसान है। इस ढांचे में, न्यायालय को [2020] 1 एस. सी. आर. देखने की आवश्यकता है।

क्या विवादित प्रतिबंधों का, उनकी व्यापक प्रकृति के कारण, इस अवधि के दौरान समान रूप से तैनात व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह 06-08-2019 से 11-10-2019 तक अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने में सक्षम नहीं थी। हालाँकि, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी क्षेत्र में समाचार पत्र प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया था। इस तरह के सबूत के बिना

अभिलेख पर रखे जाने पर, शीतल प्रभाव के वैध दावे को आत्म-सेवा के उद्देश्य के लिए केवल भावनात्मक तर्क से अलग करना असंभव होगा। दूसरी ओर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि अन्य समाचार पत्र भी थे जो उपरोक्त अवधि के दौरान चल रहे थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि उपरोक्त याचिकाकर्ता ने अब प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया है, हम इस मुद्दे में यह कहने से अधिक शामिल होना उचित नहीं समझते हैं कि जिम्मेदार सरकारों को हर समय प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता है। पत्रकारों को रिपोर्टिंग में समायोजित किया जाना चाहिए और डेमोक्लिस की तलवार को अनिश्चित काल के लिए प्रेस पर लटकाने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।

I. निष्कर्ष

152. इस दृष्टिकोण से हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

ए। प्रतिवादी राज्य/सक्षम अधिकारियों को धारा 144, Cr.P.C के तहत सभी लागू आदेशों और भविष्य के किसी भी आदेश को प्रकाशित करने और इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि प्रभावित व्यक्ति इसे पहले चुनौती दे सकें।

उच्च न्यायालय या उपयुक्त मंच।

बी। हम घोषणा करते हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता,

इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय या व्यवसाय को अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ऐसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और (6) के तहत जनादेश के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें आनुपातिकता की कसौटी भी शामिल है।

सी। इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश है

दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा) नियम, 2017 के तहत अनुज्ञेय नहीं है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है।

डी। इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश निलंबन के तहत जारी किया गया है

नियम, आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और करना चाहिए

आवश्यक अवधि से अधिक विस्तार न करें।

नूराधा भसीन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एन. वी. रमना, जे.]

निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश यहां निर्धारित मापदंडों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मौजूदा निलंबन नियम न तो आवधिक समीक्षा प्रदान करते हैं और न ही निलंबन नियमों के तहत जारी आदेश के लिए समय सीमा। जब तक इस अंतराल को पूरा नहीं किया जाता है, हम निर्देश देते हैं कि समीक्षा समिति नियम 2 (5) के तहत गठित की जाए।

निलंबन नियमों को पिछली समीक्षा के सात कार्य दिवसों के भीतर आवधिक समीक्षा करनी चाहिए।

नियम 2 (6) के तहत आवश्यकताएँ। हम प्रतिवादी राज्य/सक्षम अधिकारियों को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश देते हैं।

किसी भी मामले में, राज्य/संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सरकारी वेबसाइटों, स्थानीय/सीमित ई-बैंकिंग सुविधाओं, अस्पतालों की सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं को उन क्षेत्रों में अनुमति देने पर विचार करें, जहां इंटरनेट सेवाओं के तुरंत बहाल होने की संभावना नहीं है। धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति, उपचारात्मक होने के साथ-साथ निवारक होने के कारण, न केवल जहां वर्तमान खतरा मौजूद है, बल्कि तब भी प्रयोग की जा सकती है जब खतरे की आशंका हो। हालांकि, विचार किया गया खतरा "आपातकाल" की प्रकृति का होना चाहिए और कानूनी रूप से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को बाधा और झुंझलाहट या चोट से बचाने के उद्देश्य से होना चाहिए।

धारा 144, Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित एक आदेश में न्यायिक समीक्षा को सक्षम करने के लिए भौतिक तथ्यों को बताना चाहिए। शक्ति का प्रयोग ईमानदारी और उचित तरीके से किया जाना चाहिए। और इसे भौतिक तथ्यों पर भरोसा करके पारित किया जाना चाहिए, जो मन के अनुप्रयोग का संकेत है। इससे न्यायपालिका सक्षम होगी।

उपरोक्त आदेश की जांच।

धारा 144, सी. आर. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए। मजिस्ट्रेट आनुपातिकता और उसके बाद के सिद्धांतों के आधार पर अधिकारों और अधिकारों को संतुलित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

कम से कम घुसपैठ उपाय।

धारा 144, Cr.P.C के तहत बार-बार आदेश दिए जाएंगे। शक्ति की।

प्रतिवादी राज्य/सक्षम अधिकारी धारा 144, Cr.P.C के तहत पारित किसी भी आदेश को जारी रखने की आवश्यकता की तुरंत समीक्षा कर रहे हैं।

ऊपर निर्धारित कानून।

3. पूर्ववर्ती राज्यों में रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है और आवेदनों का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

लेखन याचिकाएं डी